आज़ादी का
अमृत महोत्सव

MMRC

वार्षिक विवरण 2020 - 21

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Mumbai Metro Rail Corporation Ltd.

First escalator of Siddhivinayak Metro station set up

परियोजना की प्रगति

एसएमसी की हवाई तस्वीर

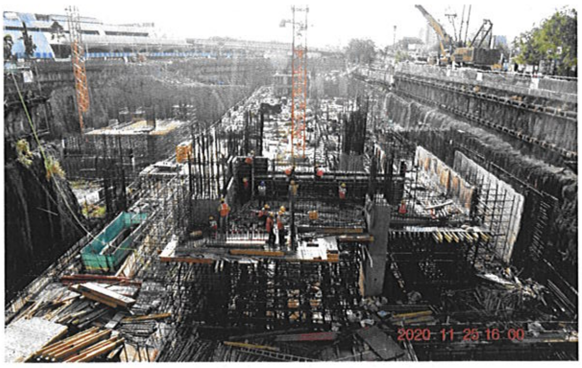

CSMIA घरेलू हवाई अड्डा स्टेशन (4)

विधान भवन मेट्रो स्टेशन पर चल रहे कार्य का हवाई दृश्य

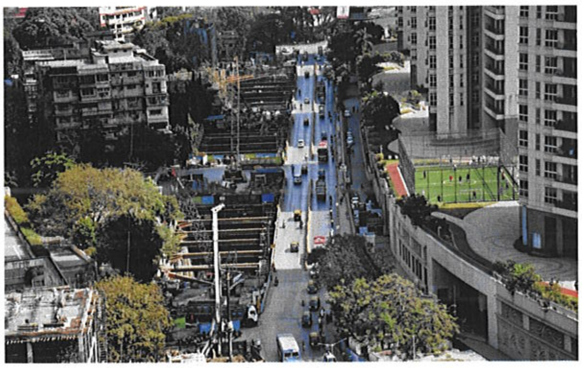

हवाई दृश्य महालक्ष्मी

चर्चगेट मेट्रो स्टेशन का हवाई दृश्य

परियोजना की प्रगति

महाप्रबंधक ने किया मध्य रेलवे के
हुतात्मा मेट्रो स्टेशन का दौरा

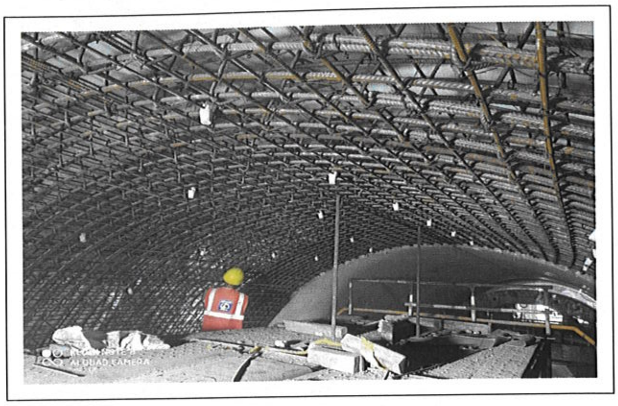

कफ परेड मेट्रो स्टेशन पर
NATM-ओवर वर्क की एक झलक

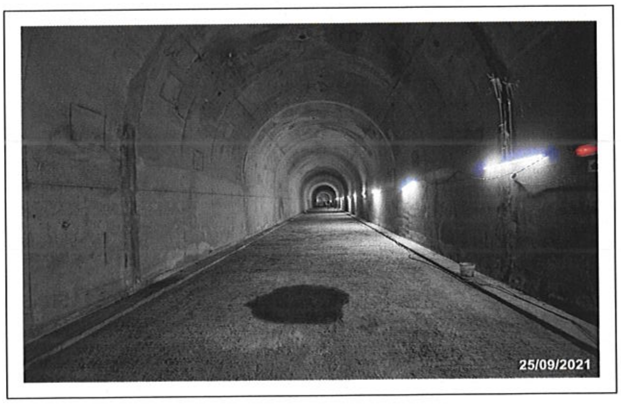

कफ परेड मेट्रो स्टेशन पर क्रॉसओवर के काम पर एक नजर

बीकेसी स्टेशन पर चल रहे स्टेशन आंतरिक कार्य

रेलवे वेल्डिंग के लिए फ्लैश बट वेल्डिंग (एफबीडब्ल्यू) मशीन यूएसए से आई थी।

परियोजना की प्रगति

सहार रोड क्रॉसओवर 2

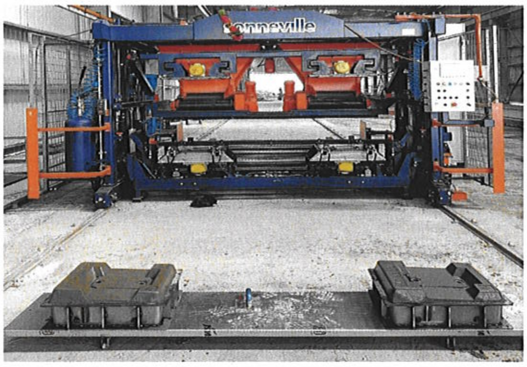

11.11.2020 वडाला केटिंग यार्ड में लाइन 3 के लिए स्लीपर ब्लॉक मशीन का उपयोग किया जा रहा है।

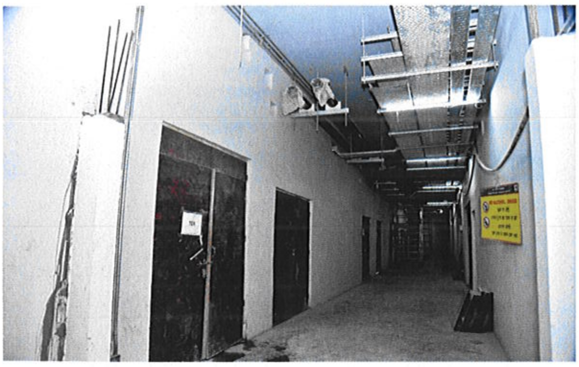

सीप्झ में काम जारी है

मुंबई सेंट्रल में साइड वॉल पर काम चल रहा है

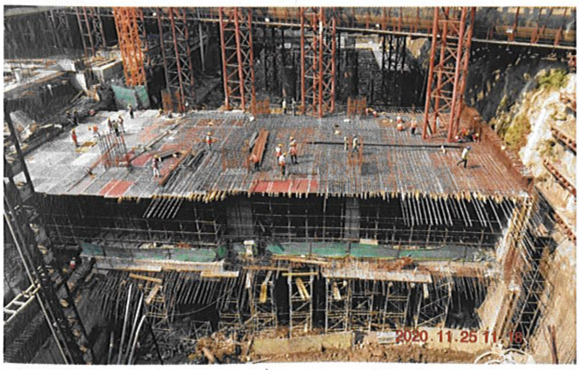

सहार रोड स्टेशन

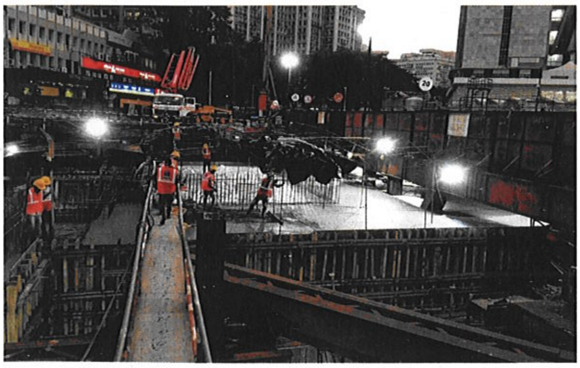

विधान भवन स्टेशन का कार्य

परियोजना की प्रगति

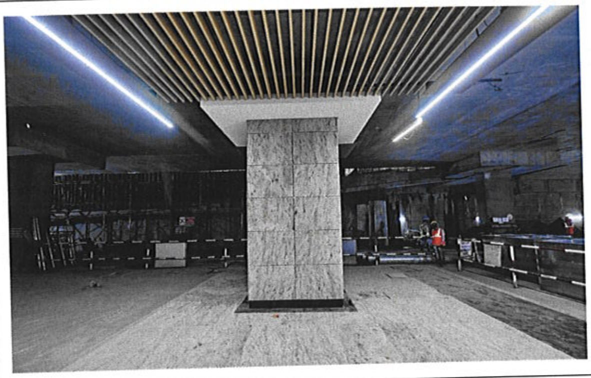

स्टेशन कफ परेड में काम चल रहा है

महालक्ष्मी में 40वीं सफलता

सिद्धिविनायक स्टेशन पर काम चल रहा है

मेट्रो 3 पर काम जारी है- ट्रैक के साथ टनल

एसएमसी में वॉल रीबर का काम चल रहा है

T2 मेट्रो स्टेशन पर NATM का काम चल रहा है

सांस्कृतिक कार्यक्रम

मुंबई मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन कार्यालय में मनाया मराठी भाषा संरक्षण पखवाड़ा 2021

मुंबई मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन कार्यालय में नया साल 2021 मनाएं

महिला दिवस

कर्मचारियों की प्राप्ति

श्री. गणेश प्रकाश घुले

वित्त एवं लेखा विभाग में उप लेखापाल के पद पर कार्यरत श्री. गणेश प्रकाश घुले 2015 में कंपनी में शामिल हुए। उन्होंने नवंबर 2020 में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 02.10.2020 को मुंबई मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

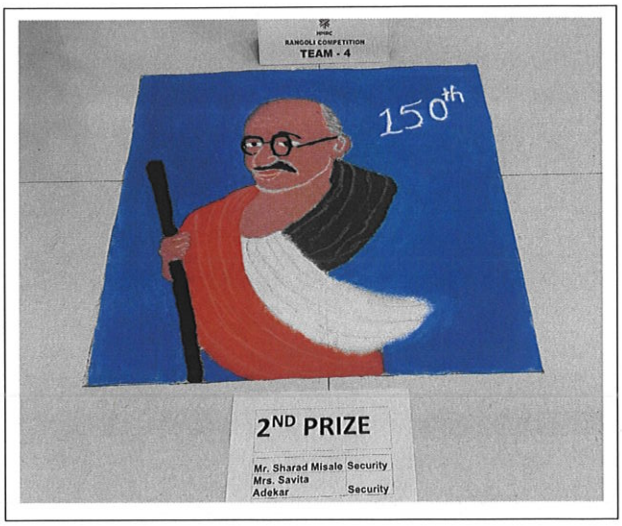

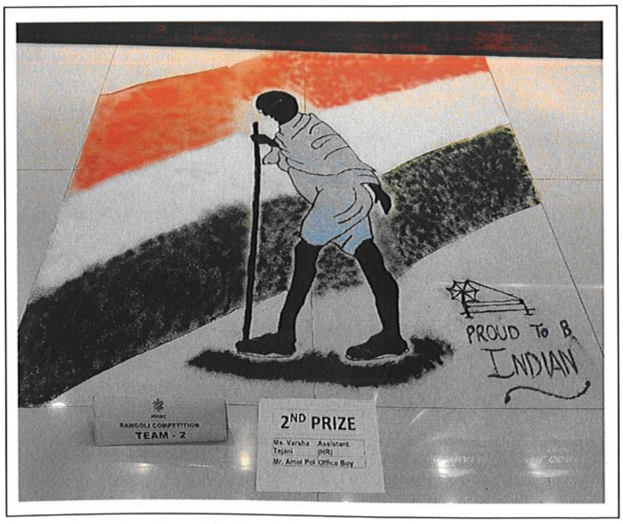

विषय

1.	निदेशक मंडल	02
2.	वार्षिक आम बैठक की सूचना	03
3.	अध्यक्ष का भाषण	10
4.	निदेशक का प्रतिवेदन	14
5.	स्वतंत्र सचिवीय लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, परिशिष्टों के साथ	36
6.	भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	43
7.	स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	45
8.	31 मार्च 2021 तक का तुलन-पत्र	60
9.	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि विवरण	61
10.	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण	62
11.	वित्तीय विवरणों का भाग रहनेवाली टिप्पणियां	87

श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	अध्यक्ष, एमएमआरसीएल तथा सचिव – आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्री रणजित सिंह देओल	प्रबंध निदेशक, एमएमआरसीएल
श्री श्याम सुंदर दुबे	निदेशक, एमएमआरसीएल तथा संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्री जयदीप	निदेशक, एमएमआरसीएल तथा ओ.एस.डी. (यू.टी.) और पदेन संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
श्री सुधांशु शेखर जोशी	निदेशक, एमएमआरसीएल और नामित निदेशक, भारत सरकार
श्री मनोज सौनिक (08.05.2020 से प्रभावी)	नामित निदेशक, एमएमआरसीएल तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, महाराष्ट्र सरकार
श्री इकबाल सिंह चहल (08.05.2020 से प्रभावी)	नामित निदेशक, एमएमआरसीएल तथा बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार
श्री आर.ए.राजीव	नामित निदेशक, एमएमआरसीएल तथा महानगर आयुक्त, एम.एम.आर.डी.ए., महाराष्ट्र सरकार
श्री भूषण गगराणी (10.08.2020 से प्रभावी)	नामित निदेशक, प्रधान सचिव - शहरी विकास महाराष्ट्र सरकार
श्री सुबोध कुमार गुप्ता	निदेशक (परियोजना), एमएमआरसीएल
श्री अजयकुमार ए. भट्ट	निदेशक (प्रणाली), एमएमआरसीएल
श्री अबोध खंडेलवाल	निदेशक वित्त तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी, एमएमआरसीएल

कंपनी सचिव

सुश्री ऋतु देब — कंपनी सचिव

सांविधिक लेखापरीक्षक

चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय
सनदी लेखाकार
एफओएफ2, फीनिक्स हाउस, 'बी' विंग,
चौथी मंजिल, 462, सेनापति बापट मार्ग,
लोअर परेल, मुंबई - 400013

सचिवीय लेखापरीक्षक

श्रीमती रागिनी चोकशी
रागिनी चोकशी एण्ड कं.
कंपनी सचिव,
34, कामेर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल फोर्ट,
38, कावसजी पटेल स्ट्रीट,
फोर्ट, मुंबई - 400 001

बैंकर्स

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. एचडीएफसी बैंक
3. आईडीबीआई
4. पंजाब नैशनल बैंक
5. आईसीआईसीआई बैंक
6. आईडीएफसी

पंजीकृत कार्यालय

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त उद्यम)
'ट्रांजिट कार्यालय', "ई" ब्लाक, सिटी पार्क के उत्तर में, आयकर कार्यालय के पीछे, 'ए' विंग,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

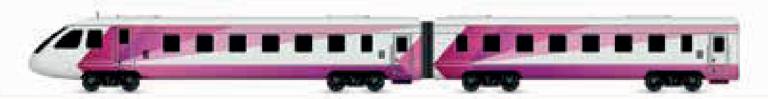

वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) के सदस्यों की 13वीं वार्षिक साधारण सभा 30 सितंबर, 2021 को शाम 5 बजे से टू वे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम ('ओएवीएम') के जरिए निम्नलिखित विषयों पर संव्यवहार करने के लिए आयोजित की गई हैः

सामान्य व्यवहारः

(1) 31 मार्च 2021 तक लेखा परीक्षित शेष संतुलन विवरण पत्र एवं उस तिथि को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लाभ और हानि विवरण लेखा पत्रक के साथ निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन जिसमें भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सम्मिलित हैं, को प्राप्त कर उनपर विचार करना एवं उन्हें अंगीकृत करना।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) सहपठित धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के लिए यथानियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निश्चित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

विशेष व्यवहारः

(3) श्री भूषण अशोक गगराणी, भा.प्र.से. (डीआईएन : 00204045) कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्तिः

विचार कर के तथा यदि उचित समझा जाए तो आशोधन सहित/रहित निम्नांकित को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त पत्र संख्या एमआरडी-3320/सीआर-42/यूडी-7 दिनांक 10 अगस्त 2020 जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160, 161 तथा इस संबंध में लागू अन्य प्रावधानों के साथ पठित है एवं इस संबंध में यथावश्यक अन्य सभी सांविधिक अनुमोदनों के अध्याधीन श्री भूषण अशोक गगराणी, भा.प्र.से., डीआईएन संख्या 00204045 को 10 अगस्त 2020 के प्रभाव से कंपनी के पदेन नामित निदेशक के रूप में एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा अन्यथा निर्णित अगले आदेशों तक जारी रहेगा।

"आगे प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति की जानकारी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को देने के लिए सभी कार्यवाही करने तथा जरूरी ई-प्रपत्र दाखिल करने एवं इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कंपनी सचिव को एतद् द्वारा अलग-अलग प्राधिकृत किया जाता है।"

(4) श्री एस.वी.आर. श्रीनिवास (डीआईएन : 02860903) की कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्तिः

विचार करके तथा यदि उचित समझा जाए तो आशोधन सहित/रहित निम्नांकित को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या ए.एसएचए.पी. के.ई.ओ-1121/10/2021/टीईएन, 03 जून, 2021 जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 107, 161 तथा इस संबंध में लागू अन्य प्रावधानों के साथ पठित है एवं इस संबंध में यथा वश्यक अन्य सभी सांविधिक अनुमोदनों के अध्यधीन श्री एस.वी.आर. श्रीनिवास, भा.प्र.से., डीआईएन संख्या 02860903 को 03 जून, 2021 के प्रभाव से कंपनी के पदेन नामित निदेशक के रूप में एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा अन्यथा निर्णित अगले आदेशों तक जारी रहेगा।

"आगे प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति की जानकारी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को देने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने तथा जरूरी ई-प्रपत्र दाखिल करने एवं इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कंपनी सचिव को एतद् द्वारा अलग-अलग प्राधिकृत किया जाता है।

(5) **श्री इकबाल सिंह चहल, भा.प्र.से. की कंपनी के नामित निदेशक के रूप में पुन:नियुक्ति:**

विचार करके तथा यदि उचित समझा जाए तो आशोधन सहित/रहित निम्नांकित को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

"प्रस्ताव पारित किया जाता है कि महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग मंत्रालय के पत्र संख्या एमआरडी-3318/सीआर-13/यूडी-7; दिनांक 30 जुलाई, 2021 जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160, 161 तथा इस संबंध में लागू अन्य प्रावधानों के साथ पठित है, एवं इस संबंध में यथा वश्यक अन्य सभी सांविधिक अनुमोदनों के अध्याधीन श्री इकबाल सिंह चहल (डीआईएन संख्या 0872 7394) को 30 जुलाई, 2021 के प्रभाव से कंपनी के पदेन नामित निदेशक के रूप में एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा अन्यथा निर्णित अगले आदेशों तक जारी रहेगा।"

"आगे प्रस्ताव पारित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति की जानकारी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को देने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने तथा जरूरी ई-प्रपत्र दाखिल करने एवं इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कंपनी सचिव को एतद् द्वारा अलग-अलग प्राधिकृत किया जाता है।"

बोर्ड के आदेश के अनुसार
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
दिनांक: 07/09/2021

क) कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने परिपत्र सं. 14/2020, दिनांक 08 अप्रैल 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, परिपत्र सं. 14/2020, दिनांक 05 मई 2020 तथा परिपत्र सं. 02/2021, दिनांक 13 जनवरी, 2021 (एमसीए के रूप में सामूहिक रूप से संदर्भित) के द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है। बैठक के लिए किसी आम स्थल पर सदस्यों को शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं रहना है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन के क्रम में कंपनी का एजीएम वीसी/ओएवीएम के जरिए आयोजित किया जा रहा है।

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में वार्षिक साधारण बैठक में संव्यवहृत किए जाने वाले विशेष व्यवहारों से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिए गए हैं।

ग) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एजीएम में उपस्थित होने एवं मतदान करने का अधिकार रखने वाला सदस्य अपनी ओर से उपस्थित रहने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है। प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। चूंकि एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में एजीएम का आयोजन सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है और तदनुसार सदस्यों द्वारा प्रॉक्सियों को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, अतः इस सूचना के साथ प्रॉक्सी प्रपत्र और उपस्थिति पर्ची संलग्न नहीं की गई है।

घ) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित रहनेवाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति की संगणना के उद्देश्य से की जायेगी।

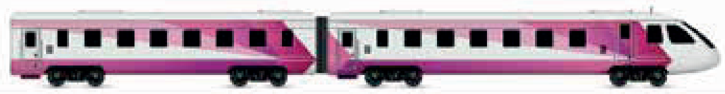

सूचना के व्याख्यात्मक विवरण

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में)

मद संख्या 3:

महाराष्ट्र सरकार के पत्र संख्या एमआरडी-3320/सीआर-42/यूडी-7; दिनांक 10 अगस्त, 2020 के अनुक्रम में **श्री भूषण गगराणी, भा.प्र.से. (डीआईएनः 00204045)** को 10 अगस्त 2020 के प्रभाव से कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह पत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160, 161 तथा यथा प्रयोज्य अन्य प्रावधानों के साथ पठित है तथा इस संबंध में यथा वश्यक अन्य सभी सांविधिक अनुमोदनों के अध्याधीन है।

तदनुसार निदेशक मंडल ने **श्री भूषण गगराणी, भा.प्र.से.** को 10 अगस्त 2020 के प्रभाव से कंपनी के बोर्ड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

उक्त नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है।

श्री भूषण गगराणी, भा.प्र.से., डीआईएन संख्या 00204045 के धारक ने कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी लिखित सहमति दी है तथा यह घोषित किया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वे नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

श्री भूषण गगराणी, भा.प्र.से. तथा अन्य निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

सरकारी नाम निर्देशितों के तौर पर कंपनी के शेयर धारण करने के सिवाय कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या उनके रिश्तेदार महाराष्ट्र सरकार के नामिती **श्री भूषण गगराणी, भा.प्र.से.** के साथ संबंधित प्रस्तावों में किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत या निजी तौर पर ना तो कोई हित और ना ही कोई सरोकार रखते हैं।

बोर्ड सदस्यों द्वारा मद संख्या 3 में निर्धारित प्रस्तावों को साधारण प्रस्तावों के रूप में अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 4:

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या ए.एसएचए.पी.के.ईओ-1121/10/2021/टीईएन; दिनांक 03 जून 2021 के अनुक्रम में **श्री एस.वी.आर. श्रीनिवास (डीआईएनः 02860903)** को महाराष्ट्र सरकार द्वारा 03 जून, दिसंबर 2021 के प्रभाव से नामित किया गया। तदनुसार बोर्ड ने श्री जयदीप को 06 दिसंबर 2019 के प्रभाव से कंपनी के निदेशक मंडल में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

उक्त नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है।

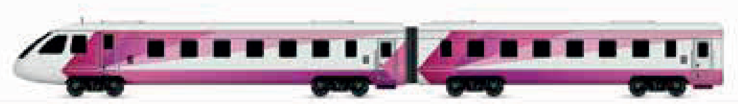

श्री एस.वी.आर. श्रीनिवास, डीआईएन संख्या 02860903 के धारक ने कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी लिखित सहमति दी है तथा यह घोषित किया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वे नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

श्री एस.वी.आर. श्रीनिवास तथा अन्य निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

सरकारी नाम निर्देशितों के तौर पर कंपनी के शेयर धारण करने के सिवाय कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक व मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या उनके रिश्तेदार महाराष्ट्र सरकार के नामिती **श्री एस.वी.आर. श्रीनिवास** के साथ संबंधित प्रस्तावों में किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत या निजी तौर पर ना तो कोई हित और ना ही कोई सरोकार रखते हैं।

बोर्ड सदस्यों द्वारा मद संख्या 4 में निर्धारित प्रस्तावों को साधारण प्रस्तावों के रूप में अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद संख्या 5:

श्री इकबाल सिंह चहल को 08 मई 2020 के प्रभाव से कंपनी के निदेशक मंडल में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

तदनुसार श्री इकबाल सिंह चहल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167(1)(ख) के अनुसरण में कंपनी के नामित निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए। कंपनी के मत में श्री इकबाल सिंह चहल, आयुक्त-बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र सरकार का परामर्श एवं विशेषज्ञता निदेशक मंडल के लिए बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण है। अतः तदनुसार कंपनी ने श्री इकबाल सिंह चहल को निदेशक मंडल में दुबारा नामांकित करने, या किसी अन्य व्यक्ति को, जैसा महाराष्ट्र सरकार द्वारा उचित समझा जाए, नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु महाराष्ट्र सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था।

शहरी विकास विभाग मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी एवं महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्राप्त पत्र सं. एमआरडी-3318/सीआर-13/यूडी-7 के अनुक्रम में **श्री इकबाल सिंह चहल (डीआईएन : 08727394)** को 30 जुलाई, 2021 के प्रभाव सं कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह पत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160, 161 तथा यथा प्रयोज्य अन्य प्रावधानों के साथ पठित है तथा इस संबंध में यशावश्यक अन्य सभी सांविधिक अनुमोदनों के अध्याधीन है।

तदनुसार निदेशक मंडल ने **श्री इकबाल सिंह चहल (डीआईएन : 08727394)** को कंपनी के निदेश मंडल में 30 जुलाई, 2021 के प्रभाव से पुनःनियुक्त किया है।

उक्त नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है।

श्री इकबाल सिंह चहल, महाराष्ट्र सरकार के नामिती ने कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु अपनी लिखित

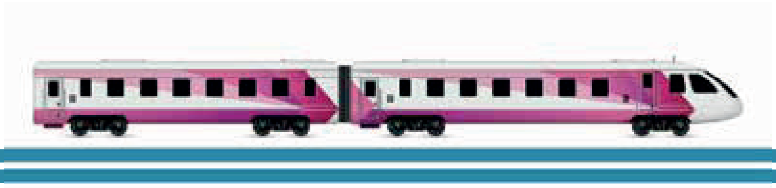

सहमति दी है तथा यह घोषित किया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वे नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

श्री आई.एस. चहल तथा अन्य निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

सरकारी नाम निर्देशितों के तौर पर कंपनी के शेयर धारण करने के सिवाय कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या उनके रिश्तेदार महाराष्ट्र सरकार के नामिती **श्री इकबाल सिंह चहल** के साथ संबंधित प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत या निजी तौर पर ना तो कोई हित और ना ही, कोई सरोकार रखते हैं।

बोर्ड सदस्यों द्वारा मद संख्या 5 में निर्धारित प्रस्तावों के साधारण प्रस्तावों के रूप में अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

बोर्ड के आदेश से

कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई
तिथि : 07.09.2021

सचिवीय मानक 1 के अंतर्गत अनिवार्यत: प्रकटित की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी

निदेशक का नाम	श्री भूषण गगराणी	श्री एस.वी.आर. श्रीनिवास	श्री इकबाल सिंह चहल
आयु	55 वर्ष	56 वर्ष	55 वर्ष
योग्यता	भा.प्र.से.	भा.प्र.से.	भा.प्र.से.
वर्तमान पदनाम में पहली नियुक्ति की तिथि	10/08/2020	30/06/2021	08/05/2020
कंपनी में शेयरधारिता	1	शून्य	शून्य
अंतिम अनुमोदित पारिश्रमिक का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

अध्यक्षीय भाषण

प्रिय शेयरधारक,

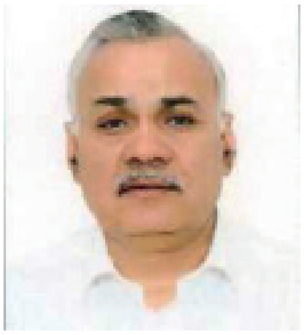

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 13वीं वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं कॉर्पोरेशन के प्रदर्शन के साथ-साथ वर्ष के दौरान हासिल की गई उन प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करता हूं, जो मील का पत्थर हैं।

तमाम रुकावटों के बावजूद कॉर्पोरेशन ने अब तक 68.5% की समग्र प्रगति हासिल की है। वैश्विक महामारी के जारी रहने के कारण समीक्षाधीन वर्ष बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ था। परंतु सभी क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने की भारत सरकार की गतिशील नीति एवं निदेशक मंडल द्वारा क्रियान्वित किए गए प्रभावशाली प्रबंधकीय निर्णयों की बदौलत यह उपलब्धि हासिल हुई। निदेशक मंडल ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उनके नियंत्रणाधीन सभी संसाधन मुंबईकरों की सेवा करने के लक्ष्य तक सामंजस्य के साथ अग्रसर हैं।

1. वित्तीय प्रदर्शन:

वर्ष 2020-21 के लिए आपके कॉर्पोरेशन का प्रदर्शन निदेशकों के प्रतिवेदन में विस्तार से समाहित किया गया है। मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि वैश्विक महामारी 'कोविड-19' के जारी रहने की वज़ह से अधिरोपित विवशताओं के बावजूद वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय रूपए 3,572 करोड़ रहा।

आपके कॉर्पोरेशन ने अपनी अल्पकालिक अधिशेष निधियों को कुशलतापूर्वक परिनियोजित किया है तथा वित्तीय वर्ष 2020- 2021 के दौरान रुपए 27.30 करोड़ (पिछले वर्ष में रुपए 30.21 करोड़) की ब्याज आय अर्जित की है।

बोर्ड का प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंकेक्षित वार्षिक लेखा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन आपको परिचालित किए गए थे। आपकी अनुमति से मैं समझता हूं कि आपने इन्हें पढ़ लिया है।

2. निर्माण प्रदर्शन:

2.1 सिविल कार्य:

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके कॉर्पोरेशन ने 39 प्रकोष्ठों को हासिल किया जिन के साथ लगभग 97% सुरंग निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सात सिविल पैकेजों में से छह ने अपना सुरंग निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। अन्य निर्माण गतिविधियां भी जोरों पर हैं तथा सभी भूमिगत स्टेशनों पर कार्य प्रगति पर है। श्रमशक्ति कोविड-पूर्व स्तरों

पर पहुंच चुकी है। लेकिन कार्य की प्रगति पर कुछ प्रभाव अभी भी जारी है।

एम.एम.आर.सी. को मेसर्स निप्पन स्टील कॉर्पोरेशन, जापान द्वारा विनिर्मित तथा मेसर्स मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड, जापान द्वारा आपूर्त हेड हार्डेंड रेल्स पूरे परिमाण में प्राप्त हुए और उच्च क्षीणन बूट किए गए जुडवां ब्लॉक तकनीक द्वारा 6 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया।

मुझे यह उल्लेख करते हुए खुशी हो रही है कि आपके कॉर्पोरेशन ने कोविड काल के दौरान सभी सावधानियों के साथ शुरुआती 01 (एक) महीने को छोड़ कर काम करना जारी रखा है।

2.2 प्रणाली कार्य:

एम.एम.आर.सी. ने रोलिंग स्टॉक (प्रत्येक 8 कारों की 31 ट्रेनें), सिग्नलिंग एवं ट्रेन नियंत्रण, संचार प्रणालियों, प्लेटफॉर्म स्क्रीन द्वारों, बिजली आपूर्ति एवं 25 किलोवाट की कर्षण प्रणालियों, सुरंग वायु संचालन एवं पर्यावरण नियंत्रण प्रणालियों, लिफ्ट तथा एस्केलेटरों, स्वचालित किराया वसूली आदि सभी बड़े प्रणाली कार्यों के लिए पहले ही ठेके दे दिए गए हैं। सभी बड़े प्रणाली ठेकों के डिजाइन कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, तथा सुरंगों में एवं स्टेशनों पर पहुंच की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न प्रणालियों के प्रापण एवं संस्थापन कार्य शुरू हो चुका है। तीन रिसीविंग उप-स्टेशनों के निर्माण कार्य उन्नत चरणों में है। पहली दो ट्रेनों का उत्पादन पूरा हो चुका है और वर्तमान में भारत में उनके विनिर्माण संयंत्र में इनका परीक्षण किया जा रहा है। तीसरी ट्रेन का विनिर्माण भी प्रगति पर है। मैं मेट्रो कार डिपो की अनिश्चितता के बारे में फिक्रमंद हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस मामले को शीघ्रता से सुलझा लिया जाएगा।

2.3 आर एंड आर गतिविधि:

कालबादेवी और गिरगांव में 3 पृथक ब्लॉकों यथा , के2 ब्लॉक, के3 ब्लॉक और जी3 ब्लॉक में पी.ए.पी. के पुनर्वास का प्रस्ताव किया गया है। के3 और जी3 ब्लॉकों के निर्माण के लिए क्रमशः मेसर्स वासकॉन इंजीनियर्स लिमिटेड तथा मेसर्स मोंटे कार्लो लिमिटेड को नियुक्त किया गया है।

एमएमआरसीने एमएमआरसीएल-3 के गिरगांव और कालबादेवी को छोड़कर प्रस्तावित मेट्रो स्टेशनों से 1942 पी.ए.पी. का पुनर्वास किया है (2123 ढांचों में से शेष 183 ढांचे परियोजना के लिए अपेक्षित नहीं हैं क्योंकि ये न तो योग्य या न ही विवादित मामले हैं)।

2.4 जनसंपर्क गतिविधि:

जनसंपर्क विभाग परियोजना के कार्य की विभिन्न उपलब्धियों तथा गतिविधियों के बारे में मीडिया के लिए नियमित रूप से प्रेस विज्ञप्तियां जारी करता है और तत्संबंधी सवालों के जवाब भी मीडिया को उपलब्ध कराता है। भारत की आजादी की 75 वीं वर्षगांठ-आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाये जाने के उपलक्ष्य में जनसंपर्क विभाग ने

13 अगस्त, 2021 को जनसंपर्क विभाग ने 13 अगस्त, 2021 को एमएमआरसी के सभी अधिकारियों के लिए एमएमआरसी मुख्यालय एवं हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा में राष्ट्रगान की समूह गायन गतिविधि का आयोजन किया था।

3. साइट पर क्रियान्वित किए जाने वाले सुरक्षा उपाय:

सिविल तथा सिस्टम ठेकेदारों के कार्य स्थलों पर व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी प्रणालियां परियोजना के लिए लागू सभी सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप हैं एवं कड़े संविदागत ओ.एस.एच.ई. शर्तों को पूरा करती हैं। एम.एम.आर.सी. ने तैयारी के पर्याप्त उपायों के द्वारा सभी संभावित आपात स्थितियों को कम करने के लिए आपदा नियंत्रण कक्ष तैयार कर उसे कार्यात्मक बनाया है।

4. कोविड संबंधी गतिविधियां:

बृहन्मुंबई महानगरपालिका की अपेक्षा के अनुसार एम.एम.आर.सी. ने 1105 बेड की क्षमता वाले एचडीयू और आईसीयू सहित आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त दहिसर और कंदरपाड़ा बस डिपो में दो कोविड केयर केंद्रों का निर्माण किया है तथा इन्हें बृहन्मुंबई महानगरपालिका को सौंप दिया है। एमएमएल-3 परियोजना क्षेत्र में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के नियंत्रण एवं उनसे बचाव के लिए एम.एम.आर.सी.ने **एनएआरईडीसीओ** (राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद जिसकी स्थापना 1998 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक स्वायत्तशासी, स्वविनियमित निकाय के रूप में हुई थी) द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों तथा केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी अधिसूचनाओं का अक्षरश: कार्यान्वयन किया था। परियोजना के प्रवेश स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति के प्रवेश करने पर उस के शरीर का तापमान लिया जाता था तथा अन्य लक्षणों को मॉनीटर किया जाता था। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के नियंत्रण एवं उससे बचाव के लिए सभी व्यावहारिक और पर्याप्त उपायों के साथ रोगियों का उपचार किया जाता है।

5. औद्योगिक संबंध:

आपके कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों तथा श्रम कल्याण अधिकारियों के बीच औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण और सद्भावपूर्ण रहा है। श्रम कानून के सांविधिक प्रावधानों का अंगीकरण कर सामाजिक सुरक्षा और गारंटी का ध्यान रखने के लिए कॉर्पोरेशन के पास स्पष्ट कार्यप्रणाली है।

6. निगम अभिशासन:

निगम अभिशासन नीति को कॉर्पोरेशन की विजन मिशन नीति के साथ जोड़ा गया है। कॉर्पोरेशन निगम अभिशासन से संबंधित डीपीई (सार्वजनिक उद्यम विभाग) दिशानिर्देशों का पालन करता है।

निगम अभिशासन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कॉर्पोरेशन ने निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन के नैतिक एवं जिम्मेदारी के साथ निर्णयन, विसलब्लोअर नीति, जवाबदेही की प्रणाली, समय पर तथा उपयुक्त प्रकटन निर्माण की

नीति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा की नीति एवं उसकी स्थापना, आदि के संवर्धन हेतु आचार संहिता को अपनाया है।

7. पारदर्शिता:

पारदर्शिता को बढ़ावा देने और उसे सुगम बनाने के लिए कॉर्पोरेशन ने निम्नांकित की शुरुआत की है:

क) ई-ऑफिस

ख) ठेके के लिए ई-संविदा

ग) कार्यपालकों तथा गैर-कार्यपालकों के लिए ए.पी.ए.आर. की ई-फाइलिंग

घ) ठेकेदारों एवं वेंडरों को बैंकों के द्वारा 100% भुगतान

च) वेबसाइट पर रिक्तियों की अधिसूचना

8. अभिस्वीकृति:

मैं, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (भारत सरकार), महाराष्ट्र सरकार; जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) और भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा महाराष्ट्र सरकार को उनकी मदद, समर्थन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं , बोर्ड के सदस्यों को भी समय-समय पर उनके मूल्यवान मार्गदर्शन, समर्थन और विवेकपूर्ण मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं, सभी कर्मचारियों को उनके प्रयासों, उनके समर्पण एवं कठिन श्रम के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करवाना चाहूंगा, जिन्होंने देश के पूरी तरह भूमिगत मेट्रो रेल नेटवर्क में सुरंग बनाने के काम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आशा करता हूं कि उच्च प्रेरित कुशल कार्यबल की मदद से मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भविष्य में अपने सभी प्रयासों में सफल होगा।

(दुर्गा शंकर मिश्रा)
सचिव
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
तथा अध्यक्ष, एमएमआरसीएल

स्थान: मुंबई
तिथि: 23/09/2021

निदेशक का प्रतिवेदन

प्रति,
सभासदगण,
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
मुंबई,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए कंपनी के व्यवसाय संचालन और वित्तीय स्थिति पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 13वें प्रतिवेदन को आप के समक्ष प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

1. वित्तीय परिणाम एवं प्रदर्शन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति निम्नवत है:

(सभी आंकड़े रुपए लाख में)

विवरण	2020-21	2018-2019
कुल आय	1087.13	805.45
घटाएं प्रचालन व्यय	2100.64	2840.36
घटाएं मूल्यह्रास	997.34	774.37
घटाएं वित्तीय व्यय	57.17	17.86
घटाएं अपवादी मद	0	0
कर पूर्व लाभ (हानि)	(2068.02)	(2,828.44)
घटाएं कर व्यय	71.46	(809.42)
कर पश्चात निवल लाभ (हानि)	(2139.48)	(2018.72)
अन्य व्यापक आय (हानि)	(12.65)	(6.86)
सामान्य आरक्षितियों में हस्तांतरण	0	0
वर्ष के लिए कुल व्यापक (हानि)	(2152.13)	(2025.88)

2. सामान्य आरक्षितियों में हस्तांतरण:

बोर्ड ने सामान्य आरक्षितियों में कोई भी राशि हस्तांतरित नहीं की है।

3. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लाभांश

वर्तमान वर्ष के लिए कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

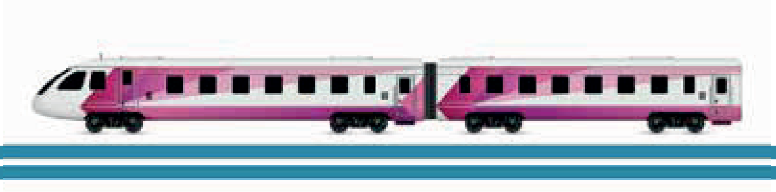

4. कंपनी की स्थिति

कंपनी को अप्रैल 2008 में निगमित किया गया। वित्तीय वर्ष (2014-15) में कंपनी भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच यह 50:50 संयुक्त उद्यम (एम.एम.आर.डी.ए. के माध्यम से) बन गई है।

5. कंपनी के शेयरों का निर्गम

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रुपए 50,00,00,00,000 करोड़ (रुपए पांच हजार करोड़ के वल) है जिस में रुपए 100/प्रति शेयर के 50 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान तथा इस प्रतिवेदन की तिथि तक कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के नामितों को रु. 100/- प्रति शेयर के 6,00,00,000 करोड़ इक्विटी शेयरों का राइट्स इश्यू जारी किया है जिन के विवरण निम्नवत हैं:

क्रम संख्या	शेयर आबंटन समिति की बैठक की तिथि	शेयरों की संख्या	कुल प्रतिफल (आकड़े रुपए में)
1	29 जुलाई, 2020	4,00,00,000	400,00,00,000
2	16 दिसंबर, 2020	2,00,00,000	200,00,00,000

6. कंपनी का प्रचालन

वर्तमान प्रचालन

- केंद्र सरकार के पत्र संख्या 14011/36/2009 मेट्रो/एमआरटीएस-II (खंड III), दिनांक 18 जुलाई, 2013 के अनुमोदन के अनुसरण में कंपनी कोलाबा-बांद्रा-सिप्ज़ लाइन की मेट्रो लाइन-3 परियोजना के लिए एसपीवी है।
- कंपनी ने अब तक 38 सफलताएं हासिल की हैं और इसके साथ सुरंग निर्माण के 97% कार्य के साथ 52.91 किलोमीटर सुरंग निर्माण पूरा कर लिया गया है। अन्य निर्माण गतिविधियां भी पूरी प्रगति पर हैं। 26 भूमिगत स्टेशनों में से 15 स्टेशनों ने औसतन 68.5% निर्माण कार्य पूरे कर लिए हैं।
- कंपनी ने मेन लाइन और डिपो के लिए मेसर्स मिरसुई एंड कंपनी लिमिटेड, जापान से 10740 मीट्रिक टन रेलों के पूरे परिणाम प्राप्त कर लिये हैं। मेन लाइन पर 2.7 किलोमीटर ट्रैक संस्थापन कार्य पूरा हो गया है।
- महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 29.11.2019 के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरे स्थित कार डिपो का कार्य रूका हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 23.03.2021 के पत्र के जरिए लाइन-6 के साथ लाइन-03 को एकीकृत करते हुए लाइन-3 के डिपो को हटाकर कांजुरमार्ग में स्थापित करने के अपने निर्णय को संप्रेषित कर दिया है। कांजुरमार्ग लाइन-3, लाइन-6 और लाइन-4 के लिए समान डिपो होगा। महाराष्ट्र सरकार का निर्णय कंपनी के बोर्ड के

समक्ष विचार-विमर्श हेतु लाया गया है। कंपनी समझती है कि प्रतिवादियों (डीएसआरसी तथा एमएमआरडीए) द्वारा कांजुरमार्ग में चलाए जा रहे प्रचालन को माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.12.2020 को जारी स्थगन आदेश के जरिए रोक दिया है।

- यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वैश्विक महामारी परिस्थितयों की वजह से उत्पन्न अलग- अलग समयों पर श्रमिकों की कमी, आपूर्ति शृंखला, मामलों, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक/प्रतिबंधों के कारण विशेषज्ञों की यात्रा प्रभावित होने, कारखानों के निरीक्षणों में देरी तथा अन्य विविध अवरोधों के कारण निर्माण गतिविधियां प्रभावित हुई हैं।

विद्युत प्रणाली :

विद्युत आपूर्ति प्रणाली, ओवरहेड संपर्क प्रणाली (25 किलोवाट), सुरंग संवातन तथा पर्यावरणीय नियंत्रण प्रणाली, लिफ्टों, एस्केलेटरों तथा ई एवं एस.कार्यो सहित सभी बड़े विद्युत कार्यो के लिए डिजाइन और वेंडरों की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। विद्युत प्रणालियों की प्रापण तथा संस्थापन गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। सभी तीन प्राप्रकर्ता उप-स्टेशनों (सरीपुत नगर, धारावी एवं साइंस म्युजियम) में अवस्थित उप स्टेशनों के सिविल निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा उपकरणों का संस्थापन प्रारम्भ हो चुका है।

रोलिंग स्टॉक :-

आपूर्त किए जाने वाले प्रत्येक 8 कारों की 31 ट्रेनों में से प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का विनिर्माण 10 मार्च, 2021 को पूरा हो चुका है तथा वर्तमान में ट्रेन का श्रीसिटी (आंध्र प्रदेश, भारत) स्थित ठेकेदार (मेसर्स एएलएसटीओएम) के विनिर्माण सुविधा केंद्रो में स्थैतिज एवं गतिज परीक्षण चल रहा है।

सिग्नलिंग और टेलीकॉम प्रणाली :

सिग्नलिंग तथा ट्रेन नियंत्रण प्रणाली (परिचारक रहित ट्रेन परिचालन विशेषता सहित सीबीटीसी), संचार प्रणालियों, स्वचालिन किराया वसूली प्रणालियों के लिए डिजाइन और वेंडर चयन प्रक्रिया पूर्ण होने को है। मुंबई पुलिस एवं सूचना ब्यूरो से प्राप्त सहयोगों के बाद स्टेशन सुरक्षा प्रणाली संबंधी आवश्यकताओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

डिपो के मामले :

महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 29.11.2019 के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरे स्थित कार डिपो कार्य रूका हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 23.03.2021 के पत्र के जरिए लाइन-6 के साथ लाइन-3 को एकीकृत करते हुए लाइन-3 के डिपो को हटाकर कांजुरमार्ग में स्थापित करने के अपने निर्णय को संप्रेषित कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार का निर्णय कंपनी के बोर्ड के समक्ष विचार-विमर्श हेतु लाया गया है।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव, जो एसएसआरसी के अध्यक्ष भी हैं, ने 24.08.2021 को महाराष्ट्र

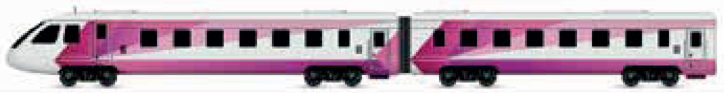

सरकार से लाइन-3 के त्वरित पूर्ण होने के लिए आरे स्थित निर्माण गतिविधि को यथा शीघ्र शुरू करने की अनुमति देने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय पर राज्य सरकार की रिपोर्ट को संशोधित करने का अनुरोध किया है।

7. निदेशक मंडल तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

इस प्रतिवेदन की अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस प्रतिवेदन की तिथि को निदेशक मंडल निम्नवत है:

निदेशक के नाम	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि	पदनाम
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	02944212	23/06/2017	नामित निदेशक/अध्यक्ष
श्री रणजित सिंह देओल	06759002	23/01/2020	प्रबंध निदेशक
श्री सुधांशुशेखर जोशी	08077267	17/01/2019	नामित निदेशक
श्री एस.वी.आर. श्रीनिवास	02860903	02/06/2021	नामित निदेशक
श्री भूषण अशोक गगराणी	00204045	10/08/2020	नामित निदेशक
श्री सुबोध कुमार गुप्ता	07114292	14/01/2020	निदेशक योजना
श्री अजयकुमार अमरनाथ भट्ट	0711 0097	06/02/2020	निदेशक प्रणाली
श्री अबोध खंडेलवाल	07807394	28/04/2017	निदेशक वित्त और मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री श्याम सुंदर दुबे	06601151	30/07/2019	नामित निदेशक
श्री जयदीप	08558063	06/12/2019	नामित निदेशक
श्री इकबाल सिंह चहल	08727394	08/05/2020	नामित निदेशक
श्री मनोज सौनिक	02954463	08/05/2020	नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एवं इस प्रतिवेदन की तिथि तक निदेशकों की नियुक्ति और पुन: नियुक्ति:

क) श्री आई.एस. चहल, महानगरपालिका आयुक्त, बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र सरकार को 08/05/2020 के प्रभाव से कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

ख) श्री मनोज सौनिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव-वित्त, महाराष्ट्र सरकार को 08/05/2020 के प्रभाव से कंपनी का नामित निदेशक नियुक्त किया गया।

उपर्युक्त नियुक्तियों का अनुसमर्थन आगामी वार्षिक साधारण सभा में किया जाना प्रस्तावित है।

ग) श्री भूषण गगराणी, प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग (यूडी-1), महाराष्ट्र सरकार को 10/08/2020 के प्रभाव से कंपनी के नामित निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। इनका अनुसमर्थन प्रस्तावित है।

घ) श्री आई.एस. चहल, महानगरपालिका आयुक्त, बृहन्मुंबई, महाराष्ट्र सरकार को 30/07/2021 के प्रभाव से कंपनी

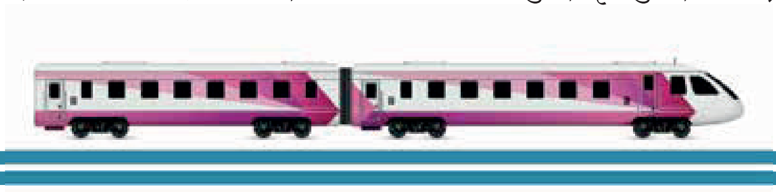

के नामित निदेशक के पद पर पुन: नियुक्त किया गया।

च) श्री. एस.वी. आर. श्रीनिवास, महानगर आयुक्त, मुंबई एमएमआरडीए, महाराष्ट्र सरकार को 03/06/2021 के प्रभाव से कंपनी के नामित निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया।

*24 दिसंबर, 2020 को आयोजित 12वें एजीएम में नियुक्ति को अनुसमर्थित किया गया।

**उपर्युक्त नियुक्तियों का अनुसमर्थन आगामी वार्षिक साधारण सभा में किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान तथा प्रतिवेदन की तिथि तक निदेशकों के कार्यभार का समापन।

क) श्री प्रवीणसिंह प्रतापसिंह परदेशी के भारत सरकार द्वारा स्थानांतरण/नामांकन वापसी के कारण निदेशक मंडल से उनकी सहभागिता 10/08/2020 के प्रभाव से समाप्त हुई है। श्री प्रवीणसिंह परदेशी के कंपनी में सेवा अवधि के दौरान दिए गए योगदान/ कार्यों के लिए निदेशक मंडल उनकी सराहना दर्ज करता है।

ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 (I) (ख) के प्रावधानों के अनुसार 25/06/2021 के प्रभाव से श्री आई.एस. चहल की निदेशक मंडल से सहभागिता समाप्त हुई है।

ग) श्री आर.ए. राजीव के स्थानांतरण/वापसी के कारण निदेशक मंडल से उनकी सहभागिता 31/05/2021 के प्रभाव से समाप्त हुई है। श्री आर.ए. राजीव के कंपनी में सेवा अवधि के दौरान दिए गए योगदान कार्यों के लिए निदेशक मंडल उनकी सराहना दर्ज करता है।

प्रतिवेदन की अवधि के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में बदलाव हुए हैं।

8. वार्षिक रिटर्न

वार्षिक रिटर्न की प्रति सदस्यों के संदर्भ हेतु कंपनी की वेबसाइट https:/www.mmrcl.com पर, प्रपत्र एमजीटी-7 में उपलब्ध है। बोर्ड की बैठकों, निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिकों के विवरण इसमें उपलब्ध कराए गए हैं।

9. बोर्ड की बैठकों तथा समिति की बैठकों के विवरण

(क) बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान बोर्ड की पांच बैठकें आयोजित हुईं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

बोर्ड की बैठकों की संख्या	बोर्ड की बैठकों की तिथि	उपस्थित निदेशकों की संख्या
बोर्ड की 57 वीं बैठक	26 जून 2020	9
बोर्ड की 58 वीं बैठक	18 सितंबर 2020	9

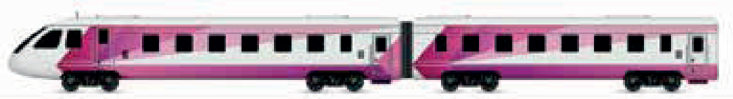

बोर्ड की 59 वीं बैठक	26 नवंबर 2020	10
बोर्ड की 60 वीं बैठक	24 दिसंबर 2020	8

निदेशकों के नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या		
	आयोजित	पात्रता	उपस्थिति
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	5	5	5
श्री रणजित सिंह देओल	5	5	5
श्री सुधांशुशेखर जोशी	5	5	5
श्री आर ए राजीव	5	5	5
श्री भूषण अशोक गगराणी	5	4	5
श्री सुबोध कुमार गुप्ता	5	5	5
श्री. अजयकुमार अमरनाथ भट्ट	5	5	5
श्री अबोध खंडेलवाल	5	5	5
श्री श्याम सुंदर दुबे	5	5	5
श्री जयदीप	5	5	4
श्री इकबाल सिंह चहल	5	5	0
श्री मनोज सौनिक	5	5	1
श्री प्रवीणसिंह प्रतापसिंह परदेशी	5	1	0

बोर्ड की दो बैठकों के मध्य समय-अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं रहा। बोर्ड की सभी बैठकों में पर्याप्त गणपूर्ति थी। बोर्ड की बैठकों के संचालन के लिए कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आइ.सी.एस.आई.) द्वारा जारी सचिवीय मानक-I ("एसएस-1") के अंतर्गत आवश्यक अनुपालन करती है।

ख) लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है।

लेखापरीक्षा समिति की गणपूर्ति में 2 सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति होगी।

लेखापरीक्षा समिति के गठन तथा इसकी बैठकों में उपस्थित सदस्यों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या		
			आयोजित	पात्रता	उपस्थिति

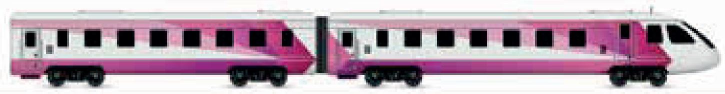

1	श्री श्याम सुंदर दुबे	नामित निदेशक/अध्यक्ष	2	2	2
2	श्री अजयकुमार ए भट्ट	निदेशक प्रणाली/सदस्य	2	2	2
3	श्री भूषण गगराणी	नामित निदेशक/अध्यक्ष	2	1	1
4	श्री रणजित सिंह देओल	प्रबंध निदेशक/स्थाई आमंत्रित	2	2	2
5	श्री अबोध खंडेलवाल	निदेशक/वित्त एवं सी एफ ओ स्थाई आमंत्रित	2	2	2

वित्तीय वर्ष 2020-21 में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन तारीख 17 सितंबर, 2020 तथा 22 दिसंबर 2020 को किया गया।

श्रीमती अश्विनी भिडे एवं श्री प्रवीणसिंह परदेशी की निदेशक के तौर पर कार्यभार समाप्ति होने के बाद बोर्ड की तारीख 26 जून, 2020 एवं 18 सितंबर, 2020 को आयोजित क्रमशः 57वीं व 58वीं बैठकों में लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया और तदनुसार प्रतिवेदन के दिन तक लेखापरीक्षा समिति की संरचना निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1	श्री श्याम सुंदर दुबे	नामित निदेशक/अध्यक्ष
2	श्री भूषण गगराणी	नामित निदेशक/सदस्य
3	श्री अजयकुमार ए. भट्ट	निदेशक प्रणाली/सदस्य
4	श्री रणजित सिंह देओल	स्थाई आमंत्रित
5	श्री अबोध खंडेलवाल	स्थाई आमंत्रित

ग) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन तथा 31 मार्च 2021 को आयोजित बैठक का विवरण निम्नवत है:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1	श्री श्याम सुंदर दुबे	अध्यक्ष	2	2
2	श्री भूषण गगराणी*	सदस्य	2	2

3	श्री रणजित सिंह देओल*	सदस्य	2	2

*श्रीमती अश्विनी भिडे और श्री प्रवीण सिंह परदेशी के निदेशक पद की समाप्ति के बाद निदेशक मंडल की 26 जून 2020 एवं 18 सितंबर 2020 को आयोजित क्रमशः 57वीं व 58वीं बैठकों में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया है।

2020-21 वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक का आयोजन 16 सितंबर, 2020 को किया गया। नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति की प्रतिलिपि इस प्रतिवेदन के साथ परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

घ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की गणपूर्ति में 2 सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति होगी।

वर्तमान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना तथा 31 मार्च 2021 को आयोजित बैठक के विवरण निम्नलिखित हैं-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या	
			पात्रता	उपस्थिति
1	श्री भूषण गगराणी*	अध्यक्ष	0	0
2	श्री रणजित सिंह देओल*	सदस्य	0	0
3	श्री अजयकुमार ए भट्ट	सदस्य	0	0

*श्रीमती अश्विनी भिडे का निदेशक पद का कार्यभार समाप्त होने पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का पुनर्गठन 26 जून, 2020 तथा 18 सितंबर, 2020 को आयोजित बोर्ड की क्रमशः 57वीं व 58वीं बैठकों में किया गया।

सीएसआर नीति मय सीएसआर व्यय एवं व्यय न हो पाने (यदि कोई हो) के कारणों के विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट II में संलग्न किए गए हैं।

च) शेयर आबंटन समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की शेयर आबंटन समिति का गठन किया है। यह समिति निदेशक मंडल की गैर-अनिवार्यता समिति है।

शेयर आबंटन समिति की गणपूर्ति में 2 सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति होगी।

शेयर आबंटन समिति के गठन एवं इसकी बैठकों में उपस्थित सदस्यों के विवरण नीचे दिए गए हैं:-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान बैठकों की संख्या	
			पात्रता	उपस्थिति
1.	श्री. श्याम सुंदर दुबे	नामित निदेशक/अध्यक्ष	2	2
2.	श्री. रणजित सिंह देओल	प्रबंध निदेशक /सदस्य	2	2
3.	श्री. प्रवीणसिंह प्रतापसिंह परदेशी*	नामित निदेशक/सदस्य	1	0
4.	श्री. भूषण गगराणी	नामित निदेशक/सदस्य	1	1

*श्री. प्रवीणसिंह प्रतापसिंह परदेशी का नामित निदेशक पद 10/08/2020 के प्रभाव से समाप्त हुआ है।

वर्ष के दौरान शेयर आबंटन समिति की बैठकें 29 जुलाई, 2020 तथा 16 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई।

हालांकि श्रीमती अश्विनी भिडे, डॉ नितिन करीर तथा श्री प्रवीण सिंह परदेशी के निदेशक पदों के कार्यभार की समाप्ति पर शेयर आबंटन समिति का पुनर्गठन 26 जून 2020 एवं 18 सितंबर, 2020 को आयोजित क्रमशः 57वीं व 58वीं बैठकों में किया गया। प्रतिवेदन की तिथि को शेयर आबंटन समिति की वर्तमान संरचना निम्नवत है:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1	श्री भूषण गगराणी	अध्यक्ष
2	श्री श्याम सुंदर दुबे	सदस्य
3	श्री रणजित सिंह देओल	सदस्य

10. निदेशक मंडल का वार्षिक मूल्यांकनः

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनिवार्यता के अनुसार निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल के वार्षिक मूल्यांकन हेतु एक मूल्यांकन ढांचा अंगीकृत किया है। नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति में दिए गए प्राचलों के अनुक्रम में निर्धारित मानदंडों के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति सभी निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन करती है। इसके अलावा निदेशक मंडल स्थापित प्राचलों के अनुसार निदेशकों, बोर्ड की समितियों तथा समग्र रूप से बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

11. कंपनी की वित्तीय अवस्था को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हो, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के मध्य घटित हुई हैं तथा जो प्रतिवेदन की तिथि

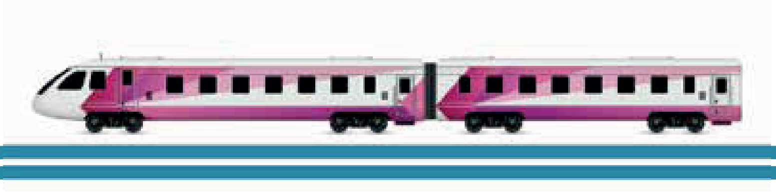

को वित्तीय विवरण से संबद्ध हैं:

प्रतिवेदन की तिथि तक कंपनी की वित्तीय अवस्था को प्रभावित करने वाले कोई उल्लेखनीय एवं तथ्यात्मक बदलाव या प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

12. वर्तमान में कंपनी के प्रचालन से सम्बद्ध स्थिति तथा भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालय या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित उल्लेखनीय तथा महत्वपूर्ण आदेशों के विवरण:

वर्ष 2020-21 में न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा अदालती मामलों में पारित ऐसे कोई उल्लेखनीय और तथ्यात्मक आदेश नहीं हैं जहां एमएमआरसी पक्षकार प्रतिवादी है।

13. जमा:

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है। साथ ही, कोई बकाया राशि भी नहीं है जो कंपनी (जमा राशियों की स्वीकृति) नियम, 2014 के दायरे में आती है।

14. सांविधिक लेखापरीक्षक:

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के प्रावधानों के अनुसरण में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत (कैग) के द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपने पत्र संख्या सी.ए.वी./सी.ओ.वाई./ केंद्र सरकार मुंबई मेट्रो (1)/74; दिनांक 18 अगस्त, 2021 के द्वारा मेसर्स चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट (1016 47) को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

इसके अलावा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा निदेशकों के प्रतिवेदन में आवश्यक प्रकटण में या केंद्र सरकार को दिए गए प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के संबंध में कोई धोखाधड़ी प्रतिवेदित नहीं की गई।

15. सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणियां:

सांविधिक लेखापरीक्षक मेमर्स चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वर्ष 2020-2021 के लिए वित्तीय विवरण का लेखापरीक्षण किया तथा इसे युक्तियुक्त पाया।

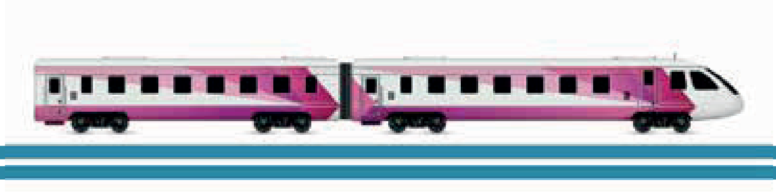

16. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कैग) का प्रतिवेदन:

वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरण का अनुपूरक लेखापरीक्षण कैग ने संचालित किया है जिसका प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

17. सचिवीय लेखापरीक्षक:

निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुक्रम में मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई को कंपनी के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। उनके सचिवीय लेखापरीक्षण की प्रति इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट III का भाग है।

18. ऊर्जा का संरक्षण, तकनीकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ऊर्जा के संरक्षण, तकनीकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के विवरण निम्नवत हैं:

क) ऊर्जा का संरक्षण	
I) उठाए गए कदमों का ऊर्जा के संरक्षण पर प्रभाव	ऊर्जा संरक्षण हेतु मुंबई मेट्रो लाइन-3 (एमएमएल-3) के लिए निम्नलिखित पहल की योजना तैयार की जा रही है: I) सभी मेट्रो स्टेशनों/डिपो पर एलईडी प्रकार की ऊर्जा की कम खपत करनेवाली विद्युत प्रणाली (साइनेज सहित) का उपयोग किया जाएगा। II) लिफ्ट और एस् के लेटर प्रणालियों में वीवीवीएफ (वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिकवेंसी) ड्राइव का उपयोग। III) भूमिगत, भूमि के ऊपर तथा सुरंग के मध्य में वेंटिलेशन शाफ्ट की ईसीएस एवं टीवीएस प्रणालियों पर 3 फेज वाले एसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए वेरिएबल स्पीड ड्राइवर (वीएसडी) का उपयोग। IV) भूमिगत स्टेशनों में पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली (ईसीएस) पर गर्मी के भार को कम करने के लिए पूरी ऊंचाई वाले प्लेटफार्म स्क्रीन दरवाजों का उपयोग करना। इससे ईसीएस में होने वाली ऊर्जा खपत में 35% तक की कमी का अनुमान है। V) ट्रेनों में आधुनिक वीवीवीएफ नियंत्रण प्रणोदक प्रणाली का उपयोग कर लगभग 30% ऊर्जा का पुनः उत्पादन करना। नो-लोड की अवस्था के दौरान एस्केलेटर की गति एवं ठहराव को कम करने के लिए सेंसरों का उपयोग। इससे नो-लोड/ निष्क्रिय अवस्था में लगभग 50% ऊर्जा की बचत करने में मदद मिलेगी।

II)	ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	एमएमआरसी में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों यथा , सौर ऊर्जा के उपयोग की दिशा में निम्नलिखित पहल की योजना बनाई जा रही है: I) प्रतिस्पर्धी बिडिंग प्रक्रिया के जरिए खुले बाजार में 50 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा की खरीद की योजना। II) प्रत्येक आरएसएस एवं सभी ढके हुए शेडों/ओसीसी की छतों पर सौर पी वी संयंत्र होंगे। इससेक्रमशः 0.03 तथा 2.5 एमवीपी सौर ऊर्जा के उत्पादन का अनुमान है। इस के अलावा, एमएमआरसी ने अपनी हरित प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में एमएमआरसी ट्रांजिट कार्यालय भवन की छत पर सौर पीवी 75 के वी पी संयंत्र की स्थापना की है। यह सौर संयंत्र नवंबर 2018 से कार्य कर रहा है।
III)	ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	ट्रांजिट कार्यालय की छत पर स्थापित 75 किलोवाट क्षमता वाले सौर पीवी संयंत्र के लिए पूंजी निवेश रुपए 54,49,500 है।
ख)	**तकनीकी अवशोषण**	
I)	तकनीकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास	i) मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेन प्रचालनों की गैर राजस्व गैर व्यस्ततम अवधियों के दौरान एलइडी प्रकाश व्यवस्था आवाजाही डिटेक्टरों तथा अधिकतम प्रकाश लक्स स्तर का स्वचालित नियंत्रण। ii) पुनः उत्पादन सहित वीवीवीएफ आधारित प्रणोदन प्रणाली। iii) कोचों में एलईडी प्रकाश व्यवस्था तथा वीवीएस ड्राइव इनवर्टर आधारित वातानुकूलन प्रणाली। iv) एमएमएल-3 सब स्टेशनों में गैस रोधी सब स्टेशनों का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि ये सुगठित, विश्वसनीय और लगभग रखरखाव मुक्त प्रणाली होते हैं। v) टीवीई तथा ईसीएस के एकीकृत एससीएडीए नियंत्रण के जरिए यात्री आराम एवं अर्थव्यवस्था हासिल की जा रही है। vi) अधिकतम प्रगति एवं ऊर्जा दक्षता हेतु एमएमएल-3 के लिए अनअटेंडेड ट्रेन प्रचालन, (यूटीओ) के साथ संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण (सीबीटीसी) का प्रस्ताव किया गया है। vii) एमएमएल-3 में एएफसी के लिए राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की शुरुआत की जा रही है। इस प्रणाली में एनसीएमसी कार्ड तथा मोबाइल ऐप के लिए एमएमआर नेपरिवहन के अन्य साधनों के साथ अंतर संचालन के लिए एकीकृत टिकट प्रणाली (आईटीएस) के साथ एकीकृत करने का भी प्रावधान होगा।

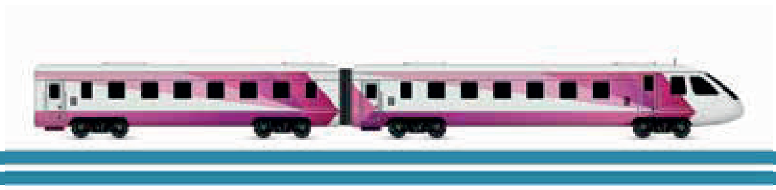

	viii) पहली बार ट्रेन से ओसीसी तक दोतरफा वीडियो संचार की शुरुआत की जा रही है।
II) उत्पाद में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद में विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसेलाभ हुए ;	रोलिंग स्टॉक के मुख्य उपकरण यथा , कनवर्टर/इनवर्टर इकाई, स्थैतिज इनवर्टर वीसीबी, डोर प्रणाली, पैंटोग्राफ, वीएसई आदि स्वदेशी होंगे।
III) आयातित तकनीकी की दशा में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत में पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान आयातित।)	लागू नहीं (एमएमएल-3 - परियोजना एक हरित क्षेत्र परियोजना है।)
a) आयातित तकनीक के विवरण	शून्य
b) आयात का वर्ष	
c) क्या तकनीकी का पूरी तरह अवशोषण किया गया।	शून्य
d) यदि पूरी तरह अवशोषण नहीं किया गया तो वह क्षेत्र बताएं जहां अवशोषण नहीं किया हुआ है एवं इसके क्या कारण हैं तथा;	लागू नहीं
IV) अनुसंधान तथा विकास पर उपगत व्यय	लागू नहीं
(ग) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय	
वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्वाहों के संदर्भ में अर्जित विदेशी मुद्रा तथा वास्तविक बहिर्वाहों के संदर्भ में वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय।	विदेशी मुद्रा अर्जन- शून्य विदेशी मुद्रा व्यय- रुपए 6,07,70,27,819/-

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(जी) के संदर्भ में ऋणों, निवेशों तथा प्रत्याभूति के विवरण:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी नेऐसे कोई ऋण नहीं दिए, कोई निवेश नहीं किए अथवा ना ही ऐसे किसी ऋण पर कोई प्रत्याभूति दी है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (जी) के प्रावधानों के दायरे में आते हैं। अतः इस संबंध में कोई प्रकटन दिया जाना आवश्यक नहीं है।

20. संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या करारों के विवरण:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या करारों के विवरण कंपनी अधिनियम,

2013 की धारा 188(1) में विहित प्रपत्र एओसी-2 में संदर्भित है जिसे परिशिष्ट IV के रूप में इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

21. वार्षिक रिटर्न का सार:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिटर्न का सार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रपत्र एम जी टी-9 में है जो इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'V' के साथ संलग्न किया गया है।

22. कर्मचारी:

(i) प्रतिमाह रुपए 8,50,000 या प्रतिवर्ष रुपए 1,02,00,000 से अधिक पारिश्रमिक वाला कोई भी कर्मचारी नहीं है। प्रकार्यात्मक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षित लेखो में यथा उल्लिखित किए गए हैं।

(ii) आगे, निदेशक मंडल एतद् द्वारा घोषित करते हैं कि कंपनी को समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2011 के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

23. जोखिम प्रबंधन नीति:

कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति के अनुक्रम में कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन नीति है। निदेशक मंडल/लेखापरीक्षा समिति जैसा उचित समझती है, इसकी नियमित समीक्षा एवं देखरेख करती है।

बोर्ड के मत में ऐसा कोई प्रत्यक्ष जोखिम नहीं है जिससे कंपनी के अस्तित्व को खतरा हो।

24. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण:

साथ ही, निदेशक मंडल वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धोखाधड़ी एवं चूक के मामलों, यदि कोई हो, का क्रमबद्ध तरीके से एवं दक्षता के साथ पता लगाया जाता है। आगे लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता का निर्धारण करने के लिए आंतरिक नीतियां एवं प्रक्रियाएं सुसंगत हैं तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करने हेतु प्रणाली सुव्यवस्थित है।

25. आइसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानकों के प्रावधानों का अनुपालन:

निदेशक मंडल एतद् द्वारा घोषित करता है कि आईसीएसआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 (10) के अंतर्गत एमसीए द्वारा अधिसूचित सचिवीय मानकों 1 (बोर्ड की बैठकों) तथा सचिवीय मानकों 2 (सामान्य बैठकों) के प्रावधानों का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किया गया।

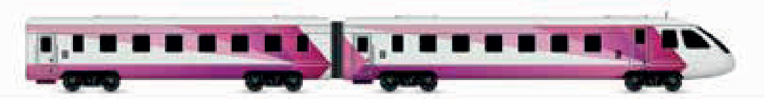

26. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशक एतद् द्वारा घोषित करते हैं कि

क) वार्षिक लेखों को तैयार करने के दौरान तथ्यात्मक विचलनों के संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है।

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया एवं उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया तथा फैसले और आकलन किए जो उचित व विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि के संबंध में कंपनी की स्थिति के बारे में सच्ची और स्पष्ट तस्वीर प्रदर्शित हो।

ग) निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण हेतु उचित पर्याप्त ध्यान रखा है।

घ) निदेशकों ने मौजूदा मामले के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए थे; तथा

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं, तथा ये प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावी रूप से संचालित हो रही हैं।

27. अभिस्वीकृतियां:

मैं, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (भारत सरकार), महाराष्ट्र सरकार; जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) और भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा महाराष्ट्र सरकार को उनकी मदद, समर्थन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं, बोर्ड के सदस्यों को भी समय-समय पर उनके मूल्यवान मार्गदर्शन, समर्थन और विवेकपूर्ण मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं, सभी कर्मचारियों के प्रयासों, उनके समर्पण एवं कठिन श्रम के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज कराना चाहूंगा, जिन्होंने देश के पूरी तरह भूमिगत मेट्रो रेल नेटवर्क में सुरंग बनाने के काम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आशा करता हूं कि उच्च प्रेरित कुशल कार्यबल की मदद से मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भविष्य में अपने सभी प्रयासों में सफल होगा।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर
(अध्यक्ष)
(डीआईएन: 02944212)

स्थान: मुंबई
तिथि: 30/09/2020

परिशिष्ट I

नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति

क्रम संख्या	अनुक्रमणिका	
1	उद्देशिका	
2	नीति के मुख्य उद्देश्य	
3	प्रभावी तिथि	
4	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन	
5	व्याख्या	
6	अनुप्रयोज्यता	
7	निदेशक मंडल/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशकों की नीति की अनुप्रयोज्यता	
8	समिति के सदस्य	
9	समिति की गणपूर्ति	
10	समिति की बैठकें	
11	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति तथा निष्कासन	
12	अवधि/कार्यकाल	
13	मूल्यांकन	
14	निष्कासन	
15	सेवानिवृत्ति	
16	निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों/वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक की नीति	
17	कार्यान्वयन	
18	संशोधन	

1. उद्देशिका:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (3) के प्रावधानों सहपठित अनुप्रयोज्य संबंधित नियमों, विनियमों के संदर्भ में कंपनी ने यह नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति बनाई है। यह नीति सरकारी कंपनियों के लिए लागू नीतियों के अनुक्रम में कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों एवं अन्य वरिष्ठ कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए लागू होगी।

2. नीति के मुख्य उद्देश्य:

इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नवत होंगे:

क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति और निष्कासन के संबंध में बोर्ड का मार्गदर्शन करना।

ख) वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों या कर्मचारियों के निष्पादन का मूल्यांकन करना तथा आगे के मूल्यांकन के लिए बोर्ड को आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध करना।

ग) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन को पारिश्रमिक के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना।

3. प्रभावी तिथि:

यह नीति बोर्ड द्वारा इसे अनुमोदित किए जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

4. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन:

निदेशक मंडल ने बोर्ड की 5 मार्च, 2016 तथा 27 मई, 2016 को आयोजित क्रमशः 38वीं और 39वीं बैठकों में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन समिति के संदर्भ की शर्तों के अधीन किया।

5. परिभाषाएं:

- "बोर्ड" से तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल से है।
- "निदेशक" से तात्पर्य कंपनी के निदेशक से है।
- "समिति" से तात्पर्य बोर्ड द्वारा गठित या पुनर्गठित कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति से है।
- "कंपनी" से तात्पर्य मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से है।
- "महाराष्ट्र सरकार" या "सरकार" से तात्पर्य महाराष्ट्र की राज्य सरकार होगा बशर्ते कि इस विषय में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

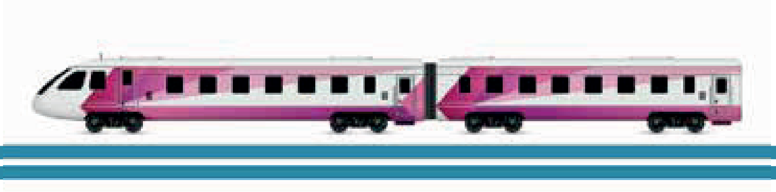

- "केंद्र सरकार" से तात्पर्य है भारत सरकार में भारत के राष्ट्रपति या इन के नामिती सम्मिलित होंगे।

- "स्वतंत्र निदेशक" से तात्पर्य है कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में संदर्भित निदेशक।

- "वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक" से तात्पर्य कंपनी के वे कार्मिक हैं जो, सिवाय निदेशक मंडल के, इनके कोर प्रबंधन दल के सदस्य हैं। इसमें कार्यपालक निदेशकों से नीचे प्रबंधन एक स्तर के सभी सदस्य सम्मिलित होंगे। इनमें सभी प्रकार्यात्मक प्रमुख सम्मिलित होंगे, चाहे उनके पदनाम कुछ भी हों।

- जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, इस नीति में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यांशों, जो यहां व्याख्यायित नहीं हैं परंतु समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 में व्याख्यायित हैं; उन्हें समनुदेशित किए गए संबंधित अर्थों के अनुसार रहेगा।

- जब तक आवश्यक न हो, इस नीति में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियों जो यहां वर्णित नहीं हैं किन्तु कंपनी अधिनियम, 2013 में वर्णित हैं और समय-समय पर संशोधित होती रही हैं, के अर्थ उन्हें क्रमशः समनुदेशित किए अनुसार होंगे।

6. अनुप्रयोज्यता:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई); दिनांक 5 जून, 2015 के संदर्भ में नामांकन तथा पारिश्रमिक नीति केवल निम्नांकितों के लिए लागू होगी:

क) प्रकार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशक (कंपनी के वर्तमान कर्मचारी और जिन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामित या नियुक्त नहीं किया गया हो।)

ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी के वर्तमान कर्मचारी)

ग) वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक

घ) अन्य कर्मचारी

संस्था की अंतर्नियमावली के अनुसार महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल पर नियुक्त किए गए निदेशकों पर इस नीति का कोई भी भाग लागू नहीं होगा।

7. निदेशक मंडल/प्रबंध निदेशकों/पूर्णकालिक निदेशकों पर इस नीति की अनुप्रयोज्यता:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 तथा कंपनी की संस्था की अंतर्नियमावली के संदर्भ में धारा 178 की उप धारा (2)(3) और (4) के प्रावधान कंपनी के निदेशक मंडल (जब तक कि वे कंपनी के कर्मचारी न हों) पर लागू नहीं होंगे। एक सरकारी कंपनी होने के कारण तथा

कंपनी की संस्था की अंतर्नियमावली के अनुसार प्रबंध निदेशक के लिए शर्तें, नियम, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार यदि प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है तो इस नीति का कोई भी भाग उनकी नियुक्ति और पारिश्रमिक पर लागू नहीं होगा। आगे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के संबंध में धारा 203 की उप धाराएं (1)(2)(3) तथा (4) के प्रावधान सरकारी कंपनी के प्रबंध निदेशक का पूर्णकालिक निदेशक ऊपर लागू नहीं होते हैं।

कंपनी की संस्था की अंतर्नियमावली के अनुसार महाराष्ट्र सरकार तथा भारत सरकार को कंपनी के निदेशक मंडल में कुछ निदेशकों को नामित और नियुक्त करने का अधिकार है। ऐसी नियुक्तियां इस नीति की परिधि से बाहर रहेंगी।

8. समिति के सदस्य:

समिति में न्यूनतम 3 निदेशक होंगे। समिति में 50% से अधिक सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे जो बहुमत में होंगे। समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा।

9. समिति की गणपूर्ति:

समिति की गणपूर्ति न्यूनतम दो निदेशकों से होगी । बहुमत अर्थात् समिति के 50% से अधिक सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होंगे।

10. समिति की बैठकें:

जैसा उचित समझा जाए, समिति की बैठकें वैसे समयों और अंतरालों पर आयोजित होंगी। समिति की बैठकों का आयोजन ऐसे किसी भी स्थल पर हो सकता है जो समिति के सदस्यों के लिए सुविधाजनक हो। सिवाय उन मामलों के जिन्हें कानून के द्वारा या किसी संविधि के अंतर्गत निश्चित किया गया हो, समिति की बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रावधान सम्मिलित होगा।

ऐसे किसी भी प्रस्ताव को, जो समिति की बैठक में पारित किया जाना प्रस्तावित हो, परिचालन द्वारा भी पारित किया जाएगा, बशर्ते कि उसे अन्यथा कानून द्वारा किसी भी संविधि के अंतर्गत निषिद्ध नहीं किया गया हो।

क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति और निष्कासन:

क) समिति के एमपी के रूप में या वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर व्यक्ति की नियुक्ति के लिए उसकी निष्ठा, योग्यता, विशेषज्ञता तथा अनुभव की पहचान करेगी तथा अभिनिश्चित करेगी एवं कंपनी की नीति के अनुसार उनकी सिफारिश करेगी।

ख) जिस व्यक्ति के पास पद के लिए पर्याप्त योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव हो, उसकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। व्यक्ति की योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव पद के लिए पर्याप्त/संतोषजनक है या नहीं, इसका निर्णय करने

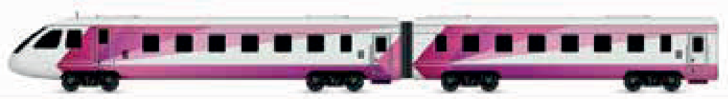

का प्राधिकार समिति के पास होगा।

ग) कंपनी ऐसे किसी भी व्यक्ति को कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में न तो नियुक्त करेगी या न ही, उसे रोजगार में जारी रखेगी जिसने 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। बशर्ते कि, इस पद को धारण करनेवाले व्यक्ति के कार्यकाल को शेयरधारकों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित कर के 70 वर्ष की आयु से आगे तक विस्तारित नहीं किया गया है।

11. अवधि/कार्यकाल

प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक:

जब तक प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, इस संबंध में उनकी शर्तें और कार्यकाल सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

स्वतंत्र निदेशक :

स्वतंत्र निदेशक कंपनी के निदेशक मंडल में लगातार पांच वर्षों के कार्यकाल तक रहेंगे तथा कंपनी द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने के उपरांत ही वे पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे/होंगी। ऐसी नियुक्ति का प्रकटन बोर्ड के प्रतिवेदन में किया जाएगा।

कोई भी स्वतंत्र निदेशक अधिकतम प्रत्येक 5 वर्षों के दो लगातार कार्यकालों से अधिक के लिए पद पर नहीं रह सकता/सकती है। लेकिन ऐसे स्वतंत्र निदेशक पद समाप्ति के 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात नियुक्ति के योग्य होंगे।

तथापि, स्वतंत्र निदेशक 3 वर्षों की अवधि के दौरान कंपनी में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: न तो नियुक्त होंगे या न ही, संबद्ध होंगे।

12. मूल्यांकन:

समिति प्रतिवर्ष या जैसा आवश्यक समझे, ऐसे अंतरालों पर मुख्य प्रबंधकीय तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के निष्पादन का मूल्यांकन करेगी।

13. निष्कासन:

कंपनी अधिनियम, 2013, नियमों एवं विनियमों तथा कंपनी की नीति के प्रावधानों और अनुपालन के अध्यधीन कंपनी लिखित कारणों को दर्ज कर किसी भी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के निष्कासन की सिफारिश कर सकती है।

14. सेवानिवृत्ति:

अधिनियम के अनुप्रयोज्य प्रावधानों तथा कंपनी की वर्तमान नीति के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक एवं वरिष्ठ

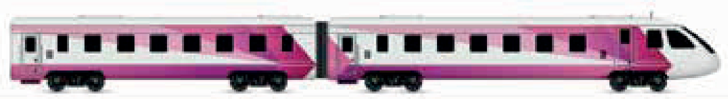

प्रबंधन कार्मिक सेवानिवृत्त होंगे। कंपनी के लाभ के लिए मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक व वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की सेवानिवृत्ति की आयुपूर्ण हो जाने के पश्चात भी उन्हें समान पद/पारिश्रमिक पर या अन्यथा रूप से बरकरार रखने का विवेकाधिकार बोर्ड के पास होगा।

15. निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों/वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक के लिए नीतिः

गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को पारिश्रमिक

क) गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञेय बैठक शुल्क एवं अन्य पारिश्रमिक प्राप्त होंगे। बैठक शुल्क की राशि नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई संस्तुतियों और निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुरूप होगी।

ख) गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों के सभी पारिश्रमिक (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(5) के अंतर्गत यथा - निर्धारित बैठकों की उपस्थिति के लिए पारिश्रमिक को छोड़कर) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दी गई सीमाओं, मर्यादाओं तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा तत्समय लागू अन्य अधिनियमों के अधीन होंगे। ऐसे पारिश्रमिक की राशि नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई संस्तुतियों और निदेशक मंडल या शेयरधारकों जैसी स्थिति हो, के अनुमोदन के अनुरूप होगी।

ग) स्वतंत्र निदेशक स्टॉक विकल्पों को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा और कंपनी के किसी भी शेयर आधारित भुगतान स्कीमों में भाग लेने के लिए भी पात्र नहीं होगा।

घ) पेशेवर प्रकृति की प्रदान की गई सेवाओं के लिए गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए कोई भी पारिश्रमिक उपयुक्त खंड (ख) के उद्देश्यों के लिए पारिश्रमिक के तब तक भाग नहीं होंगे जब तक कि निम्नलिखित शर्ते पूरी न होंः

i) ऐसे निदेशक द्वारा उनकी क्षमता में पेशेवर के रूप में सेवाएं प्रदान की गई हों; तथा

ii) समिति के मत में वह निदेशक उस पेशे के निष्पादन के लिए आवश्यक योग्यता रखता/रखती हो।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक

क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक में स्थाई वेतन तथा प्रोत्साहन शामिल हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन तथा कंपनी की नीतियों के अनुसार होते हैं।

ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक बाजार मानकों या महाराष्ट्र सरकार तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार तय किए जाते हैं।

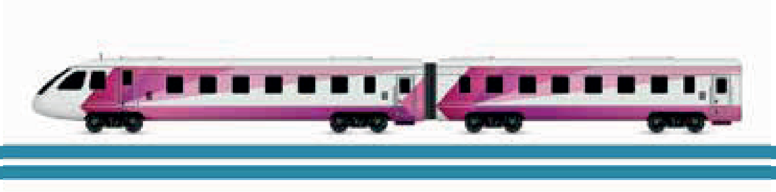

16. कार्यान्वयन:

क) यह पारिश्रमिक नीति मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा निदेशक मंडल सहित कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के साथ भविष्य में होने वाले सभी रोजगार करारों पर लागू होगी जैसे, निदेशक मंडल द्वारा इस नीति के अंगीकरण के पश्चात की गई नियुक्तियां। निदेशक मंडल द्वारा इस नीति के अधिकरण के पूर्व की गई ऐसी किसी भी नियुक्तियों को उक्त नियुक्तियों के नियमों व शर्तों में पुनरीक्षण, आशोधन या किसी भी परिवर्तनों के समय इस नीति के प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

ख) अन्य संदर्भों में यह पारिश्रमिक नीति बोर्ड का मार्गदर्शन करेगी। इस नीति के कोई भी या सभी प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013, संबंधित नियम और विनियम विषय के बारे में समय-समय पर अधिसूचित दिशानिर्देशों में किए गए पुनरीक्षण/ संशोधन के अध्यधीन होंगे। ऐसा कोई भी संशोधन नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और/ या निदेशक मंडल के किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता के बगैर इस नीति को स्वत: संशोधित करने के लिए प्रभावकारी होगा। तथापि ऐसे संशोधन को इस नीति के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जाएगा और उसे सभी संबंधित व्यक्तियों के सुलभ संदर्भ के लिए कंपनी की वेबसाइट पर डाला जाएगा तथा अगली बैठक में नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति व निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

ग) इस नीति के बेहतर कार्यान्वयन हेतु समिति जैसा उपयुक्त समझे, दिशानिर्देश, फॉर्मेट, प्रतिवेदन कार्य पद्धति तथा अनुपूरक मैनुअल जारी कर सकती है।

घ) समिति अपने अधिकारों को अपने एक या एक से अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित कर सकती है।

17. संशोधन:

निदेशक मंडल कोई भी कारण बताए बिना इस नीति में किसी भी समय संशोधन या आशोधन या पुनरीक्षण कर सकता है। ऐसे आशोधन या संशोधन इस नीति के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न किए जाएंगे तथा बोर्ड की बैठक एवं समिति की बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित किए जाने आवश्यक होंगे।

दूरभाष : 022-22831120
022-22831134

रागिनी चोकशी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
34 कमेर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, 38 कावसजी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400001
ईमेल: ragini.c@rediffmail.com/mail@csraginichokshi.com
Web: csraginichokshi.com

प्रपत्र संख्या : एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

(31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014] के अनुसरण में

प्रति
सदस्यगण
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ट्रांजिट कार्यालय, ई ब्लॉक,
सिटी पार्क के उत्तर में ,
आयकर कार्यालय के पीछे,
ए विंग, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा-कुर्ला संकुल,
मुंबई-400051

हमने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन U60100MH2008SGC181770) (आगे इसे 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा अनुप्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा कॉर्पोरेट सुशासन के अनुवर्तज्ञ का सचिवीय लेखापरीक्षण संचालित किया है। सचिवीय लेखापरीक्षण इस प्रकार किया गया है जिससे हमें निगम आचरणों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपने अभिमत को व्यक्त करने का पर्याप्त आधार मिला।

कंपनी द्वारा अनुरक्षित मुंबई रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों तथा फाइल किए गए रिटर्नों और अन्य अभिलेखों एवं साथ ही, सचिवीय लेखापरीक्षा संचालन के दौरान कंपनी द्वारा इनके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी तथा कोविड-19 महामारी के कारण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा दी गई छूटों के पर विचार करते हुए हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर हम अपने मत में एतद् द्वारा प्रतिवेदित करते हैं कि 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान कंपनी ने यहां नीचे सूचीबद्ध प्रावधानों का अनुपालन किया है, तथा यह भी कि कंपनी के पास उपयुक्त बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन क्रियाविधि उस सीमा में हैं जो यहां नीचे दिए गए प्रतिवेदन के अनुरूप और अध्यधीन हैं:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा अनुरक्षित पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों तथा फाइल किए गए रिटर्नों और अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा इसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, ('एससीआरए') तथा इसके तहत बनाए गए नियम; **(वित्तीय वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके तहत बनाए गए विनियम एवं उपविधि; **(वित्तीय वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

(iv) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्य उधारों की सीमा के तहत बनाए गए नियम एवं विनियम; **(वित्तीय वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

(v) निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं; **(वित्तीय वर्ष के दौरान लागू नहीं)**

क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधीनीकरणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015

ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2019

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ)

च. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008

छ. कंपनी अधिनियम, 2013 एवं ग्राहकों के साथ संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम के पंजीयक और शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का गैर-सूचीकरण) विनियम, 2009

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 2018

(vi) कंपनी के लिए लागूनिम्नलिखित विशिष्ट सेक्टर कानून :

क. मेट्रो रेल (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978

ख. मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002

ग. मेट्रो रेल (संशोधन) अधिनियम, 2002

घ. भारतीय रेल अधिनियम, 1890

कंपनी द्वारा प्रकार्य प्रमुखों एवं विभिन्न ठेकेदारों से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर हमने उपर्युक्त उल्लिखित सांविधिकों के अनुपालन पर विश्वास किया है।

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानको यथा, एसएस-1 और एसएस-2 के अनुप्रयोज्य उपबंधों के साथ भी हमने अनुपालन का परीक्षण किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित के सिवाय कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के साथ उपयुक्त उल्लिखित नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों का अनुपालन किया है:

- *कंपनियों (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम 2014 के नियम 3 की अनिवार्यता के अनुसार कंपनी ने मंडल पे किसी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।*

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि प्रतिवेदित अवधि के दौरान:

कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों का उपयुक्त संतुलन बनाए रखने हेतु कंपनी का निदेशक मंडल विहित रूप से गठित है। **(चूंकि कंपनी एक संयुक्त उपक्रम है इसलिए यह कंपनियों (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम 2014 के नियम 3, उपनियम (2) यहां लागू नहीं है)।**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव किए गए वेअधिनियम के प्रावधानों केअनुपालन में हैं।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों की समयबद्धता के लिए पर्याप्त सूचना दी गई तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम 7 दिन अग्रिम भेजी गईं। बैठक के पहले तथा बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए कार्यसूची के मदों के बारे में आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण की मांग करने एवं उन्हें प्राप्त करने के बाबत एक प्रणाली विद्यमान है।

अधिकांश निर्णय विसम्मत सदस्यों के मतों पर चर्चा करने के उपरांत लिए जाते हैं। सदस्यों के मतों को दर्ज कर उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

कंपनी के आकार के अनुरुप तथा प्रचालनों की निगरानी करने के लिए तथा विद्यमान कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि प्रतिवेदित अवधि के दौरान कंपनी के प्रबंधन में निम्नांकित परिवर्तन हुए हैं-:

- **प्रतिवेदित अवधि के दौरान नियुक्ति :**

  1) श्री मनोज सौनिक (डीआईएनः 02954463) को 08/05/2020 के प्रभाव से कंपनी का नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

  2) श्री इकबाल सिंह चहल (डीआईएनः 08727394) को 08/05/2020 के प्रभाव से कंपनी का नामित

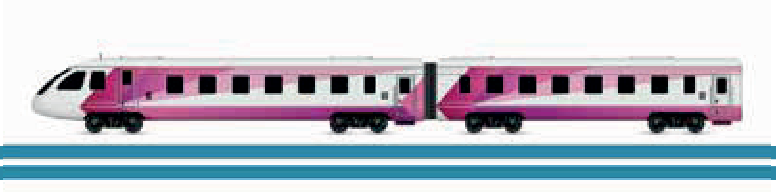

निदेशक नियुक्त किया गया है।

3) श्री भूषण गगराणी (डीआईएन: 00204045) को 10/08/2020 के प्रभाव से कंपनी का नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

▶ **प्रतिवेदित अवधि के दौरान सेवा समाप्ति:**

1) श्री प्रवीण सिंह परदेशी (डीआईएन: 07683381) का कंपनी में नामित निदेशक पद 10/08/2020 के प्रभाव से समाप्त हुआ है।

26 जून 2020 और 26 नवम्बर 2020 को हुई निदेशक मंडल की बैठकें में किए गए अनुमोदन तथा पारित प्रस्तावों के अनुसार भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार के नामितों के निम्नलिखित राइट्स इश्यू जारी किए गए।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि प्रतिवेदन के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों के एवं यहां नीचे दिए गए नियमों के विहित अनुपालन के क्रम में भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के नामितों को राइट्स इश्यू जारी किए।

1) 26 जून 2020 को प्रत्येक रुपए 100 के 4,00,00,000 इक्विटी शेयर के राइट्स ऑफर किए गए; जिन्हें 29 जुलाई, 2020 को आबंटित किया गया।

2) 26 नवंबर, 2020 को प्रत्येक रुपए 100 के 2,00,00,000 इक्विटी शेयर के राइट्स ऑफर किए गए, जिन्हें 16 दिसंबर 2020 को आबंटित किया गया।

रागिनी चोकशी एंड कंपनी
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई
तिथि : 02/08/2021

हस्ताक्षर/-
किरण ठाकेर (पार्टनर)
एफसीएस संख्या: 2316
सीपी संख्या: 21210
यूडीआईएन F002316B000693699

नोट: तीसरी रिपोर्ट को हमारे सम तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो कि इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

दूरभाष : 022-22831120
022-22831134

रागिनी चोकशी एंड कंपनी

कंपनी सचिव

34 कमेर बिल्डिंग, 5वीं मंजिल, 38 कावसजी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400001
ईमेल: ragini.c@rediffmail.com/mail@csraginichokshi.com
Web: csraginichokshi.com

परिशिष्ट

प्रति
सदस्यगण
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ट्रांजिट कार्यालय, ई ब्लॉक,
सिटी पार्क के उत्तर में ,
आयकर कार्यालय के पीछे,
ए विंग, बांद्रा (पूर्व), बांद्रा-कुर्ला संकुल,
मुंबई-400051

समतिथि के हमारे प्रतिवेदन को इस परिशिष्ट के साथ पढ़ा जाए।

1) सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी केप्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व हमारेलेखापरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर मत व्यक्त करना है।

2) हमने लेखापरीक्षण की प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है, क्योंकि सचिवीय अभिलेखों की विषय सूची की शुद्धता के बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए यह उपयुक्त था। सत्यापन परीक्षण आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हो। हमारा यकीन है कि जिन प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का हमने पालन किया हैवेहमारेमत के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध कराती हैं।

3) हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा पुस्तिकाओं शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है। 4) जहां कहीं आवश्यक हुआ, हमने विधि, नियमों और विनियमों तथा घटनाक्रमों आदि केअनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व हासिल किया है।

5) देश में COVID-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण, कंपनी ने सचिवीय ऑडिट आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर किया गया था।

6) निगम के प्रावधानों तथा अनुप्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों केअनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं केसत्यापन तक सीमित थी।

7) सचिवीय लेखापरीक्षण ना तो कंपनी की भविष्यगत व्यवहार्यता के बारे में आश्वस्त करता है, ना ही ऐसी प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन देता है, जिसके जरिए प्रबंधन ने कंपनी केमामलों का संचालन किया है।

राणिनी चोकशी एंड कंपनी
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर/-
किरण ठाकेर (पार्टनर)
एफसीएस संख्या: 2316
सीपी संख्या: 21210
यूडीआईएन F002316B000693699

स्थान : मुंबई
तिथि : 02/08/2021

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निदेशकों के प्रतिवेदन का परिशिष्ट-IV

प्रपत्र संख्या : एओसी-2

(अधिनियम की धारा 134 की उप धारा के खंड(एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

तृतीय उपबंध के अंतर्गत कुछ बृहत आकार केलेन-देन सहित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा प्रविष्ट की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र।

1.	**बृहत आकार की संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन-देन के विवरण।**	
क)	संबंधित पक्षकारों के नाम तथा संबंध की प्रकृति।	**लागू नहीं**
ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन-देन की प्रकृति	
ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन-देन की अवधि।	
घ)	मूल्य (यदि कोई हो) सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन-देन की मुख्य शर्तें	
च)	ऐसी संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन-देन में प्रविष्ट होने का औचित्य	
छ)	बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन की तिथियां	
ज)	अग्रिमों के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	
झ)	वह तिथि जब धारा 188 के प्रथम उपबंध के अंतर्गत यथा वश्यक सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया	
2.	**महत्वपूर्ण संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन-देन जो बृहत आकार आधारित नहीं हैं, के विवरण।**	
क)	संबंधित पक्षकारों के नाम तथा संबंध की प्रकृति	**लागू नहीं**
ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन-देन की प्रकृति	
ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन-देन की अवधियां	
घ)	मूल्य (यदि कोई हो) सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन-देन की मुख्य शर्तें	
च)	बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदनों की तिथियां, यदि कोई हो	
छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	

निदेशक मंडल, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के लिए एवं की ओर से

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 24/12/2020

हस्ताक्षर/-
अध्यक्ष

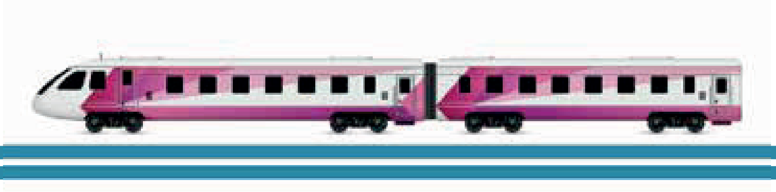

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(नौवहन), मुंबई

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(SHIPPING), MUMBAI.

सत्यमेव जयते

गोपनीय/शीघ्र डाक

संख्या: जीए/सीए-I/लेखा/MMRCL/2020-21/178

दिनांक-24/09/2021

सेवा में,
प्रबंध निदेशक
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एम एम आर सी ट्रांसिट ऑफिस बिल्डिंग, 'A' विंग, 'E' ब्लॉक,
North Side of City Park, Behind Income Tax Office,
Bandra Kurla Complex, Bandra East
मुंबई- 400051

विषय:- 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा दी गई टिप्पणियाँ इस पत्र के साथ संलग्न हैं। टिप्पाणियों को मुद्रित वार्षिक प्रतिवेदन के विषयसूची में उचित संकेत सहित सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के आगे रखा जाये।

वार्षिक सामान्य बैठक के समापन के पश्चात, वित्तीय विवरणों, सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पाणियों को अपनाते हुए सामान्य वार्षिक बैठक की कार्यवाही की एक प्रतिलिपि इस कार्यालय को अविलंब अग्रेषित की ज़ाए। मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट की दस प्रतियाँ भी इस कार्यालय को भेजी जायें।

कृपया इस पत्र एवं संलग्नकों की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय,

(पी.वी. हरि कृष्णा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई

संलग्न: यथोपरि।

सातवीं मंजिल, आर.टी.आई. बिल्डिंग, प्लॉट नं. सी-2, जी. एन. ब्लॉक, एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूट के पीछे, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Seventh Floor, R.T.I. Building, Plot No. C-2, G. N. Block, Behind Asian Heart Institute, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E). Mumbai - 400 051.
प्रशासन : 26520873 • प्रतिवेदन : 26502843 • फैक्स : 26527165 • ई-मेल : pdashippingmum@cag.gov.in

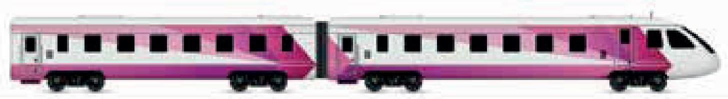

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में विहित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की होती है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) में वित्त लेखाकरण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षण पर अधिनियम की धारा 143 के आधार पर अपना अभिमत अभिव्यक्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसा उनके दिनांक 02 अगस्त, 2021 के लेखापरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा कहा गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की तरफ से अधिनियम की धारा 143(6) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षण स्वतंत्र रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्य प्रपत्रों को देखे बगैर किया गया है और यह प्राथमिक रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से की गई पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण अभिलेखों के परीक्षण तक ही सीमित है।

अपने अनुपूरक लेखापरीक्षण के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने लाना चाहता हूं, जो मेरी जानकारी में आई है तथा मेरी राय में यह वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन को बेहतर तरीके से समझने के लिए आवश्यक है।

भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए
एवं की ओर से

पी. वी. हरि कृष्णा
मुख्य निदेशक लेखापरीक्षण (पोत परिवहन)

स्थान : मुंबई
दिनांक 24.09.2021

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

प्रति,

सदस्य,

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (कंपनी) और यहां संलग्न वित्तीय विवरणों का जिसमें कि 31 मार्च, 2021 तक के तुलन पत्र, तथा लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) उसी समाप्ति वर्ष की इक्विटी के विवरण और नकदी प्रवाह के विवरण में हुए बदलाव तथा वित्तीय विवरणों पर हमारी टिप्पणियों के साथ महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और व्याख्यात्मक जानकारी (जिसे आगे वित्तीय विवरण कहा गया है) आदि शामिल हैं, का लेखापरीक्षण किया है।

   हमारी राय और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्वोक्त वित्तीय विवरणों में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की आवश्यकता के अनुसार दी गई जानकारी भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के 31 मार्च, 2021 तक किए गए कारोबार उसकी हानियां अन्य व्यापक आय, इक्विटी के बदलाव और नकदी प्रकार का सही और उचित विवरण दर्शाती हैं।

अभिमत का आधार

2. हमने लेखापरीक्षण, अधिनियम की धारा 143 (10) में विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुसार किया है। मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षण खंड में दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता तथा इसके अंतर्गत आनेवाले अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के तहत आचार गत अनिवार्यताओं के अनुसार हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों का स्वतंत्र होकर लेखापरीक्षण किया है। हम यह मानते हैं, कि हमने जो लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह हमारे मत को पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करती हैं।

वित्तीय विवरणों तथा लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी

3. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक प्रतिवेदन में दी गई जानकारी खासकर निदेशकों के प्रतिवेदन से संलग्न अनुबंधों सहित निदेशकों का प्रतिवेदन शामिल है पर इसमें वित्तीय

विवरण तथा हमारी लेखापरीक्षण रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य जानकारी हमें इस लेखापरीक्षण रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित है।

वित्तीय विवरण के बारे में हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है, तथा हमने उसके बारे में कोई अंतिम आश्वासन अभिव्यक्त नहीं किया है।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के संबंध में हमारा उत्तरदायित्व ध्यान में आई अन्य जानकारी जब वह उपलब्ध होती है को समझना है, और ऐसा करने के दौरान यह भी विचार करना है, कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरण से असंगत है या लेखापरीक्षण के दौरान मिली जानकारी से जुड़ी नहीं है या मूलतः असंगत है।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं और हमारे निष्कर्ष में वह वास्तव में गलत होती है तो हमें इसकी जानकारी उन्हें देने की जरूरत होगी जिन पर नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी होती है तथा इस संबंध में प्रबंधन द्वारा उठाए गए कार्यों का पुनरीक्षण भी करना होगा ताकि अन्य जानकारी यदि पहले दी गई है, तो प्राप्त करनेवाले को संशोधित पाठ के बारे में सूचित किया जा सके।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

4. कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा, 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखाकरण मानकों सहित सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के नकदी प्रवाह, इक्विटी में बदलाव, वित्तीय निष्पादन (अन्य व्यापक आय सहित) तथा वित्तीय स्थिति की सही और उचित तस्वीर देनेवाले इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में दिए गए तथ्यों के लिए जिम्मेदार होता है।

इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनसे बचाव के लिए उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन और उनका प्रयोग, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण प्राक्कलन और निर्णय लेना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कार्यान्वयन और उन्हें जारी रखना, जो लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता के लिए पूर्व में बेहतर तरीके से परिचालित हो रहे थे और वित्तीय विवरण जो सही और उचित स्थिति दर्शाते हैं, और धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त होते हैं, शामिल होते हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होती है, कि वह वर्तमान स्थिति में कंपनी के चलने और इससे जुड़ी लेखाकरण प्रतिकूलताओं को सामने लाने का प्रयास करे जब तक कि प्रबंधन के पास कंपनी को परिसमाप्त करने या प्रचालन बंद करने या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

वे सभी निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

5. हमारा उद्देश्य इस आशय का उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण तौर पर वित्तीय विवरण में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत बयानी तो नहीं हुई है, और फिर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल होती है। उपयुक्त आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन होता है, पर इस बात की गारंटी नहीं होती कि मानक लेखाकरण प्रक्रिया के अनुसार लेखापरीक्षण में हुई महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता चल ही जाए, गलत बयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब एकल या सामूहिक रूप से इनका प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय को प्रभावित करती हो।

मानक लेखाकरण के अनुसार लेखापरीक्षण का एक भाग होने के कारण हम पूरे लेखापरीक्षण के दौरान एक प्रोफेशनल की तरह व्यवहार करते हैं साथ ही किसी तरह का संशय नहीं रखते।

- वित्तीय विवरणों में हुई महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम की पहचान और आकलन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, इन जोखिमों के अनुक्रियात्मक लेखापरीक्षण प्रक्रिया को डिज़ाइन करना और उनका निष्पादन तथा लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामत: हुई गलत बयानी को नहीं पता लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामत: हुई गलत बयानी से ज्यादा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में दूरभिसंधि, जालसाज़ी, जानबूझकर की गई चूक, अन्यथा कथन या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल होती है।

- लेखापरीक्षण के प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना ताकि एक ऐसी लेखापरीक्षण प्रक्रिया को डिज़ाइन किया जा सके जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस तथ्य पर भी अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है और इनका प्रचालन प्रभावी है।

- उपयोग में लाई जाने वाली लेखाकरण नीतियों की पर्याप्तता तथा लेखाकर्म प्राक्कलनों की उपयुक्तता जो प्रबंधन द्वारा बताए जाते हैं, का आकलन।

- लेखाकरण के वर्तमान आधार तथा प्राप्त किए लेखाकरण साक्ष्य के आधार पर इनका प्रबंधन द्वारा पर्याप्त उपयोग, घटना या स्थितियां जो महत्वपूर्ण अनिश्चितता के विद्यमान रहने को लेकर होती हैं, पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना। यदि हम समापन के रूप में यह लिखते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें अपने लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वित्तीय विवरण में संबंधित प्रकटन की ओर ध्यान आकृष्ट करना या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हो तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होता है। हमारा समापन हमारे लेखापरीक्षण रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य पर आधारित होता है। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं।

- प्रकटन सहित वित्तीय विवरण की सभी प्रस्तुति, और उसमें शामिल तथ्यों का मूल्यांकन कि क्या वित्तीय

विवरण सभी लेनदेन को उचित तरीके से दर्शाता है।

वित्तीय विवरण में गलत बयानी किस स्तर तक हुई है यह महत्वपूर्ण होता है, जो इस बात की संभावनाओं को जानने का अवसर देता है कि इन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के उपयुक्त ज्ञान के क्रम में लिए गए आर्थिक निर्णयों को एकल या सामूहिक रूप से कितना प्रभावित करती है। हम, (i) हमारे लेखापरीक्षण कार्य के क्षेत्र और हमारे कार्य के परिणाम के मूल्यांकन और (ii) वित्तीय विवरण में किसी चिन्हित गलत बयानी के प्रभाव के मूल्यांकन, के क्रम में मात्रात्मक और गुणात्मक महत्व पर विचार करते हैं।

हम अन्य बातों के साथ लेखापरीक्षण के नियोजित क्षेत्र और उसमें लगे समय तथा हमारे ध्यान में आई महत्वपूर्ण जानकारियां और इस दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई कमियों के बारे में शीर्ष प्रबंधन को जानकारी देते हैं।

हम शीर्ष प्रबंधन को इस आशय का एक विवरण भी प्रदान करते हैं, कि हमने निरपेक्ष रूप से संबंधित अनिवार्यताओं को समेकित किया है साथ ही यह भी स्पष्ट करते हैं कि हम पूरी तरह निरपेक्ष रहे और जहां कहीं भी लागू हो संरक्षण के उपाय किए गए हैं।

अन्य विधिक और नियामक अनिवार्यताओं पर प्रतिवेदन

7. अधिनियम की धारा 143 उप धारा (ii) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी आदेश 2016 ("आदेश") के अंतर्गत कंपनियों (लेखापरीक्षण रिपोर्ट) में जैसा आवश्यक होता है वैसा हमने आदेश के तीन और चार में विनिर्दिष्ट विवरण '**अनुबंध-I**' में दिया हुआ है।

8. अधिनियम की धारा 143(3) की अनिवार्यताओं के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि -

क) हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षण के उद्देश्य से सभी आवश्यक जानकारी तथा स्पष्टीकरण जो हमने मांगे थे, हमें प्राप्त हुए हैं।

ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून की जरूरतों के अनुसार खातों का रखरखाव किया गया है जैसा हमें इन खातों के परीक्षण से प्रतीत होता है।

ग) इस प्रतिवेदन से जुड़ा तुलन पत्र, हानि और लाभ का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) इक्विटी में बदलाव का विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुसार है।

घ) हमारी राय में पूर्वोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट तथा इसके अंतर्गत जारी संबंधित नियमों के साथ पढ़े जानेवाले भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुसार है।

च) 31 मार्च 2021 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभिवेदन के आधार पर जिसे निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार किया गया है, 31 मार्च 2021 तक किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार

निदेशक नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

छ) कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का पर्याप्त होना तथा ऐसे नियंत्रणों के सही तरीके से प्रभावी होने के संबंध में अनुबंध 'सी''में हमारा अलग प्रतिवेदन देखें।

ज) यह एक सरकारी कंपनी है तदनुसार जून 5, 2015 की अधिसूचना जी.एस.आर. 463(3) के अनुसार धारा 197 के प्रावधान जिसे अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ा जाता है, लागू नहीं होता।

झ) कंपनियों (लेखापरीक्षण और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण हमारी राय एवं हमारी अधिकतम जानकारी के हिसाब से निम्नानुसार है।

i) कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के पड़नेवाले प्रभावों का उल्लेख वित्तीय विवरण में किया है-वित्तीय विवरण का नोट 22.1 देखें।

ii) मार्च 31, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान दीर्घकालिक संविदा के कारण कंपनी को कोई बड़ी हानि नहीं हुई है। कंपनी के पास कोई भी व्युत्पन्न संविदा नहीं है।

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण के लिए जरूरी राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है।

9. अधिनियम की धारा 143(5) के अधीन भारत सरकार के नियंत्रक और लेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हम निम्न अनुसार प्रतिवेदित करते हैं :-

i) लेखा पुस्तिकाओं के सत्यापन के आधार पर हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी टैली ईआरपी-9 (शृंखला 6.4.3) का मुख्य लेखाकरण प्रणाली के रूप में उपयोग करती है तथा इसके पास एकल एकीकृत आईटी अनुप्रयोज्यता (एप्लिकेशन) नहीं है। अनुमोदनों की प्रक्रियाओं एवं प्राप्तियों के उद्देश्य के लिए संव्यवहारों को प्राप्त करने एवं अभिलेखित करने के लिए बहु-अनुप्रयोज्यताओं का उपयोग करती है। इन अनुप्रयोज्यताओं तथा टैली ईआरपी के बीच मैनुअल इंटरफेस होता है।

मैनुअल इंटरफेस का उपयोग करते हुए बहुविध आईटी एप्लिकेशन के उपयोग से लेखाकरण लेनदेन के प्रक्रमण के दौरान एक एप्लिकेशन से दूसरी एप्लिकेशन में डेटा के हस्तांतरण में त्रुटि का जोखिम हो सकता है जिसका परिणाम वित्तीय विवरणों में गलत बयानी के रूप में दिख सकता है। तथापि, इस जोखिम को कम करने के लिए कंपनी के पास प्रतिकर निवारक नियंत्रण का मैनुअल तरीका है।

ii) हमें दी गई जानकारी के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर कोई भी ऋण पुर्नभुगतान के लिए बकाया नहीं है अतएव पुनः संरचना / परित्याग का सवाल उत्पन्न नहीं होता। किसी भी कर्ज़ को

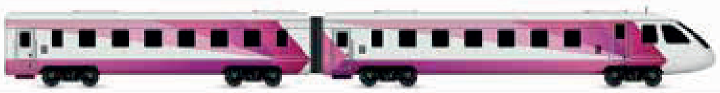

बट्टा खातेमें नहीं डाला गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ऋण का पुनर्भुगतान बकाया नहीं है। फिर भी, कंपनी ने जेआईसीए ऋण ब्याज के लिए पर्याप्त प्रावधान कर लिया है।

iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर कंपनी के पास मुंबई मेट्रो लाइन-3 (कोलाबा-बान्द्रा-सीप्ज़) के निर्माण की केवल एक परियोजना (योजना) है। ऋण देने, निवेश करनेवाली एजेंसियो से प्राप्त निधि का उक्त परियोजना के लिए उपयोग किया गया है और हमें इसमें कोई विचलन नजर नहीं आया है।

कृते
चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या 101647W

अंबेश दवे
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 049289
यूडीआईएन : 21049289AAACY5327

स्थानः मुंबई
दिनांकः 2 अगस्त, 2021

लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का 'अनुबंध I'

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर **मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के सदस्यों के लिए हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेद 7 में संदर्भित अनुबंध देखें।

1. क) कंपनी द्वारा उसकी अचल आस्तियों का रिकॉर्ड जिसमें उनकी मात्रा तथा उनकी स्थिति से संबंधित विवरण शामिल हैं, सही तरीके से रखा गया है।

ख) कंपनी के पास उसकी अचल आस्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 3 वर्ष की अवधि में सभी अचल आस्तियों का चरणबद्ध तरीके से सत्यापन किया जाता है। हमारी राय में व्यय के हिसाब से इस प्रकार का प्रत्यक्ष सत्यापन कंपनी के आकार और इसकी आस्ति के स्वरूप को देखते हुए उचित है। कार्यक्रम के अनुसार कुछ अचल आस्तियों का इस वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था तथा इस सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गई।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर सिर्फ नीचे तालिका में दिये गये को छोड़ कर, कंपनी के स्वामित्व वाली अचल आस्तियों के अधिकार पत्र कंपनी के नाम पर पाए गए।

विवरण	सकल ब्लॉक/ निवल ब्लॉक (रुपए लाख में)	मामलों की संख्या	टिप्पणी
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	1459.60	48	क) सरकारी प्राधिकारियों द्वारा अनुदान में प्राप्त 44 भूमि खंड ख) निजी पक्षों द्वारा प्राप्त 4 भूमि खंड।

पट्टे पर ली गई अचल आस्तियों के मामले में पट्टा करार कंपनी के नाम पर है।

2) कंपनी के पास किसी तरह की वस्तुसूची नहीं है इसलिए आदेश का अनुच्छेद 3(ii) लागू नहीं होगा।

3) कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता वाले साझेदारों या अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रखे रजिस्टर में कवर अन्य पक्षों को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है। अतएव आदेश के अनुच्छेद 3(iii) के उपखंड (ए) और (बी) के प्रावधान लागू नहीं है।

4) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है या धारा 185 और 186 के अंतर्गत कवर पक्षों को कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं प्रदान की है। अतः आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

5) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में आम जनता से किसी तरह का जमा

स्वीकार नहीं किया है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश तथा खंड 73 से 76 के प्रावधान या इसके अंतर्गत बने नियम और अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधान लागू नहीं है।

6) हमारी राय तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार अधिनियम की धारा 148 को उप धारा (i) के अंतर्गत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनियां (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षण) नियम 2014 के अंतर्गत कंपनी पर लागू नहीं है।

7) क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांच किए गए रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, विक्रय कर, सेवा कर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर (वैट) उपकर या उचित प्राधिकारियों को देय वैधानिक बकाया सहित किसी अन्य अविवादित वैधानिक बकाया नियमित रूप से जमा करती है, तथा 31 मार्च, 2021 तक कोई भी अविवादित बकाया अदायगी की तारीख से 6 महीने से अधिक के लिए बकाया नहीं है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसा कोई भी आयकर, विक्रय कर, सेवा कर, वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, बकाया नहीं है, जिसे विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो, सिर्फ एक सम्पत्ति कर को छोड़कर जो विवाद के कारण 31 मार्च, 2021 तक जमा नहीं किया गया है जिस की जानकारी नीचे दी जा रही है –

नाम संविधि	बकाया की प्रकृति	आय (रुपए लाख में)	राशि की अवधि	फोरम जहां विवाद लंबित है	टिप्पणी (यदि कोई है)
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888	सम्पत्ति कर	2,065.70	2015-16 से 2020-21	सहायक कर निर्धारक और समाहर्ता (संबंधित वॉर्ड)	मांग को निरस्त/ परित्याग के लिए पत्र लिखा गया है।

उपर्युक्त में से रूपए 210.10 लाख को लेखा पुस्तिकाओं में प्रावधान कराया गया है और इसका भुगतान नहीं हुआ है। हमें सूचित किया गया था कि कंपनी ने कर के रियायती दर के लिए अनुरोध किया है।

8) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार से लिए गए आश्रित, ऋण तथा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से 'पास थ्रू असिस्टेंस' के आधार पर प्राप्त ऋण, नगरीय विकास मंत्रालय के पास बकाया नहीं है। अतः चूक होने की संभावना नहीं है। जेआईसीए से लिए गए पूर्वोक्त ऋण पर ब्याज के भुगतान के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी के अभाव में हम इस पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से लिया गया आश्रित ऋण ब्याज रहित है। कंपनी के पास वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से कोई देनदारी नहीं है तथा कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

9) कंपनी ने आईपीओ या एफपीओ (ऋण साख पत्र सहित) के माध्यम से पैसा इकट्ठा नहीं किया है अतएव आदेश के अनुच्छेद 3(ix) में दिए गए प्रावधान लागू नहीं हैं।

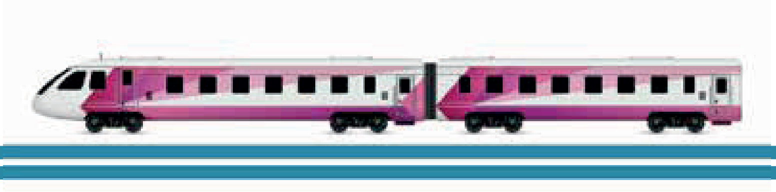

10) कंपनी के लेखा खाते तथा अभिलेखों के परीक्षण के दौरान तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के साथ हुई किसी धोखाधड़ी की जानकारी नहीं मिली अतः यहाँ रिपोर्ट नहीं की गई है।

11) यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है, तद्नुसार 5 जून, 2015 की अधिसूचना जी एस आर 463(इ) द्वारा धारा 197 के प्रावधान जिसे अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ा जाता है लागू नहीं होते। अतएव, आदेश के अनुच्छेद 3 (xi) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

12) हमारी राय में तथा कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार यह कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है जैसा कि अधिनियम की धारा 406 में विहित है, तद्नुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xii) के अंतर्गत रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।

13) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा अभिलेखों के परीक्षा आधार पर संबंधित पक्षों के बीच हुआ लेन-देन अधिनियम की धारा 177 और 178 जहां कहीं लागू हो, के अनुसार हुआ है, तथा इसकी विस्तृत जानकारी वित्तीय विवरणों में दी गई है जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुसार आवश्यक होता है।

14) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का या पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का अधिमानी आबंटन या निजी स्थानन नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर कंपनीज् अधिनियम 2013 के धारा 42 तथा आदेश के अनुच्छेद 3(ixv) लागू नहीं होता।

15) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर कंपनी ने उससे जुड़े निदेशकों या व्यक्तियों से कोई गैर नकदी लेन-देन नहीं किया है। अतः अधिनियम की धारा 192 का प्रावधान लागू नहीं होता।

16) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत कंपनी के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है तदनुसार (xvi) आदेश के अंतर्गत रिपोर्ट किए जाने की जरूरत नहीं है। आदेश के अनुच्छेद 3(xvi) के अंतर्गत रिपोर्ट करनी की जरूरत नहीं है।

कृते
चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या 101647W

अंबेश दवे
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 049289
यूडीआईएन : 21049289AAACY5327

स्थानः मुंबई
दिनांकः 2 अगस्त, 2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षक प्रतिवेदन का 'अनुबंध II'

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारे स्वतंत्र लेखापरीक्षक प्रतिवेदन के अनुच्छेद 8(एफ) अन्य विधिक और नियामक अनिवार्यताओं पर प्रतिवेदन में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन।

हमने, उक्त तारीख पर समाप्त वर्ष के लिए मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च 2021 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन (मार्गदर्शी नोट) में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर आंतरिक नियंत्रण के लिए अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानक के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। उत्तरदायित्व में अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों से बचाव और उनका पता लगाना, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और उन्हें पूरा करना, विश्वसनीय जानकारी को समय से तैयार करना सहित पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का डिज़ाइन, उनका कार्यान्वयन तथा उसे बनाए रखना जो कि व्यवसाय के दक्षता के साथ सही तरीके से चल रहे होते हैं, शामिल होता है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा यह उत्तरदायित्व होता है कि हम अपने लेखापरीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में अपनी राय अभिव्यक्त करें। हमने अपना लेखापरीक्षण आईसीएआई द्वारा मानक लेखाकरण पर जारी तथा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित मार्गदर्शी नोट, जो कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर एक सीमा तक लागू हो तथा जो दोनों ही आईसीएआई द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय लेखापरीक्षण पर लागू होते हैं, के अनुसार किया है। उन सभी मानक और मार्गनिर्देशी टिप्पणी की यह आवश्यकता होती है, कि हम अपने लेखापरीक्षण को इस तरह आयोजित और निष्पादित करें कि हमें पर्याप्त आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था है और इसका पालन किया जाता है तथा क्या इन नियंत्रणों का दक्षतापूर्वक अनुपालन होता है।

हमारे लेखापरीक्षण में निष्पादन प्रक्रिया शामिल होती है ताकि वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन दक्षता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

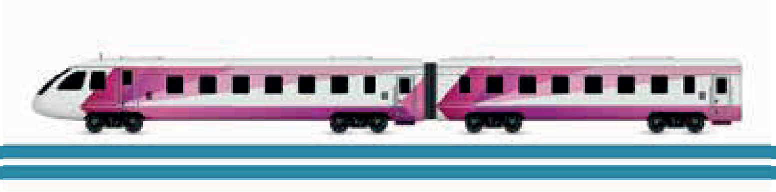

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का हमारा लेखापरीक्षण, जो उसमें शामिल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में होता है, का उद्देश्य वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझने, जोखिम का आकलन कि एक महत्वपूर्ण कमी विद्यमान है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन दक्षता के डिज़ाइन और उनकी जांच के आकलन के लिए होता है। चयनित प्रक्रिया, वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम के आकलन की यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई है, पर निर्भर करती है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षण अभिमत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय विवरण के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का संबंध एक प्रक्रिया से होता है, जो सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की जाती है। वित्तीय विवरण के संदर्भ में एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वैसी नीतियां और प्रक्रिया शामिल होती हैं जो (1) उपयुक्त विवरण के साथ कंपनी के आस्तियों का वितरण तथा लेन–देन के अभिलेख को सही तरीके और शुद्धता से रखे जाने से संबंधित होती हैं। (2) इस आशय का उपयुक्त आश्वासन देती है कि लेन–देन को इस तरह रिकॉर्ड किया जाता है कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति दी जा सके तथा कंपनी की प्राप्तियां और खर्चे कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की अनुमति के बाद ही किए जाते हैं तथा (3) कंपनी की संपत्तियों का उपयोग या निपटान जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो का उचित समय पर पता लगाने तथा रोकथाम करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करे।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण मिली भगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं/हो सकता है तथा त्रुटि के कारण गडबड़ी का पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही आगे की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन के लिए कोई प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन होता है कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में बदलाव या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में हुई कमी के कारण अपर्याप्त हो जाते हैं।

अभिमत

हमारी राय में कंपनी के पास, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस् ऑफ इंडिया द्वारा जारी "वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के"लेखापरीक्षा पर मार्गनिर्देशी टिप्पणी" में दिए अनुसार आंतरिक नियंत्रण के लिए आवश्यक कारकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानक के आधार पर, वित्तीय विवरण के संदर्भ में ऐसे आंतरिक

वित्तीय नियंत्रण के लिए एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है, जो 31 मार्च 2021 तक सही तरीकों से परिचालित थी।

कृते
चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या 101647W

अंबेश दवे
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 049289
यूडीआईएन : 21049289AAACY5327

स्थानः मुंबई
दिनांकः 2 अगस्त, 2021

अनुबंध II

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन

1. **कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त परिचय**

एमएमआरसीएल की सीएसआर नीति का लक्ष्य जैवविविधता, उर्जा और जल संरक्षणसहित समुदाय के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य और तंदरूस्ती तथा पर्यावरण से जुड़े मसलों पर ध्यान देता है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य समाज के निचले तबके के लोगों को उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का अवसर प्रदान करता है, इसके अन्तर्गत चलने वाली परियोजनाओं की व्यापक रूपरेखा कंपनी अधिनियम 2013, की अनुसूची IV के अनुसार होती है, सीएसआर नीति की विशेष जानकारी तथा कंपनी की परियोजना या किए गए कार्यक्रमों की जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. **सीएसआर समिति का गठन:**

क्रम संख्या	नाम	पदनाम
1	श्री भूषण गगराणी	अध्यक्ष
2	श्री रणजित सिंह देओल	सदस्य
3	श्री अजयकुमार ए. भट्ट	सदस्य

3. **वेबलिंक की जानकारी दें जहां सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया जाता है।**

सीएसआर समिति के गठन के बारे में जानकारी ऊपर दी गई है तथा यह कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

सीएसआर नीति - www.mmrcl.com

सीएसआर परियोजना - लागू नहीं

4. **कंपनियों (कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014, उपनियम (3) के नियम 8 के अनुसरण में चलने वाली सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन की विस्तृत जानकारी दें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)** : लागू नहीं

5. **कंपनियों (कंपनी सामाजिक उत्तर दायित्व नीति नियम 2014 के उपनियम (3) नियम 7 के अनुसरण में प्रवृत उपलब्ध राशि की जानकारी तथा वित्तीय वर्ष में प्रवृत्त करने हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो**

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	पूर्व वित्तीय वर्षों से प्रवृत किए जाने हेतु उपलब्ध राशि (सं.)	वित्तीय वर्ष के लिए प्रवृत किए जाने हेतु आवश्यक राशि यदि कोई हो, (रू.से)
लागू नहीं			

6. **135(5) के अनुसार कंपनी की औसत निवल आय:**

   रू. 1297.07 की हानि।

7. **क) खंड 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत:** शून्य

   ख) पूर्व वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से बचा अधिशेष: शून्य

   ग) वित्तीय वर्ष के लिए प्रवृत किए जाने हेतु राशि यदि कोई हो: शून्य

   घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर बाह्यता (7क+7ख-7ग): शून्य

8. क) **वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या नहीं खर्च की गई सीएसआर राशि:** लागू नहीं

   ख) **वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विस्तृत विवरण:** लागू नहीं

   ग) **वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा खर्च की गई सीएसआर राशि का विस्तृत विवरण:** लागू नहीं

   घ) **प्रशासनिक ऊपरी खर्च पर खर्च की गई राशि:** शून्य

   च) **प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि कोई हो:** शून्य

   छ) **वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8च):** शून्य

   ज) **प्रवृत किए जाने हेतु अधिक राशि, यदि कोई हो**

क्रम संख्या	विवरण	राशि
1	खंड 135(5) के अनुसार कंपनी क निवल लाभ का 2 प्रतिशत	शून्य
2.	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	शून्य
3.	वित्तीय वर्ष [(ii)-(i)] के लिए खर्च की गई आधिक्य राशि	शून्य
4.	पूर्व वित्तीय वर्षो की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उपगत आधिक्य, यदि कोई हो	शून्य
5.	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों [(iii)-(iv)] के लिए प्रवृत्त किए जाने हेतु उपलब्ध राशि	शून्य

9. **क) पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च नहीं की गई सीएसआर राशि का विवरणः** शून्य

   ख) पूर्व वित्तीय वर्ष (वर्षो) की चली आ रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरणः शून्य

10. **पूंजीगत आस्तियों के सृजन या अर्जन के मामले में वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि के माध्यम से सृजित या अर्जित आस्ति का विवरणः** शून्य

11. **यदि कंपनी खंड 135(5) के अनुसार औसत निवल आय का 2 प्रतिशत खर्च करने में असफल रही हो तो उन विशिष्ट कारण(णों) का उल्लेख करें** – लागू नहीं

अध्यक्ष

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30.09.2021

कंपनी की सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के अध्यक्ष

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 31 मार्च 2021 तक का तुलन पत्र

विवरण	नोट	31 मार्च, 2021 तक	मार्च 31, 2020 तक (पुनर्स्थापित*)
ए. आस्तियां			
गैर-चालू आस्तियां			
क) सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण	2(क)	47,440.51	47,903.33
ख) पूंजी कार्य प्रगति पर	3(क)	1,603,311.56	1,246,213.16
ग) उपयोग का अधिकार आस्तियां	4	4,148.33	6,737.35
घ) अन्य अमूर्त आस्तियां	2(ख)	147.83	233.12
च) विकास के क्रम में अमूर्त आस्तियां	3(ख)	357.23	369.33
छ) वित्तीय आस्तियां			
i) ऋण	5	323.89	761.95
ii) अन्य वित्तीय आस्तियां	6	807.74	295.99
ज) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	20(क)	279.76	346.78
झ) आयकर आस्तियां (निवल)	20(छ)	1,553.28	2,285.28
त) अन्य गैर-चालू आस्तियां	7	103,518.95	149,371.19
कुल गैर-चालू आस्तियां		**1,761,889.08**	**1,454,517.48**
चालू आस्तियां			
क) वित्तीय आस्तियां			
i) नकद और नकद समतुल्य	8(क)	28,065.50	76,131.82
ii) ऊपर (i) के अतिरिक्त बैंक शेष	8(ख)	451.42	34,727.00
iii) ऋण	5	821.89	303.42
iv) अन्य वित्तीय आस्तियां	6	24,694.33	11,431.25
ख) अन्य चालू आस्तियां	7	31,474.29	11,054.51
कुल चालू आस्तियां		**85,507.43**	**133,648.00**
कुल आस्तियां		**1,847,396.51**	**1,588,165.48**
इक्विटी और देयता			
इक्विटी			
क) इक्विटी शेयर पूंजी	9	381,520.00	321,520.00
ख) अन्य इक्विटी	10	(7,382.64)	14,769.49
कुल इक्विटी		**374,137.36**	**336,289.49**
देयताएं			
गैर-चालू देयतायें			
क) वित्तीय देयतायें			
i) उधार राशि	11	1,130,984.88	993,311.75
ii) पट्टा देयतायें	4	1,248.21	2,973.47
iii) अन्य वित्तीय देयतायें	12	35.84	32.75
ख) अन्य गैर-चालू देयतायें	13	213,439.52	142,000.45
ग) प्रावधान	14	309.51	494.19
कुल गैर-चालू देयतायें		**1,346,017.96**	**1,138,812.61**
चालू देयतायें			
क) वित्तीय देयतायें			
i) पट्टा देयतायें	4	2,549.87	3,424.02
ii) अन्य वित्तीय देयतायें	12	117,670.64	102,778.66
ख) अन्य चालू देयतायें	13	6,688.26	6,685.64
ग) प्रावधान	14	332.42	175.06
कुल चालू देयतायें		**127,241.19**	**113,063.38**
कुल देयतायें		**1,473,259.15**	**1,251,875.99**
कुल इक्विटी और देयतायें		**1,847,396.51**	**1,588,165.48**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1		

आकड़े पुनःकथित हैं। नोट 29 देखें।
संलग्न नोट 1- 32 वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण भाग है।

निर्दिष्ट तारीख के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय
सनदी लेखाकार - फर्म पंजीकरण संख्या 101647W

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

अंबेश ए. दवे
पार्टनर
सदस्यता संख्या 049289

ऋतु देब
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः एफ6754

अबोध खंडेलवाल
निदेशक - वित्त
डीआईएनः07807394

रणजित सिंह देओल
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः06759002

स्थानः मुंबई
दिनांकः 02 अगस्त, 2021

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रुपए लाख में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन:कथित*)
आय			
प्रचालनों से राजस्व		-	-
अन्य आय	15	1,087.13	805.45
कुल आय		**1,087.13**	**805.45**
व्यय			
कर्मचारी सुविधाओं पर व्यय	16	1,058.38	1,152.48
वित्त लागत	17	57.17	17.86
मूल्य-ह्रास और परिशोधन व्यय	2 व 4(छ)	997.34	775.37
अन्य व्यय	18	1,042.26	1,687.88
कुल व्यय		**3,155.15**	**3,633.59**
वर्ष के लिए कर पूर्व (हानि)		**(2,068.02)**	**(2,828.14)**
कर व्यय			
चालू कर	20(ख)	-	(635.31)
आस्थगित कर	20(ख)	71.46	(174.11)
कुल कर व्यय		**71.46**	**(809.42)**
वर्ष के लिए (हानि)		**(2,139.48)**	**(2,018.72)**
अन्य व्यापक आय			
मदें जो लाभ और हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं होंगी			
परिभाषित सुविधा योजनाओं का पुनर्मापन		(17.09)	(9.68)
उक्त से संबद्ध आयकर	20(ग)	4.44	2.82
अन्य व्यापक आय/(हानि)		**(12.65)**	**(6.86)**
वर्ष के लिए (हानि)		**(2,152.13)**	**(2,025.58)**
प्रति शेयर अर्जन-अंकित मूल्य 100 रूपये प्रति शेयर	19		
मूल (रूपये में)		(0.60)	(0.76)
डाइल्यूटेड (रूपये में)		(0.60)	(0.76)
महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1		

आकड़े पुन:कथित हैं। नोट 29 देखें।
संलग्न नोट 1- 32 वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण भाग है।

निर्दिष्ट तारीख के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय
सनदी लेखाकार - फर्म पंजीकरण संख्या 101647W

अंबेश ए. दवे
पार्टनर
सदस्यता संख्या 049289

स्थानः मुंबई
दिनांकः 02 अगस्त, 2021

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

ऋतु देब
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः एफ6754

अबोध खंडेलवाल
निदेशक - वित्त
डीआईएन:07807394

रणजित सिंह देओल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:06759002

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाहों का विवरण:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क) प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व हानि	(2,068.02)	(2,828.14)
के लिए समायोजन		
मूल्य ह्रास और परिशोधन खर्च	997.34	775.37
वित्त लागत	57.17	17.86
प्रतिभूति जमा के उचित मूल्यांकन पर निवल हानि सम्पत्ति	-	16.81
संयंत्र और उपकरण के विक्रय से लाभ / हानि	(0.56)	(0.03)
ब्याज से आय	(999.18)	(768.06)
परिभाषित सुविधा योजना का पुनर्मापन	(17.09)	(9.68)
कार्यशील पूंजी बदलाव के पूर्व परिचालन लाभ	**(2,030.34)**	**(2,795.87)**
के लिए समायोजन		
ऋण में कमी/(वृद्धि)	(6.44)	(172.99)
अन्य वित्तीय आस्तियों में कमी/(वृद्धि)	(3,744.88)	(337.37)
गैर वित्तीय आस्तियों में कमी/(वृद्धि)	(752.37)	(46.42)
अन्य वित्तीय देयताओं में (कमी)/वृद्धि	821.45	398.58
गैर वित्तीय देयताओं में (कमी)/वृद्धि	2.61	1,127.09
प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि	3.00	94.13
प्रचालनों से अर्जित नकदी	**(5,706.97)**	**(1,732.85)**
आयकर (प्रदत्त)/वसूली	**732.00**	**(562.91)**
परिचालन गतिविधियों (क) से निवल नकदी प्रवाह	**(4,974.97)**	**(2,295.76)**
ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण तथा कार्य में लगी पूंजी का क्रय	(328,139.04)	**(456,228.60)**
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के विक्रय से प्राप्त आगम	19.19	18.28
अन्य अमूर्त आस्तियों तथा विकास के क्रम में अमूर्त आस्तियों का क्रय	16.57	**(257.25)**
मियादी जमा (विनियोग में) की परिपक्वता	37423.62	**(40,960.90)**
मियादी जमा पर बैंकों से प्राप्त ब्याज	2932.46	**2,939.35**
उपपट्टे से विनियोग से आगम (ब्याज सहित)	334.00	**300.68**
विनियोग गतिविधियों (ख) से निवल नकदी प्रवाह	**(287,413.20)**	**(494,188.44)**
ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
उधार राशि से आगम	207,500.00	375,911.00
पट्टा देयता का भुगतान (ब्याज सहित)	(3,178.15)	(1,795.14)
इक्विटी शेयर पूंजी के जारी होने से आगम	40,000.00	90,000.00
शेयर आवंटन के विरुद्ध प्राप्त आगम	-	20,000.00
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	**244,321.85**	**484,115.86**
नकद और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)	**(48,066.32)**	**(12,368.34)**
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	**76,131.82**	**88,500.16**
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नकद और नकद समतुल्य नोट-8(क)	**28,065.50**	**76,131.82**

नोट:

क) उपर्युक्त नकदी प्रवाह कंपनी (लेखा) नियम 2015 के अन्तर्गत अधिसूचित नकदी प्रवाह विवरण पर इंड एएस 7 (IND AS 7) में दिए गए 'अप्रत्यक्ष विधि' से तैयार किया गया है।

ख) नकद और नकद समतुल्य में निम्न शामिल होता है:

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक के पास शेष	365.50	40,131.82
बैंक के पास मियादी जमा जिनकी मूल परिपक्वता 3 महीने या कम हो	27700.00	36,000.00
वर्ष के अंत में नकद या नकदी समतुल्य	**28,065.50**	**76,131.82**

ग) इंड एएस 7 के अनुसार उधारी में संचलन.

(रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	नकदी प्रवाह	गैर नकद बदलाव	31 मार्च 2021 को
दीर्घावधि उधारी	993,311.75	207,500.00	(69,826.87)	1,130,984.88
कुल उधारी	**993,311.75**	**207,500.00**	**(69,826.87)**	**1,130,984.88**

विवरण	31 मार्च 2019 को	नकद प्रवाह	गैर नकद बदलाव	31 मार्च 2020 को
दीर्घावधि उधारी	639,328.68	375,911.00	(21,927.93)	993,311.75
कुल उधारी	**639,328.68**	**375,911.00**	**(21,927.93)**	**993,311.75**

घ) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं भी लागू हो, एक समूह में पुन:वर्गीकृत कर दिया गया है।

सम तारीख के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय
सनदी लेखाकर - फर्म पंजीकरण संख्या 101647W

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

अंबेश ए. दवे
पार्टनर
सदस्यता संख्या 049289

ऋतु देब
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: एफ6754

रणजित सिंह देओल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:06759002

अबोध खंडेलवाल
निदेशक - वित्त
डीआईएन:07807394

स्थान: मुंबई
दिनांक: 02 अगस्त, 2021

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव का विवरण

क) इक्विटी शेयर पूंजी **(रुपए लाख में)**

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2019 को शेष	231,520.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	90,000.00
31 मार्च 2020 को शेष	321,520.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में बदलाव	60,000.00
31 मार्च 2021 को शेष	381,520.00

ख) अन्य इक्विटी **(रुपए लाख में)**

विवरण	शेयर आवेदन मुद्रा लंबित आबंटन	रिजर्व और अधिशेष - प्रतिधारित कमाई	कुल अन्य इक्विटी
1 अप्रैल 2019 को शेष	**-**	**(3,204.93)**	**(3,204.93)**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	(2,018.72)	(2,018.72)
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	(6.86)	(6.86)
कुल व्यापक आय (वर्ष के लिए)	**-**	**(2,025.58)**	**(2,025.58)**
शेयर आवेदन का पैसा प्राप्त हुआ	20,000.00	-	20,000.00
31 मार्च, 2020 को शेष (पुन:कथित)	**20,000.00**	**(5,230.51)**	**14,769.49**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	(2,139.48)	(2,139.48)
अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	(12.65)	(12.65)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**(2,152.13)**	**(2,152.13)**
इक्विटी शेयरों को जारी करना	(20,000.00)	-	(20,000.00)
31 मार्च 2021 को शेष	**-**	**(7,382.64)**	**(7,382.64)**

संलग्न नोट 1-32 वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण भाग है।

निर्दिष्ट तारीख के हमारे प्रतिवेदन के अनुसार
चंदाभॉय एंड जस्सोभॉय
सनदी लेखाकर - फर्म पंजीकरण संख्या 101647W

अंबेश ए. दवे
पार्टनर
सदस्यता संख्या 049289

स्थानः मुंबई
दिनांकः 02 अगस्त, 2021

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

ऋतु देब
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः एफ6754

अबोध खंडेलवाल
निदेशक - वित्त
डीआईएनः07807394

रणजित सिंह देओल
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः06759002

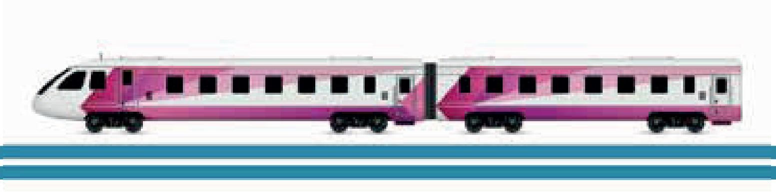

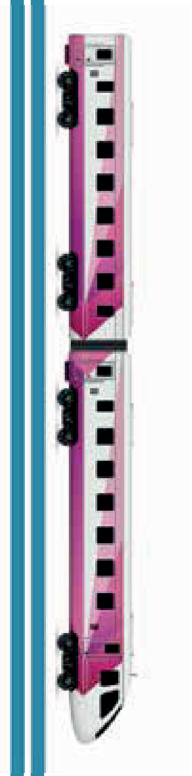

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट 2: सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त आस्तियां

(रूपए लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	सकल ब्लॉक					संचित मूल्यह्रास / परिशोधन					शुद्ध ब्लॉक
		1 अप्रैल 2020 को शेष (पुनः कथित)	अतिरिक्त	समायोजन	हटाना / निपटान	31 मार्च 2021 को शेष	1 अप्रैल 2020 को शेष	साल के लिए	समायोजन	हटाना / निपटान	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च 2021 को शेष
क)	सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण											
1)	भूमि											
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	45,898.31	87.68	(29.65)		45,956.34	-	-	-	-	-	45,956.34
	पट्टा कृत भूमि	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
2)	इमारत	2,303.24	-	-		2,303.24	692.99	437.62	-	-	1,130.61	1,172.63
3)	कंप्यूटर और सहायक उपकरण	295.51	24.06		6.68	312.89	249.63	23.06	-	5.66	267.03	45.86
4)	फर्नीचर और फिक्सर	234.53	0.60		28.17	206.96	51.23	23.58	-	10.93	63.88	143.08
5)	वाहन	60.25	-			60.25	39.00	5.24	-	-	44.24	16.01
6)	कार्यालय उपकरण	254.63	8.99		7.69	255.93	110.29	46.35	-	7.30	149.34	106.59
सम्पत्ति , संयंत्र और उपकरण का कुलयोग		**49,046.47**	**121.33**	**(29.65)**	**42.54**	**49,095.61**	**1,143.14**	**535.85**	**-**	**23.89**	**1,655.10**	**47,440.51**
ख)	अमूर्त सम्पत्ति											
1	सॉफ्टवेयर / लाइसेंस शुल्क और अन्य लागत	328.62	-	-	4.46	324.16	100.95	81.25	(0.43)	-	181.77	142.39
2	अनुमतियां										-	
	मुआवजे के साथ	(0.00)		-	-	(0.00)	-	-	-	-	-	(0.00)
	नाममात्र राशि पर	5.45	-	-	0.01	5.44	-	-	-	-	-	5.44
कुल अमूर्त सम्पत्ति		**334.07**	**-**	**-**	**4.47**	**329.60**	**100.95**	**81.25**	**(0.43)**	**-**	**181.77**	**147.83**

(रूपए लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	सकल ब्लॉक					संचित मूल्यह्रास / परिशोधन					शुद्ध ब्लॉक
		1 अप्रैल 2019 को शेष	अति रिक्त (पुनःकथित)	समायोजन	हटाना / निपटान (पुनः कथित)	31 मार्च 2020 को शेष (पुनःकथित)	1 अप्रैल 2019 को शेष	साल के लिए	समायोजन	हटाना / निपटान	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च 2020 को शेष (पुनःकथित)
क)	**सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण**											
1)	भूमि											
	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	42,325.89	3,572.42	-	-	45,898.31	-	-	-	-	-	45,898.31
	पट्टा कृत भूमि	1,108.27	-	(1,108.27)	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	इमारत	2,234.60	14.15	65.13	10.64	2,303.24	246.60	440.88	6.89	1.38	692.99	1,610.25
3)	कंप्यूटर और सहायक उपकरण	272.70	31.34	(8.13)	0.40	295.51	198.96	57.01	(6.16)	0.18	249.63	45.88
4)	फर्नीचर और फिक्सर	193.91	0.23	42.14	1.75	234.53	19.72	27.05	4.65	0.19	51.23	183.30
5)	वाहन	60.25	-	-	-	60.25	30.55	8.45	-	-	39.00	21.25
6)	कार्यालय उपकरण	356.98	12.77	(99.14)	15.98	254.63	69.84	54.60	(5.38)	8.77	110.29	144.34
सम्पत्ति , संयंत्र और उपकरण का कुलयोग		**46,552.60**	**3,630.91**	**(1,108.27)**	**28.77**	**49,046.47**	**565.67**	**587.99**	**-**	**10.52**	**1,143.14**	**47,903.33**
ख)	अमूर्त सम्पत्ति											
1	सॉफ्टवेयर / लाइसेंस शुल्क और अन्य लागत	158.80	169.82	-	-	328.62	57.91	43.04	-	-	100.95	227.67
2	अनुमतियां											
	मुआवजे के साथ	1,007.87		(1,007.87)	-	(0.00)	-	-	-	-	-	(0.00)
	नाममात्र राशि पर (संदर्भ 2.1 देखें)	6.36	0.18	(0.04)	1.05	5.45	-	-	-	-	-	5.45
कुल अमूर्त सम्पत्ति		**1,173.03**	**170.00**	**(1,007.91)**	**1.05**	**334.07**	**57.91**	**43.04**	**-**	**-**	**100.95**	**233.12**

*आकड़े पुनःकथित हैं। नोट 29 का संदर्भ लें।

2.1 पट्टा कृत भूमि को समायोजन और अनुमति इंड एएस 116 (IND AS 116) नोट (24 देखें) के अन्तर्वती प्रभाव के कारण है

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 3 (ए): कार्यशील पूंजी – प्रगति पर **(रुपए लाख में)**

विवरण	परियोजना – मेट्रो-3		कुल योग
	मेट्रो निर्माण खर्च	अन्य प्रासंगिक खर्च आबंटन के लिए लंबित	
01 अप्रैल 2019 तक शेष (पुनःकथित)	631,782.67	88,770.63	**720,553.30**
जोड़	498,950.75	38,919.37	**537,870.12**
निपटान, हस्तांतरण और समायोजन	-	(60.26)	**(60.26)**
अंशदान#	(12,150.00)	-	**(12,150.00)**
31 मार्च 2020 को शेष उन्हें (पुनःकथित)	**1,118,583.42**	**127,629.74**	**1,246,213.16**
01 अप्रैल 2020 को (पुनःकथित)	1,118,583.42	127,629.74	**1,246,213.16**
जोड़	322,633.30	47,205.96	**369,839.26**
निपटान हस्तांतरण और समायोजन	-	(40.86)	**(40.86)**
अंशदान#	(12,700.00)	-	**(12,700.00)**
31 मार्च 2021 को शेष	**1,428,516.72**	**174,794.84**	**1,603,311.56**

'कार्यशील पूंजी-प्रगति पर' में वर्ष के दौरान पूंजीकृत 14,451.29 लाख रूपये सम्मिलित है जो उधारी लागत के रूप में है (अस्थाई निवेशों तथा अग्रिमों के आस्थगन पर निवल आयकर के रूप में क्रमशः 1717.27 लाख रूपए एवं 135.07 लाख रूपए)। वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यशील पूंजी में शामिल 8,685.64 लाख रूपए पूंजीकृत की गई उधारी राशि से संबंधित है (अस्थाई निवेशों तथा अग्रिमों के आस्थगन पर निवल आयकर के रूप में क्रमशः 2,244.87 लाख रूपए तथा 41.74 लाख रूपए)। विशिष्ट उधारी पर ब्याज दर 0.01% से 1.5% प्रतिवर्ष के बीच होता है।

नोट 3(ख) : विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वर्ष के प्रारंभ में शेष जोड़ें/(घटाएं)	369.33 (12.10)	281.90 87.43
वर्ष के अंत में शेष	357.23	369.33

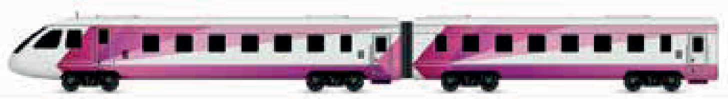

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट 4: उपयोग का अधिकार आस्तियां

क) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए उपयोग का अधिकार आस्तियों में वहन मूल्य में बदलाव **(रुपए लाख में)**

विवरण	आस्ति की श्रेणी		
	भूमि	इमारत	कुल योग
1 अप्रैल 2019 को शेष			
जोड़, मानक के प्राथमिक उपयोग के बाद	3,713.55	4,868.39	8,581.94
जोड़: वर्ष के दौरान	485.34	1,173.74	1,659.08
घटाएं: हटाए गए	-	-	-
घटाएं: पट्टे में निवल निवेश	(813.19)	-	(813.19)
घटाएं: मूल्यहास / परिशोधन खर्च	(952.39)	(1,738.09)	(2,690.48)
31 मार्च 2020 को शेष (पुन:कथित)	**2,433.31**	**4,304.04**	**6,737.35**
1 अप्रैल 2020 को शेष	2,433.31	4,304.04	6,737.35
जोड़: वर्ष के दौरान	-	265.74	265.74
हटाए गए	-	(39.95)	(39.95)
घटाएं: पट्टे में निवल निवेश			-
घटाएं: मूल्यहास / परिशोधन खर्च	(836.36)	(1,978.45)	(2,814.81)
31 मार्च 2021 को शेष	**1,596.95**	**2,551.38**	**4,148.33**

ख) पट्टा देयताओं में संचालन **(रुपए लाख में)**

विवरण	आस्ति की श्रेणी		
	भूमि	इमारत	कुल योग
1 अप्रैल 2019 को शेष			
जोड़, मानक के प्राथमिक उपयोग के बाद	1,505.54	4,682.73	6,188.27
जोड़: वर्ष के दौरान	485.34	1,109.25	1,594.59
हटाए गए			-
अवधि के दौरान उपगत वित्तीय लागत	120.72	289.05	409.77
पट्टा देयताओं का भुगतान	(277.25)	(1,517.89)	(1,795.14)
31 मार्च 2020 को शेष (पुन:कथित)	**1,834.35**	**4,563.14**	**6,397.49**
1 अप्रैल 2020 को शेष	1,834.35	4,563.14	6,397.49
जोड़: वर्ष के दौरान	-	264.01	264.01
हटाए गए	-	(39.95)	(39.95)
जोड़: अवधि के दौरान उपगत वित्तीय लागत	100.27	254.41	354.68
जोड़: पट्टा देयताओं का भुगतान	(964.37)	(2,213.78)	(3,178.15)
31 मार्च 2021 को शेष	**970.25**	**2,827.83**	**3,798.08**

ग) 31 मार्च 2021 को चालू और गैर-चालू पट्टा देयताओं का ब्यौरा **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
गैर-चालू पट्टा देयतायें	1,248.21	2,973.47
चालू पट्टा देयतायें	2,549.87	3,424.02
कुल योग	**3,798.08**	**6,397.49**

घ) पट्टा देयताओं की संविदागत परिपक्वता के संबंध में **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
1 वर्ष से कम	2,549.87	3,424.02
1 से 5 वर्ष	1,187.97	2,912.17
5 वर्ष से अधिक	60.24	61.30
कुल योग	**3,798.08**	**6,397.49**

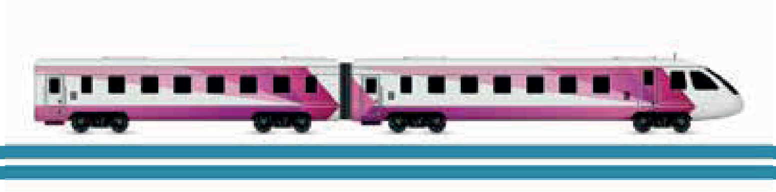

च) लाभ और हानि के विवरण में अभिज्ञात राशि **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
उपयोग का अधिकार आस्तियों में मूल्यह्रास	380.67	144.34
पट्टा देयताओं पर ब्याज	57.17	17.86
अल्पावधि पट्टे से संबंधित खर्च	79.35	212.48

छ) कार्यशील पूंजी में अभिज्ञात राशि **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
उपयोग का अधिकार आस्तियों में मूल्यह्रास	2,434.14	2,546.14
पट्टा देयताओं पर ब्याज	297.51	391.91
निवल निवेश पर ब्याज आय	31.62	51.91
अल्पावधि पट्टे से संबंधित खर्च	1,563.31	2,151.97

ज) पट्टा में निवल निवेश **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1 अप्रैल 2020 को शेष	564.42	-
जोड़ : मानक के प्राथमिक उपयोग के बाद	-	813.19
जोड़ : पट्टे में निवल निवेश से वित्तीय आय	31.61	51.91
घटाएं : पट्टा आय की प्राप्ति	(334.00)	(300.68)
31 मार्च 2021 को शेष	**262.03**	**564.42**

झ) बगैर छूट वाली पट्टा प्राप्तियों का परिपक्वता विश्लेषण **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2021 तक	अनर्जित वित्त आय	कुल
अगले साल के लिए (2021-22)	262.03	8.12	270.15
कुल	**262.03**	**8.12**	**270.15**

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट 5: ऋण (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
अप्रतिभूत, अच्छा समझा जानेवाला				
प्रतिभूत जमा	821.89	323.89	303.42	761.95
कुल योग	**821.89**	**323.89**	**303.42**	**761.95**

नोट 6: अन्य वित्तीय आस्तियां (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
अप्रतिभूत, अच्छा समझा जानेवाला				
बैंक जमा	2,680.58	807.74	6,602.39	33.96
मियादी जमा पर उपगत ब्याज	26.10	-	228.36	-
विक्रेताओं से प्राप्य	328.53	-	337.37	-
दूसरों से प्राप्य*	21,397.09	-	3,960.74	-
पट्टा प्राप्तियोग्य	262.03	-	302.39	262.03
कुल योग	**24,694.33**	**807.74**	**11,431.25**	**295.99**

बैंक जमा में निम्न शामिल होता है:

क) परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए आबंटित मकानों के रखरखाव आदि के संबंध में झोपड़पट्टी पुर्नवास प्राधिकरण (एसआरए) से प्राप्त राशि 2.54 लाख रु. (गत वर्ष रू. 2.41 लाख)

ख) बैंक गारंटी (बीजी) और साख पत्र (एलसी) के विरुद्ध ग्रहणाधिकार पर रखा गया एफडी जिसकी राशि 819.20 लाख (गत वर्ष रू. 6633.94 लाख)

एमआईएएल द्वारा 3 भूमिगत मेट्रो लाइन जैसे टी1, टी2 और सहार स्टेशन के लिए शेयर लागत के संबंध में 77,700 लाख रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है जिससे 55,000 लाख रूपए लेखाकरण 31 मार्च, 2021 तक कर लिया गया है, तथा 22,700 लाख रूपए के कार्य में होने वाली प्रगति के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा।

कंपनी एमआरसीएल से प्राप्त होने वाली परियोजना निधि के अंशदान को स्वीकार करती है। तथापि, एमआरसीएल ने नकदी की कमी जो कोविड-19 या अन्य कारणों से उत्पन्न हुआ है के कारण आस्वगत का अनुरोध किया है। 2020-21 में एमएमआरसीएल से निधि प्राप्त होने की संभावना कम है।

सैफी फाउंडेशन द्वारा एमओयू मुंबई मेट्रो लाइन-3 के भूमिगत स्टेशनों के सरेखण बदलाव में उनके शेयर के संबंध में 900 लाख रुपए के लिए किया गया है। इससे 800 लाख रूपए का 31 मार्च, 2020 तक लेखा कर लिया गया है तथा 100 लाख रूपए को सैफी फाउंडेशन द्वारा दिए गए वादे के अनुसार रिकॉर्ड कर लिया जाएगा।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर दहिसर और कांदापाडा में सिर्फ कोविड के लिए अस्थाई अस्पताल का निर्माण किया है जहां सिर्फ कोविड के रोगियों का इलाज और क्वारेन्टाइन सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसपर कंपनी ने 3776.52 लाख रूपये (जीसएसटी के सहित) खर्च किया है तथा जिसके एवज़ में 3744.14 लाख रूपये (जीएसटी सहित) का कर इनवॉइस जारी किया गया है तथा बची हुई राशि के लिए बिल समय पर जारी किया जाएगा।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 7: अन्य चालू/गैर-चालू आस्तियां (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
पूंजी अग्रिम				
बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूत, अच्छा समझा जानेवाला				
सिविल ठेकेदारों को दिया गया जुटाव अग्रिम		13,464.60	-	35,489.36
संयंत्र और उपकरण के लिए अग्रिम		12,668.33	-	35,147.05
सिस्टम ठेकेदारों को अग्रिम		68,702.94	-	69,890.19
ट्रैक को अग्रिम (सिविल ठेकेदार)		5,406.33	-	6,093.74
पुर्नवास एवं पुनःस्थापन ठेकेदारो को अग्रिम		657.66	-	-
अप्रतिभूत, अच्छा समझा जानेवाला		-		
सिविल ठेकेदारों को सामग्री के लिए अग्रिम		1,493.57	-	1,103.58
अन्य अग्रिम	-			
अप्रतिभूत, अच्छा समझा जानेवाला	-			
विरोध के तहत भुगतान	30,449.90	-	10,799.94	-
सरकारी अधिकारियों के पास बकाया	617.25	-	199.31	-
पूर्व प्रदत्त खर्चे	63.20	1,125.52	29.28	1,647.27
अनुबंध आस्तियां#	327.53	-	-	-
कर्मचारियों को अग्रिम	16.41	-	25.98	-
कुल योग	**31,474.29**	**103,518.95**	**11,054.51**	**149,371.19**

*वर्ष के दौरान कंपनी ने वैसे वेंडरो के टैक्स इनवायस पर इनपुट कर क्रेडिट लेना प्रारंभ किया है। जिनका कंपनी ने जुर्माना/एलडी आदि के कारण कुछ टैक्स इनवायस जारी किया था और कंपनी पर आउटपुट कर देयता उपगत हो गई है।

कंपनी ने आउटपुट टैक्स देनदारी की सीमा तक आईटीसी का लाभ उठाया है, केवल जब भी मिलान आईटीसी के साथ आउटपुट कर देयता पर सांठगांठ हो।

#कंपनी ने पीडब्ल्यू (जीओएम) के साथ विधान सभा तक एक उपमार्ग बनाने के लिए करार किया है। उसकी संविदा लागत 9,980 लाख रूपये है। जिसमें कर शामिल नही है परन्तु आकस्मिकताएं शामिल हैं। आगे, कंपनी ने अभी तक इस राजस्व को बुक नहीं किया है।

नोट 8: नकद और बैंक शेष (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
क) नकद और नकद समतुल्य		
बैंक के पास शेष		
चालूखातों में (नोट 8.1 देखें)	365.50	40,131.82
3 महीने से कम परिपक्वता वाले जमा खातों के साथ	27,700.00	36,000.00
	28,065.50	76,131.82
ख) उपरोक्त से अन्यथा बैंक शेष से 3 महीने से ज्यादा पर 12 महीने से कम परिपक्वता वाले जमा खातों के साथ (नोट 8.2 देखें)	451.42	34,727.00
कुल योग	**28,516.92**	**110,858.82**

8.1 चालू खाते में शेष में आईसीआईसीआई बैंक के पास निलंब लेख में शेष शामिल है जिसकी राशि 187.60 लाख रुपए (पिछले साल 284.59 लाख रुपए है।)

8.2 3 महीने से ज्यादा परंतु 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि जिसमें परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) को आवंटित वास गृहों के रखरखाव के लिए झोपड़पट्टी पुनर्वासन प्राधिकरण (एसआरए) हेतु चिन्हित राशि शामिल है, के साथ जमा रुपए 451.42 लाख (पिछले साल रुपए 429.68 लाख)।

8.3 एमएमआरसी ने अपनी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए साख व्यवस्था पत्र के माध्यम से आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक 25000 लाख रूपए की भुट्ट/अप्रतिभूत ऋण सुविधा प्राप्त करने की व्यवस्था की है, निगम द्वारा ऋण लेने के समय आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किया जाएगा। इस सुविधा का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है।

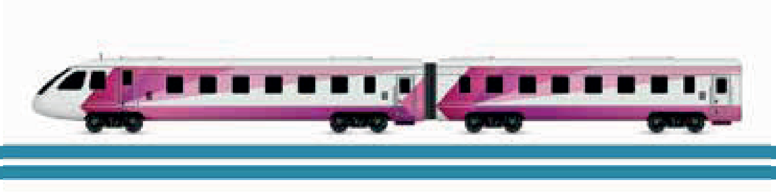

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

नोट 9: इक्विटी शेयर पूंजी **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
प्राधिकृत रु. 100 प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर	500,000.00	500,000.00
	500,000.00	**500,000.00**
जारी अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त रु. 100 के 38,15,20,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2020: रु. 100 प्रत्येक के 32,15,20,000 इक्विटी शेयर)	381,520.00	321,520.00
कुल योग	381,520.00	321,520.00

क) प्रतिवेदन अवधि के आरंभ और अंत में लेखा समाधान के लिए बकाया शेयरों की संख्या और राशि **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक	
	संख्या	रुपए लाख में	संख्या	रुपए लाख में
वर्ष के प्रारंभ में जोड़ : वर्ष के दौरान जारी	321,520,000 60,000,000	321,520.00 60,000.00	231,520.00 90,000.00	231,520.00 90,000.00
वर्ष की समाप्ति पर बकाया	381,520,000	381,520.00	321,520.00	321,520.00

ख) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें और अधिकार

कंपनी के पास सिर्फ एक ही श्रेणी का शेयर है जिसका मूल्य रु.100 प्रति एक शेयर है प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक एक वोट देने का पात्र होता है। कंपनी के दिवालिया होने पर इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमानी राशियों के वितरण के बाद कंपनी की बची हुई आस्तियों को प्राप्त करने का पात्र होंगे। यह वितरण शेयरधारकों के पास रखे इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।

ग) 5% से ज्यादा इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण :

शेयर होल्डर का नाम	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक	
	शेयर रखने का%	शेयरों की संख्या	शेयर रखने का%	शेयरों की संख्या
भारत के राष्ट्रपति महाराष्ट्र के राज्यपाल	50% 50%	190,760,000 190,760,000	50% 50%	160,760,000 160,760,000
कुल योग	100%	381,520,000	100%	321,520,000

नोट 10 : अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
क) आवंटन के लिए लंबित आवेदन शेयर राशि/वर्ष के प्रारंभ में शेष वर्ष के दौरान जोड़ **वर्ष की समाप्ति पर शेष**	 20,000.00 (20,000.00) **-**	 - 20,000.00 **20,000.00**
ख) प्रतिधारित अर्जन वर्ष के आरंभ में शेष जोड़ (हानि) वर्ष के लिए	 (5,230.51) (2,152.13)	 (3,204.93) (2,025.58)
वर्ष की समाप्ति पर शेष	**(7,382.64)**	**(5,230.51)**
कुल योग	(7,382.64)	14,769.49

नोट 11: देनदारी

विवरण	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
अप्रतिभूत				
भारत सरकार से ऋण (अधीनस्थ ऋण) नोट 11.1 देखें	-	9,728.52	-	8,309.72
महाराष्ट्र सरकार से ऋण (अधीनस्थ ऋण) देखें नोट 11.1	-	21,651.36	-	7,897.03
पीटीए के माध्यम से(देखें नोट 11.2) जेआईसीए ऋण	-	1,099,605.00	-	977,105.00
कुल योग	-	1,130,984.88	-	993,311.75

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

11.1 केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने कंपनी को ब्याज रहित अधीनस्थ ऋण दिया है जो जेआईसीए (पीटीए) के माध्यम से प्राथमिक ऋण की चुकौती के बाद चुकाया जाना है। चूंकि सरकार से प्राप्त यह ऋण (अधीनस्थ) ब्याज रहित होता है अतः इसेइंड एएस-10 नेकी अनिवार्यताओं के अनुसार उचित मूल्य के रूप में रिपोर्ट किया जाना है, जिसके द्वारा वित्तीय आस्तियों या वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है। तदनुसार ब्याज रहित ऋण को उचित मूल्य पर मापा जाता है तथा ऋण की राशि और उसके उचित मूल्य में आनेवाले अंतर को "आस्थगित सरकारी अनुदान/आस्थगित आय" के रूप में माना जाता है। इन ऋणों को इंड एएस 20 के अनुसार अनुदान माना जाता है।

11.2 जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) कंपनी को भारत सरकार के माध्यम से पास थ्रू असिस्टेंस के रूप में 3 चरणों में 210.93 बिलियन जापानी येन का कुल ऋण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह जेआईसीए को 10 वर्षों की अवधि के बाद 20 वर्षों के अंदर चुकाया जाना है। ऋण की यह राशि नियामक शर्तों के अनुसार प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय रुपयों में भारत सरकार को संवितरित की गई है।

जेआईसीए का विवरण इस प्रकार है :

विवरण	स्वीकृत राशि (रुपए लाख में)
पहला ट्रेंच (आईडी-पी233)	500,000
दूसरा ट्रेंच (आईडी-पी268)	581,300
तीसरा ट्रेंच (आईडी-पी281)	277,200

ब्याज की लागूदर 1.15% (ट्रेंच 3), 1.5 (ट्रेंच 2) और 1.4 (ट्रेंच 1) के लिए है, जो निर्माण कार्य और वस्तु तथा सेवाओं की खरीद पर संवितरित मूल राशि पर सामान्य परामर्श कार्य के लिए मूल राशि पर 0.01% की दर पर ली जानी है। आगे, पीटीए के माध्यम से 31 मार्च 2021 तक भारत सरकार से कुल प्रदान 10,99,605 (लाख) है।

कंपनी ने एक करार का अनुपालन करते हुए उसे संवितरित किए गए ऋण के विस्तार तक ब्याज के संबंध में पर्याप्त प्रावधान किया है। उपगत ब्याज और सर्विस प्रभार नियंत्रक एआईडी लेखा और अंकेक्षण (सीएएए) वित्त मंत्रालय को देय हैं, भुगतान की प्रक्रिया में है, तथा समायोजन यदि कोई हो लेखा समाधान के समय कर लिया जाएगा। भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार के साथ किए गए एक एमओयू के अनुसार विदेशी विनिमय दर में बदलाव को भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच समान रूप से शेयर कर लिया जाएगा। जेआईसीए ऋण के पहले ट्रेंच का पुर्नभुगतान 20 सितंबर 2023 का तय है और उसके बाद अर्ध वार्षिक होगा।

नोट 12: अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
क) पूंजी ऋण दाता				
सिविल ठेकेदारों को देय	49,384.69		45,189.18	
प्रणाली ठेकेदारों को देय	5,594.26	-	5,910.95	-
सामान्य ठेकेदारों को देय	7,834.36	-	3,633.52	-
ट्रैक को देय (सिविल ठेकेदार)	984.35	-	218.21	-
परामर्श दाताओं, ठेकेदारों/वेंडरों को देय और अन्य	2,878.88	-	2,042.90	-
प्रति धारित राशि	-			
-सिविल ठेकेदारों पर	7,695.27	-	18,005.73	-
-प्रणाली ठेकेदारों पर	1,436.19	-	1,108.53	-
-अन्य ठेकेदारों पर	2,350.70	-	2,653.39	-
भूमि के लिए	-	-	-	-
संबंधित पक्ष को देय	1,884.52	-	1,694.41	-
ख) वापसी योग्य ईएमडी	1,316.62	-	309.11	-
ग) प्रतिभूति जमा (नोट 12.1 देखें)	477.31	35.84	495.74	32.75
घ) उपगत ब्याज पर जेआईसीए पीटीए पर बकाया नहीं	447.51	-	405.86	-
च) भारत सरकार-जेआईसीए से लेनदारी पर ब्याज और फ्रंट इंड शुल्क देय	35,288.83	-	20,846.35	-
छ) खर्च और अन्य भुगतान (नोट 25 देखें)	70.53	-	189.12	-
ज) लेखापरीक्षकों को देय	7.77	-	6.39	-
झ) कर्मचारी संबंधित भुगतान	18.85	-	69.27	-
कुल योग	**117,670.64**	**35.84**	**102,778.66**	**32.75**

12.1: इसमें झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण से प्राप्त रूपए 375.57 लाख (पिछले वर्ष रूपए 400.88 लाख) सुरक्षा राशि शामिल है।

12.2: वर्ष के दौरान कंपनी ने लाइन-3 मेट्रो परियोजना पर तैनात श्रमिकों के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में श्रम कल्याण ट्रस्ट का गठन किया है। ट्रस्ट को 86.19 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है।

नोट 13: अन्य देयताएं **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
वैधानिक और अन्य कटौतियों	4,452.44	-	4,449.82	-
आस्थगित सरकारी अनुदान (नोट 11.1)		213,425.41	-	141,982.66
संविदा दायित्व (संदर्भ नोट 13.1)	2,232.14	-	2,232.14	-
आस्थगित सुरक्षा जमा	3.68	14.11	3.68	17.79
कुल योग	**6,688.26**	**213,439.52**	**6,685.64**	**142,000.45**

13.1 कंपनी ने पीडब्ल्यूडी-महाराष्ट्र सरकार के साथ विधान भवन में एक सबवे बनाने का करार किया है। करार की लागत करों को छोड़कर तथा आकस्मिकता सहित 9980 लाख रुपए है। वर्ष के दौरान इस पद में कोई भी राशि नहीं प्राप्त हुई है (पिछले वर्ष में रूपए 2500 लाख)।

नोट 14: प्रावधान **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2021 तक		31 मार्च 2020 तक	
	चालू	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू
कर्मचारी सुविधाओं के लिए प्रावधान				
उपदान राशि	97.52	-	10.87	219.30
अनुपस्थिति के लिए क्षतिपूर्ति	120.32	309.51	87.53	274.89
पेंशन	114.58	-	76.66	-
कुल योग	**332.42**	**309.51**	**175.06**	**494.19**

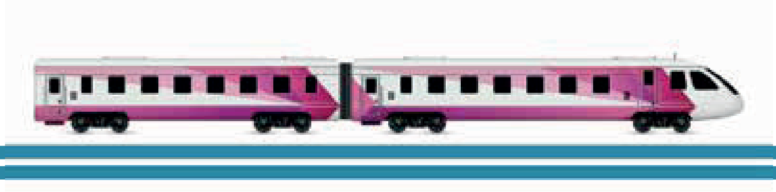

नोट 15 : अन्य आय (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज से आय		
-मियादी जमा पर	990.58	747.17
-आयकर वापसी पर	87.39	35.80
-प्राधिकृत लागत पर मांपे गए लिखत प्रपत्र (इंस्ट्रूमेंट)	8.60	20.89
आस्तियों के विक्रय पर लाभ	0.56	0.03
विविध आय	0.00	1.56
कुल योग	**1,087.13**	**805.45**

नोट 16: कर्मचारी सुविधा खर्च (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	3,480.74	3,562.56
भविष्य और अन्य निधियों में अंशदान	208.88	202.03
कर्मचारी कल्याण खर्च	39.15	84.04
कुल कर्मचारी सुविधा खर्च	**3,728.77**	**3,848.63**
घटाएं: कार्यशील पूंजी में पूंजीकृत	(2,670.39)	(2,696.15)
कुल योग	**1,058.38**	**1,152.48**

नोट 17: वित्तीय लागत (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज खर्च	15,793.82	11,410.98
अन्य देनदारी लागत/(छूट)	566.98	(420.87)
कुल लागत	**16,360.80**	**10,990.11**
घटाएं: अस्थाई विनियोग से ब्याज आय	(1,717.27)	(2,244.87)
घटाएं: अग्रिम आस्थगत पर ब्याज	(135.07)	(41.74)
घटाएं: कार्यशील पूंजी में पूंजीकृत (नोट 3क देखें)	(14,451.29)	(8,685.64)
कुल योग	**57.17**	**17.86**

नोट 18 : अन्य खर्चे (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन खर्चे	3.94	28.39
बैंक प्रभार	11.07	12.91
शुल्क और अभिदान	11.95	31.80
बीमा खर्चे	1.16	1.10
लेखापरीक्षण	7.05	4.72
पारिश्रमिक विधिक और प्रोफेशनल शुल्क	92.14	36.27
कार्यालय और प्रशासनिक खर्च	129.49	172.13
मरम्मत और रखरखाव - इमारत	30.86	27.80
मरम्मत और रखरखाव - अन्य	191.84	157.27
उप ठेका प्रभार	236.18	249.34
प्रिंटिंग और लेखन सामग्री	64.22	77.33
दरें और कर	61.66	233.49
पट्टा खर्चे	1.79	153.85
दूरसंचार खर्चे	12.04	10.91
यात्रा और वाहन खर्चे	98.75	111.70
विद्युत और जल खर्चे	40.32	63.02
विविध खर्चे	47.80	315.85
कुल योग	**1,042.26**	**1,687.88**

नोट 19: प्रति शेयर अर्जन

विवरण	इकाइयां	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी के लिए गुणक वर्ष हेतु कर के बाद लाभ	रू. लाख में	(2,139.48)	(2,018.72)
मूल इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	संख्या	3,542.87	2,672.30
इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य	रू.	100.00	100.00
प्रति इक्विटी शेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन	रू.	(0.60)	(0.76)

नोट 20: चालू और आस्थगित कर

क) आस्थगित कर शेष में गति **(रुपए लाख में)**

विवरण	मार्च 2020 तक	वर्ष के दौरान गति		31 मार्च 2021 तक
		लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित	अन्य व्यापक आय में चिन्हित	
आस्थगित कर आस्तियां				
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त आस्तियां	80.06	67.40	-	147.46
कर्मचारी सुविधाएं	194.88	(32.42)	4.44	166.90
पट्टा देयता	15.38	(106.44)	-	(91.06)
अप्रयुक्त कर क्रेडिट	56.46	-	-	56.46
आस्थगित कर आस्तियां	346.78	(71.46)	4.44	279.76

निम्न पर आस्थगित कर की गणना नहीं की गई है– **(रुपए लाख में)**

वित्तीय वर्ष	राशि	को समाप्त
2012-13 - व्यवसाय हानि	10.74	31-Mar-21
2013-14 - व्यवसाय हानि	42.15	31-Mar-22
2014-15 - व्यवसाय हानि	414.78	31-Mar-23
2017-18 - व्यवसाय हानि	16.42	31-Mar-26
2018-19 - व्यवसाय हानि	579.23	31-Mar-27
2019-20 - व्यवसाय हानि	1,821.52	31-Mar-28
2018-19 - एमएटी क्रेडिट	56.46	31-Mar-34
अशोषित मूल्यह्रास	883.14	-

(रुपए लाख में)

विवरण	मार्च 2019 तक	वर्ष के दौरान गति		31 मार्च 2020 तक
		लाभ और हानि के विवरण में चिन्हित	अन्य व्यापक आय में चिन्हित	
आस्थगित कर आस्तियां				
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त आस्तियां	1.31	78.75	-	80.06
कर्मचारी सुविधाएं	112.08	79.98	2.82	194.88
पट्टा देयता	-	15.38	-	15.38
अप्रयुक्त कर क्रेडिट	56.46	-	-	56.46
आस्थगित कर आस्तियां	169.85	174.11	2.82	346.78

निम्न पर आस्थगित कर की गणना नहीं की गई है– **(रुपए लाख में)**

वित्तीय वर्ष	राशि	को समाप्त
2011-12 - व्यवसाय हानि	18.02	31-Mar-20
2012-13 - व्यवसाय हानि	10.74	31-Mar-21
2013-14 - व्यवसाय हानि	42.15	31-Mar-22
2014-15 - व्यवसाय हानि	414.78	31-Mar-23
2017-18 - व्यवसाय हानि	16.42	31-Mar-26
2018-19 - व्यवसाय हानि	579.23	31-Mar-27
2018-19 - एमएटी क्रेडिट	56.46	31-Mar-34
अशोषित मूल्यह्रास	522.25	-

ख) आयकर खर्च (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू कर		
चालू वर्ष के लिए	-	-
पूर्व वर्ष के लिए	-	(635.31)
	-	**(635.31)**
आस्थगित कर		
अस्थाई अंतरों पर कर का आरंभ और उत्क्रमण	71.46	(174.11)
उपयोग में नहीं आए मैट क्रेडिट	-	-
	71.46	**(174.11)**
वर्ष के लिए कर व्यय	**71.46**	**(809.42)**

ग) लाभ और हानि के समेकित विवरण में अभिज्ञात कर खर्च (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
मद जो लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनःपूर्ति	4.44	2.82
वर्ष के लिए कर व्यय	**4.44**	**2.82**

घ) प्रभावी कर दर का समाधान (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कर पूर्व लाभ	(2,068.02)	(2,828.14)
आयकर आधार दर	25%	25%
अधिभार	-	3%
उपकर	1%	1.12%
वैधानिक आयकर दर	26.00%	29.12%
अपेक्षित आयकर खर्च	-	-
निम्न का कर प्रभाव:		
रिटर्न के अनुसार किया गया कर प्रावधान	-	-
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण तथा अमूर्त आस्तियां	3.26%	2.79%
कर्मचारी सुविधाएं	-1.57%	2.83%
पट्टा देयता	-5.15%	0.54%
उपयोग नहीं किया गया कर क्रेडिट	-	-
पूर्व अवधि कर समायोजन	-	22.46%
कुल आयकर खर्च	**-3.46%**	**28.62%**

च) चालू कर आस्तियां (शुद्ध) (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष तक	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष तक
प्रारंभिक शेष	2,285.28	1,087.05
जोड़ें: प्रदत्त अग्रिम कर, वर्ष के दौरान निवल प्रावधान	(732.00)	1,198.23
जमा शेष	**1,553.28**	**2,285.28**

नोट 21 : संबंधित पक्ष प्रकटन

क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध का विवरण
मुख्य प्रबंधक कार्मिक	
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	अध्यक्ष/नामित निदेशक
श्री एस.एस. दुबे	नामित निदेशक
श्री जयदीप	नामित निदेशक
श्री एस.एस. जोशी	नामित निदेशक
श्री मनोज सौनिक (8 मई, 2020 से प्रभावी)	नामित निदेशक
श्री आइ.एस. चहल (08 मई, 2020 से प्रभावी)	नामित निदेशक
श्री प्रवीण परदेशी (20 मई, 2020 तक)	नामित निदेशक
श्री भूषण गगराणी (10 अगस्त, 2020 से प्रभावी)	नामित निदेशक
श्री आर ए राजीव	नामित निदेशक
श्री रणजित सिंह देओल	प्रबंध निदेशक / नामित निदेशक
श्री सुबोध कुमार गुप्ता	निदेशक (परियोजना)
श्री अजयकुमार भट्ट	निदेशक (प्रणाली)
श्री अबोध खंडेलवाल	निदेशक (वित्त)
सुश्री ऋतुदेब	कंपनी सचिव
अलग-अलग इकाइयां जहां मुख्य प्रबंधन कार्मिक या उनके करीबी पारिवारिक सदस्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव है।	
मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)	एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त
एमएमआरसीएल कर्मचारी कल्याण निधि समिति	निदेशक (वित्त), एमएमआरसीएल

ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिक क्षतिपूर्ति **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
पारिश्रमिक	221.65	202.94
स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त सत्र शुल्क	-	-

ग) अलग-अलग इकाइयों से लेनदेन जहां (केएमपी) उनके करीबी पारिवारिक सदस्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
क्रय और खर्च		
प्रतिपूर्ति (एमएमआरडीए)	298.75	528.62
कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान (एमएमआरसीएल)	-	10.00

घ) वर्ष समाप्ति को बकाया शेष **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
मुख्य प्रबंधन कार्मिक से		
प्राप्त	-	6.00
देय		-
प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रोजगार के बाद के लाभ		
रोजगार के बाद के लाभ	75.65	90.49
अलग-अलग इकाइयां जिनपर केएमपी या उनके करीबी पारिवारिक सदस्यों का महत्वपूर्ण प्रभाव है।		
देय (एमएमआरडीए)	1,884.52	1,694.41

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 22. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

नोट 22.1 आकस्मिक देयताएं

देयता का/राशि सहित मुकदमेबाजी स्पष्टीकरण (उपलब्ध विस्तार तक)
ठेकेदारों द्वारा दिया गया संविदा मूल्य सूची करों सहिता था। बाद में जीएसटी के लागू होने के बाद अन्य अप्रत्यक्ष करों जैसे सेवा कर, वैट आदि को इसमें शामिल कर लिया गया था। अतः कर नियमों में बदलाव के कारण संविदा मूल्य पर पडने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए कंपनी ने ठेकेदारों से अनुरोध किया है कि वे संविदा मूल्य पर जीएसटी के पूर्व और पश्चात प्रभाव को करने के लिए तत्संबंधी विघटन प्रस्तुत करें ताकि कंपनी द्वारा देय या वसूली योग्य कर राशि का पता लगाया जा सके और अभी यह प्रक्रिया चल रही है। 31 मार्च 2021 तक कंपनी ने विवाद के अन्तर्गत अस्थाई आधार पर रूपए 26,700.11 लाख का भुगतान किया है और यदि मामला कंपनी के पक्ष में आता है तो कंपनी इसकी वसूली ब्याज सहित कर लेगी।
ठेकेदारों द्वारा दिया गया संविदा मूल्य सभी करों सहित था (रॉयल्टी सहित) बाद में देय रॉयल्टी की राशि संशोधित की गई थी अतः कुछ ठेकेदारों ने विधि में परिवर्तन के कारण उनके द्वारा प्रदत्त बढ़ी हुई राशि की प्रतिपूर्ती के लिए दावा किया है। एक ठेकेदार ने नगर नियम प्राधिकर द्वारा लगाई गई लेनी की रॉयल्टी को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की हैं जो अभी भी अदालत के समक्ष विचाराधीन है। 31 मार्च 2021 रॉयल्टी की कुल विवादित राशि रू. 4617.87 लाख है जिसमें से रू. 3749.79 लाख का भुगतान ठेकेदारों को अस्थाई आधार पर दिया गया है।
आरे के पास मेट्रो निर्माण कार्य यथा, डिपो बनाने का काम, विधिक और पर्यावरण से जुड़े मामलों के कारण बाधित था जिसके परिणामतः ठेकेदारों ने फरवरी 2018 से अक्टूबर 2019 के बीच से सम्बंधित 785 लाख रूपए की कार्य हित लागत का दावा किया गया है जो कंपनी द्वारा मूल्यांकन के अधीन है। दिनांक 29 नवम्बर 2019 के पत्र द्वारा डिपो के सभी कार्य कलापों को स्थगित कर दिया गया है, तदनुसार 1 नवम्बर 2019 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए ठेकेदारों ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है।
नगरपालिका प्राधिकार ने ज्ञानेश्वर नगर बीकेसी में मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) द्वारा आबंटित भूमि खण्ड के संबंध में 1855.60 लाख रूपये की संपत्ति कर की मांग सूचना जारी की है। कंपनी को सरकारी भूमि और निजी भूमि के लिए संपत्ति कर के सम्बंध में नगरपालिका प्राधिकार से (उपयुक्त मामले के अलावा) कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। अतः इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कंपनी ने सहायक आकलक और समाहर्त्ता (एचई वार्ड) को इस आधार पर इस मांग को निरस्त/छूट देने के लिए पत्र लिखा है कि इस भूमि का उपयोग पूरी तरह से लोक सुविधा परियोजना के लिए किया जा रहा है और उनका प्रत्युत्तर अपेक्षित है।
एसआरए/एमएमआरडीएने इस परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगो के पुर्नवसन के लिए 1937 मकानों का आबंटन किया है, तथा इस संबंध में कंपनी द्वारा देय राशि की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है साथ ही कोई मांग भी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए वित्तीय विवरणों में इनका प्रावधान नहीं किया गया है।
कंपनीने कुछ पीएपी लोगों के साथ पुर्नवसन और पुर्ननिपटान के लिए एक एमओयू अंतरित करार भी किया है। तथापि, पुर्नवसन और पुर्ननिपटान की लागत नहीं प्राप्त की जा सकी है।
कंपनी के विरूद्ध कुल 29 कानूनी मामले दर्ज है, जहां देयता की राशि की जानकारी नही मिल सकी है। (भूमि तथा पुर्नवसन से जुड़े 16 मामले, विभिन्न सिविल मामलों के संबंध में 7, पर्यावरण से जुड़े 5 मामले तथा 1 मामला वस्तु की हानि के संबंध में)

नोट 22.2 पूंजी प्रतिबद्धताएं

रिर्पोटिंग अवधि की अंतिम अवधि के लिए पूंजी पूंजीगत खर्चे जिन्हें देयता के रूप में चिन्हित नहीं किया गया:

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
संविदा के बचे हुए कार्यों की हुई अनुमानित राशि, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है	1,148,673.99	1,320,969.74

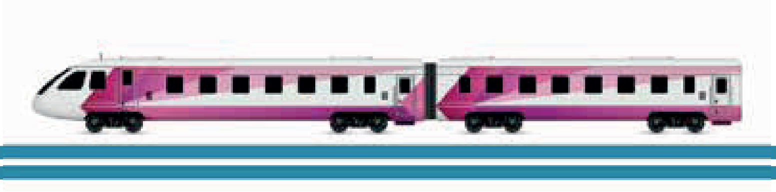

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 23: कर्मचारी सुविधा बाध्यतायें

उपदान :

प्रत्येक कर्मचारी उपदान संदाय अधिनियम, 1972 या कंपनी की योजना, जो भी लाभदायक हो, के अनुसार सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य का लाभ प्राप्त करने का पात्र है। यह कर्मचारी को कंपनी से अलग या सेवानिवृत्त होने के समय, जो भी पहले हो, देय होगी। यह सुविधा 5 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद देय होगी।

(रुपए लाख में)

विवरण	बाध्यता का वर्तमान मूल्य	योजना आसतियों का उचित मूल्य	निवल राशि
31 मार्च 2019 को चालू सेवा लागत ब्याज खर्च (आय)	137.18 72.82 10.49	– - -	137.18 72.82 10.49
लाभ और हानि में मान्य कुल राशि	83.31	–	83.31
पुनर्मापन (लाभ)/वित्तीय पूर्व धारणाओ में बदलाव सेहानि अनुभव (लाभ)/ हानि	 18.79 (9.11)	 - -	 18.79 (9.11)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	9.68	–	9.68
नियोजक अंशदान सुविधा भुगतान	- -	- -	- -
31 मार्च 2020 को चालूसेवा लागत ब्याज खर्च (आय)	230.17 72.82 15.34	 - 7.63	230.17 72.82 7.71
लाभ और हानि में मान्य कुल राशि	88.16	7.63	80.53
पुनर्मापन (लाभ) / वित्तीय पूर्व धारणाओं में बदलाव से हानि अनुभव (लाभ) / हानि ब्याज को छोडकर आयोजित आस्ति में रिटर्न	 14.66 (3.20) -	 - - (5.63)	 14.66 (3.20) 5.63
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	11.46	(5.63)	17.09
नियोजक अंशदान (एमएमआरसी समूह उपदान योजना के लिए 5.84 लाख का एलआईसी प्रीमियम सहित) सुविधा भुगतान	- -	230.27 -	(230.27) -
31 मार्च 2021 को	329.79	232.27	97.52

ऊपर दी गई निवल देयता निधि प्राप्त और गैर निधि प्राप्त योजनाओं से संबंधित है जिसका विवरण निम्न अनुसार है:

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
दायित्वों का वर्तमान मूल्य योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	329.79 232.27	230.17 -
उपदान योजना का घाटा	97.52	230.17

बीमांकिक (लाभ)/बाध्यता पर हानि **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
जनांकिकीय पूर्व धारणाओं से नियत वित्तीय पूर्व धारणाओं से नियत अनुभव से नियत	- 14.66 (3.20)	- 18.79 (9.11)
कुल बीमांकित लाभ / (हानि)	11.46	9.68

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

महत्वपूर्ण प्राक्कलनः बीमांकित पूर्वधारणाएं और संवेदिता
महत्वपूर्ण बीमांकित पूर्वधारणाएं निम्नानुसार थीं:

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
छूट दर	6.32%	6.80%
क्षयण दर		
30 वर्षों तक	6.00%	6.00%
31 से44 वर्ष	5.00%	5.00%
44 वर्षों से अधिक	8.00%	8.00%
योजना आस्तियों पर रिटर्न की दर	6.50%	लागू नहीं
वेतन वृद्धि दर	7.00%	7.00%
मृत्यु दर	IALM (2012-14) Utt.	IALM (2006-08) Utt.

संवेदिता विश्लेषण
औसत सिद्धांत पूर्वधारणाओं में बदलाव की परिभाषित सुविधा बाध्यता की संवेदिता इस प्रकार है: **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
अवधि की समाप्ति पर बाध्यता का वर्तमान मूल्य	320.57	230.17
मूल्य छूट दर में बदलाव पर 0.50 प्रतिशत वृद्धि का प्रभाव	(15.25)	(11.38)
छूट दर में बदलाव पर 0.50 प्रतिशत कमी का प्रभाव	16.62	12.41
वेतन वृद्धि में बदलाव के प्रभाव पर 0.50 प्रतिशत वृद्धि का प्रभाव	15.87	11.93
वेतन वृद्धि में बदलाव केप्रभाव पर 0.50 प्रतिशत कमी का प्रभाव	(14.74)	(11.06)

उपयुक्त संवेदिता विश्लेषण अन्य सभी धारणाओं को स्थिर रखते हुए एक धारणा में बदलाव पर आधारित है। व्यवहार में ऐसा नहीं होता है तथा कुछ धारणाओं में बदलाव सहसंबद्ध हो सकते हैं। परिभाषित सुविधा बाध्यता से महत्वपूर्ण बीमांकित धारणा की गणना करने में (परिभाषित सुविधा बाध्यता को वर्तमान मूल्य की गणना प्रतिवेदन अवधि के अंत में प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट तरीके से की जाती है) उसी तरीके को लागू किया गया है जिसे तुलन पत्र में मान्य परिभाषित सुविधा देयता की गणना में लागू किया जाता है।

संवेदित विश्लेषण को तैयार करने में उपयोग किया गया पूर्व धारणाओं का तरीका और प्रकार पूर्व वर्ष की तुलना में नहीं बदला।

परिभाषित सुविधा बाध्यता का परिपक्वता प्रोफाइल
परिभाषित सुविधा बाध्यता की भारित औसत अवधि 10 वर्ष होती है। उपदान का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है **(रुपए लाख में)**

प्रतिवेदन की तारीख से भविष्य के वर्षों में देर प्रक्षेपित सुविधाएं	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
पहला आगामी वर्ष	28.95
दूसरा आगामी वर्ष	24.29
तीसरा आगामी वर्ष	24.36
चौथा आगामी वर्ष	16.22
पांचवां आगामी वर्ष	23.54
6 से10 वर्षों के जोड़ का वर्ष	103.52

वर्ष के दौरान कंपनी ने एक एमएमआरसी समूह उपदान ट्रस्ट का गठन किया है तथा उपदान निधि को प्रबंधित करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक अनुबंध किया है। 31.03.2020 को लेखा खाते में अंकित रूपए 230.17 लाख को उपदान प्रावधान राशि उपदान ट्रस्ट के माध्यम से जीवन बीमा निगम को अंतरित कर दी गई है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 24 : खंड प्रतिवेदन

कंपनी के पास सिर्फ एक ही प्रतिवेदन योग्य प्रचालन खंड है जो मुंबई (भारत) में मेट्रो रेल प्रणाली को विकसित करने और उसके रखरखाव से संबंधित है। तदनुसार वित्तीय विवरण में दिखनेवाली राशि कंपनी के एकल व्यवसाय से संबंधित है।

नोट 25 : सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाये का प्रकटन

लेखा खातों पर आधारित एमएसएमईडी (MSMED) अधिनियम के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है: **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
क) मूल राशि अप्रदत्त	93.57	297.17
ख) उस पर बकाया ब्याज अप्रदत्त	-	-
ग) नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान सहित एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रदत्त ब्याज	-	-
घ) एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज को बगैर जोड़े वर्ष के दौरान नियत तारीख के बाद किए गए भुगतान पर विलंब की अवधि के लिए देय और प्रदत्त ब्याज	-	-
च) उपगत ब्याज परंतु अप्रदत्त	-	-
छ) आगे, अनुवर्ती वर्षों में भी देय ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया जब तक कि ऐसी तारीख पर उपयुक्त देय ब्याज का लघु उद्यम को वास्तविक रूप से भुगतान नहीं कर दिया जाता।	-	-
कुल योग	93.57	297.17

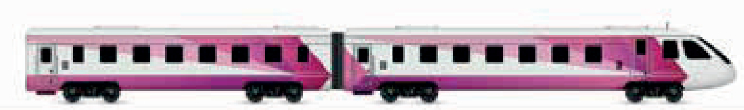

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 26: उचित मूल्य मापन **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को			31 मार्च 2020 को		
	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय आस्तियां						
गैर-चालू						
ऋण	-	-	323.89	-	-	761.95
अन्य वित्तीय आस्तियां	-	-	807.74	-	-	295.99
चालू						
नकद और नकद समतुल्य नकद	-	-	28,065.50	-	-	76,131.82
नकद समतुल्य के अंतर्गत कवर से अन्यथा बैंक शेष	-	-	451.42	-	-	34,727.00
ऋण	-	-	821.89	-	-	303.42
अन्य वित्तीय आस्तियां	-	-	24,694.33	-	-	11,431.25
कुल वित्तीय आस्तियां	**-**	**-**	**55,164.77**	**-**	**-**	**123,651.43**
वित्तीय देयताएं						
गैर-चालू						
देनदारी	-	-	1,130,984.88	-	-	993,311.75
पट्टा देयता	-	-	1,248.21	-	-	2,973.47
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	35.84	-	-	32.75
चालू						
पट्टा देयता	-	-	2,549.87	-	-	3,424.02
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	117,670.64	-	-	102,778.66
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**1,252,489.44**	**-**	**-**	**1,102,520.65**

क) **उचित मूल्य पदक्रम :** यह खंड वित्तीय प्रपत्रों के निर्णय और आकलन की व्याख्या करता है जो है (क) उचित मूल्य पर मान्यता और मापन, (ख) परिशोधित लागत पर मापन जिसके लिए उचित मूल्य को वित्तीय विवरण में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य के निर्धारण में उपयोग किए गए निवेश की विश्वसनीयता का संकेत देने के लिए कंपनी ने वित्तीय विवरणों को लेखाकरण मानक के अंतर्गत तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

ख) **ऐसे कोई वित्तीय आस्तियां और वित्तीय देयताएं नहीं हैं जिनका उचित मूल्य पर मापन किया जाना है और जिसके लिए उचित मूल्य पदानुक्रम के अनुसार प्रकटन की आवश्यकता होती है।**

वर्ष के दौरान किसी स्तर के बीच कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।

स्तर 1: स्तर 1 उचित मूल्य पदक्रम में वित्तीय प्रपत्रों को उद्धृत मूल्यों का उपयोग करते हुए मापा जाता है। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी प्रपत्र और म्यूचुअल फंड शामिल होते हैं जिनका एक उद्धृत मूल्य होता है। सभी इक्विटी प्रपत्रों का उचित मूल्य जिनकी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग की जाती है, का मूल्यांकन प्रतिवेदन अवधि में अंत मूल्य का उपयोग करते हुए किया जाता है। म्यूचल फंड का मूल्यांकन अंत शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करते हुए किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य जिनकी ट्रेडिंग सक्रिय बाजार में नहीं होती (उदाहरण के लिए ओवर अकाउंट का व्युत्पन्न) मूल्यांकन तक से किया जाता है जो परीक्षण किए जाने योग्य मार्केट डेटा के उपयोग को बढ़ा देता है। तथा इकाई विशिष्ट आकलन पर कम से कम भरोसा करता है। यदि सभी महत्वपूर्ण निवेश जितनी प्रपत्र के उचित मूल्य के लिए जरूरत होती है का परीक्षण संभव होता है तो प्रपत्र को स्तर दो और स्तर 3 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निवेश परीक्षण योग्य मार्केट डेटा पर आधारित नहीं होते हैं तो प्रपत्र को स्तर 3 में शामिल किया जाता है।

ग) **उचित मूल्य के निर्धारण के लिए मूल्यांकन तकनीक विशिष्ट मूल्यांकन तकनीक :**

वित्तीय प्रपत्रों के मूल्यांकन में प्रयुक्त होनेवाले विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल है:

i) उदधृत बाजार मूल्य का उपयोग या डीलर उसी प्रकार के प्रपत्रों के लिए उदधृत करता है।

ii) यदि ब्याज स्वैप्स की गणना उचित मूल्य प्राप्ति वक्र के आधार पर आकलित आगामी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर की जाती है।

iii) फॉरवर्ड विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं के उचित मूल्य का निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को फॉरवर्ड विनिमय दरों का उपयोग करते हुए किया जाता है।

iv) विदेशी मुद्रा विकल्प संविधान के उचित मूल्य का निर्धारण ब्लैक स्कोल्स मूल्यांकन मॉडल (Black Scholes Valuation Model) का उपयोग करते हुए किया जाता है।

v) शेष वित्तीय प्रपत्रों के उचित मूल्य का निर्धारण बट्टा नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है।

सभी परिणामी उचित मूल्य आंकड़ों को स्तर 1 और स्तर 2 में शामिल किया गया है।

घ) **मूल्यांकन प्रक्रियाएं**

कंपनी के वित्त विभाग में एक टीम होती है जो वित्तीय आस्तियों और देयताओं का मूल्यांकन करती हैं जिसमें स्तर 3 का उचित मूल्य शामिल होता है यह टीम सीधे निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट करती है।

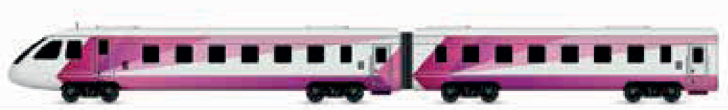

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 27: पूंजी प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना है। कंपनी पूंजी संरचना का अनुप्रवर्तन निवल ऋण इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए करती है। तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल इक्विटी में सामान्य रिजर्व प्रति धारित अर्जन शेयर पूंजी प्रतिभूत प्रीमियम शामिल होता है। कुल ऋण में चालू ऋण और गैर-चालू ऋण शामिल होता है। **(रुपए लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
कुल ऋण घटाएं: नकद और नगदी समतुल्य घटाएं: नकद और नकदी समतुल्य से अन्यथा बैंक शेष घटाएं: अन्य जमा	1,130,984.88 28,065.50 451.42 3,488.32	993,311.75 76,131.82 34,727.00 6,636.35
निवल: ऋण	**1,098,979.64**	**875,816.58**
कुल इक्विटी	**374,137.36**	**336,289.49**
इक्विटी अनुपात से निवल ऋण	**2.94**	**2.60**

नोट 28: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम घटक

कंपनी वित्तीय पत्र के संबंध में विभिन्न प्रकार के जोखिम का सामना करती है। कंपनी की वित्तीय आस्तियों और देयताओं के बारे में श्रेणीबद्ध रूप से ऊपर बताया गया है। मुख्य जोखिम होते हैं- बाजार जोखिम, क्रेडिट प्रकार के जोखिम, और तरलता जोखिम। कंपनी के जोखिम प्रबंधन का फोकस वित्तीय बाजार केप्रभाव को कम करने के द्वारा कंपनी के लघु से महत्तम अवधि वाले नकदी प्रवाह को प्राप्त करना होता है। वैसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम जिससे कंपनी का सामना अक्सर होता है, के बारे में जानकारी नीचे दी गई है।

क) बाजार जोखिम

कंपनी का विदेशी विनिमय जोखिम बाजार जोखिम के रूप में होता है। कंपनी के पास कोई ब्याज दर का जोखिम नहीं हैक्योंकि कंपनी के सभी ऋण ब्याज के निर्धारित दर पर लिए जाते हैं। साथ ही, कंपनी किसी प्रकार के मूल्य जोखिम का सामना भी नहीं करती क्योंकि इसके पास कोई वित्तीय आस्ति नहीं है। विनिमय उतार-चढ़ाव जोखिम सामान्य परामर्शदाता और ठेकेदारों को विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान के कारण होता है।

कंपनी के पास विदेशी विनिमय जोखिम को कवर करने के लिए कोई बचाव की व्यवस्था नहीं है।

निम्नलिखित तालिका वित्तीय पत्रों से विदेशी विनिमय जोखिम का विश्लेषण करती है।

विवरण	यूएसडी	युरो
31 मार्च 2021 को वित्तीय आस्तियां अन्य वित्तीय आस्तियां	 - -	 - -
कुल योग	**-**	**-**
वित्तीय देयताएं अन्य वित्तीय देयताएं	 12,229,831.92	 1,676,351.00
कुल योग	**12,229,831.92**	**1,676,351.00**
विदेशी विनिमय जोखिम को निवल प्रभावन	**(12,229,831.92)**	**(1,676,351.00)**
31 मार्च 2020 को वित्तीय आस्तियां अन्य वित्तीय आस्तियां	 - -	 - -
कुल योग	**-**	**-**
वित्तीय देयताएं अन्य वित्तीय देयताएं	 23,283,994.00	 6,043,628.00
कुल योग	**23,283,994.00**	**6,043,628.00**
विदेशी विनिमय जोखिम को निवल प्रभावन	**(23,283,994.00)**	**(6,043,628.00)**

निम्नांकित महत्वपूर्ण विनिमय दरों को लागू किया गया है।

मुद्रा	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
यूएस डॉलर 1 यूरो 1	73.50 86.10	75.39 83.05

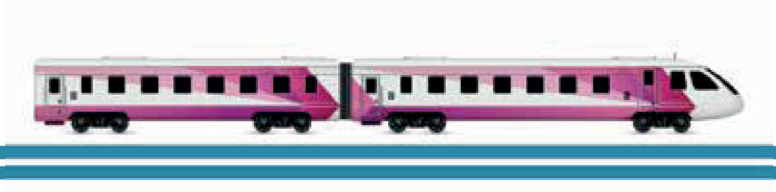

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

सूक्ष्मग्राहिता विश्लेषण

31 मार्च 2021 को सभी मुद्राओं के समक्ष भारतीय मुद्रा को एक संभाव्य तरीके से मजबूत (कमजोर) करने से विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्ग किए गए वित्तीय प्रपत्रों का मापन प्रभावित हुआ होगा तथा नीचे दर्शाये अनुसार राशि द्वारा लाभ या हानि प्रभावित हुई होगी। इस विश्लेषण से यह माना जाए कि विशेष ब्याज दरों में सभी अन्य परिवर्ती कारक स्थिर हैं।

विवरण	कर के पहले लाभ या हानि	
	भारतीय रुपयों को मजबूत करना	भारतीय रुपयों को कमजोर करना
31 मार्च 2021		
यूएस डॉलर (10% संचालन)	898.95	(898.95)
यूरो (10%संचालन)	144.33	(144.33)
31 मार्च 2020		
यूएस डॉलर (10% संचालन)	1,755.28	(1,755.28)
यूरो (10%संचालन)	501.92	(501.92)

ख) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम प्रतिपक्ष द्वारा उसकी बाध्यता में चूक से संदर्भित होता है जिसके परिणामतः वित्तीय हानि होती है।

कंपनी विभिन्न वित्तीय प्रपत्रों के लिए इस जोखिम से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, कर्मचारियों को अग्रिम प्रदान करना, बैंक सेदेय प्रतिभूत जमा आदि। प्रतिवेदन की तारीख को क्रेडिट जोखिम का अधिकतम प्रभावन प्राथमिक रूप से वित्तीय आस्तियों के लिए निम्न प्रकार की राशि के रखाव से होता है।

- नकद और नकदी समतुल्य
- परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय आस्तियां

कंपनी नियमित रूप से ग्राहकों या अन्य प्रतिपक्षकारों के अचूक का अनुप्रवर्तन करती है जिनकी पहचान व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा की जाती है तथा इस जानकारी को क्रेडिट जोखिम नियंत्रण में शामिल किया जाता है। जहां कहीं भी उपयुक्त लागत पर उपलब्ध होता है वहां क्रेडिट रेटिंग और क्रय ग्राहकों द्वारा अन्य प्रतिपक्ष कारों पर प्रतिवेदन प्राप्त कर उनका उपयोग किया जाता है।

(i) **क्रेडिट जोखिम प्रबंधन:**

नकद और नकदी तुल्य – नकद और नकदी तुल्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम के द्वारा निधियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में रखकर प्रबंधित किया जाता है जो भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक चक्र के अधीन होता है तथा इन बैंकिंग संबंधों की नियमित समीक्षा की जाती है।

अन्य वित्तीय आस्तियां – अन्य वित्तीय आस्तियां जिसमें कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम शामिल होता है, का मापन परिशोधन लागत पर किया जाता है।

(ii) **तरलता जोखिम:** हमारी तरलता आवश्यकताओं का मासिक और वार्षिक प्रक्षेपणों के आधार पर अनुप्रवर्तन किया जाता है। कंपनी के पास तरलता का मुख्य स्रोत होता है नकद और नकदी समतुल्य गैर परिचालन राजस्व जेआईसीए से दीर्घावधि ऋण ब्याज मुक्त अधीनस्थ शेयर पूंजी और अनुदान हम अपनी तरलता आवश्यकताओं का प्रबंध नकदी प्रवाह के नियमित अनुप्रवर्तन और पर्याप्त नकद और नकदी समतुल्य को रखते हुए करते हैं। किसी तरह की कमी को जानने के लिए निवल नकद आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नक़द से की जाती है। अल्पावधि तरलता आवश्यकताओं में मुख्यता क्रेडिटर्स खर्च, कर्मचारी बकाया, देनदारियों की चालूपरिपक्वता, तथा प्रत्येक पर प्रतिवेदन तारीख पर व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के दौरान उपगत प्रतिधारण और जमा शामिल होता है। हम अपनी अल्पावधि तरलता आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त नगद और नगदी तुल्य रखा करते हैं।

हम अपनी दीर्घावधि तरलता आवश्यकताओं का आवधिक आधार पर आकलन करते हैं तथा आंतरिक संभूति तथा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की सहायता से इन्हें पूरा करते हैं। हमारी गैर-चालू देयताओं में जेआईसीए ऋण, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, प्रतिधारण और जमा तथा कर्मचारी सुविधा के लिए देयताएं शामिल होती हैं।

नीचे दी गई तालिका में गैर व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं की परिपक्वता से संबंधित विवरण दिया गया है। तालिका को प्रारंभिक तारीख जिस पर कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है पर आधारित वित्तीय देयताओं के नकदी प्रवाह के अनुसार बनाया गया है। तालिका में मुख्य और ब्याज नकद प्रवाह दोनों शामिल हैं।

विवरण	1 वर्ष से कम	1 से 3 वर्ष	4 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल योग
मार्च 2021 को					
उधार राशि (नोट 11 देखें)	-	-	-	1,130,984.88	1,130,984.88
पट्टा देनदारियां	2,549.87	1,056.31	131.66	60.24	3,798.08
अन्य वित्तीय देनदारियां (नोट 12 देखें)	117,670.64	-	35.84	-	117,706.48
कुल योग	**120,220.51**	**1,056.31**	**167.50**	**1,131,045.12**	**1,252,489.44**
31 मार्च 2020 को					
उधार राशि (नोट 11 देखें)	-	-	-	993,311.75	993,311.75
पट्टा देनदारियां	3,424.02	2,631.47	280.70	61.30	6,397.49
अन्य वित्तीय देयताऐ (नोट 12 देखें)	102,778.66	-	-	32.75	102,811.41
कुल योग	**106,202.68**	**2,631.47**	**280.70**	**993,405.80**	**1,102,520.65**

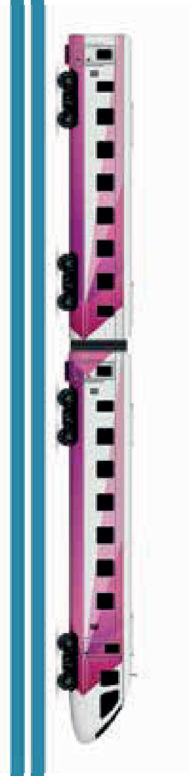

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 29: त्रुटियों में सुधार

एमएमएआरसीएल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरणों में पट्टा आस्तियों से जुडी गैर महत्वपूर्ण त्रुटियों का पत्र लगा लिया था। यद्यपि की इंड एएस 8 (IND AS 8) (लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में बदलाव तथा त्रुटियां) के अनुसार केवल पूर्व वर्ष की अवधि के महत्वपूर्ण त्रुटियों को ही वित्तीय विवरणों से सुधारा जाता है फिर भी एमएआरसीएल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में (पट्टा आस्तियों) में हुई त्रुटियों की तुलनात्मक राशि के हिसाब से सुधार कर लिया है। ये त्रुटियां महत्वपूर्ण नहीं है। और गैर हुई है जिसे वित्तीय वर्ष 2020-21, 2019-20 में सुधार लिया गया है।

विवरण	31 मार्च 2020 तक (पुन:कथित)	31 मार्च 2020 तक (प्रतिवेदित)	अभियुक्ति
गैर-चालू आस्तियां			
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण			
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि से जोड़ें:	3,572.42	3,572.40	सरकार से प्राप्त स्थाई भूमि को सरकारी अनुदान माना जाता है
अमूर्त संपत्ति			
हटाना/निपटान	1.05	-	अस्थाई भूमि सरकार को वापस कर दी गई
नाममात्र राशि पर अनुमति का जोड़	0.18	0.13	अस्थाई भूमि जो सरकार से प्राप्त होती है को सरकारी अनुदान माना जाता है
कार्यशील पूंजी	1,246,213.16	1,245,751.33	पट्टा संशोधन को अनुदर्शी प्रभाव से माना जाता है
उपयोग में आने वाली संपत्ति	6,737.35	5,950.93	पट्टा संशोधन को अनुदर्शी प्रभाव से माना जाता है
अन्य गैर-चालू आस्तियां			
पूर्व प्रदत्त खर्चे	1,647.27	1640.5	पट्टा संशोधन को अनुदर्शी प्रभाव से माना जाता है
इक्विटी और देयताएं			
गैर-चालू देयताएं			
आस्थगित सरकारी अनुदान - नाममात्र मूल्य पर भूमि	9.03	10.01	अस्थाई और स्थाई भूमिका निवल प्रभाव
अन्य वित्तीय देयताएं			
कसल्टेंट, ठेकेदार/वेंडर और अन्य को देय	2,042.90	990.93	पट्टा संशोधन से संबंधित प्रभाव को अनुदर्शी माना जाता है
पट्टा देयताएं (चालू और गैर-चालू)	**6,397.49**	**5,519.71**	पट्टा संशोधन को अनुदर्शी प्रभाव से माना जाता है

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन:कथित)	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन:प्रतिवेदित)	अंतर	अभियुक्ति
क) वित्तीय लागत	17.86	19.48	(1.62)	आस्थगित सरकारी अनुदान का उत्क्रम
ख) परिशोधन	144.34	143.02	1.32	उधारी राशि का पूंजीकरण
सुधार (क-ख) के कारण निवल उत्क्रम आय	**162.20**	**162.50**	**(0.30)**	
(हानि) पूर्व कर	(2,828.14)	(2,828.44)	0.30	
(हानि) कर पश्चात	(2,018.72)	(2,019.02)	0.30	
प्रति शेयर अर्जन (INR)				
मूल	(0.76)	(0.76)		
डाइल्यूटेड	(0.76)	(0.76)		

नोट 30: कोविड-19 से वैश्विक स्वा स्थ्य महामारी से जुड़ी अनिश्चतताओं का आकलन

कंपनी ने कोविड-19 के संबंध में विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन किया है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 25.03.2020 से लागू हुआ था और चूंकि अस्थाई लॉकडाउन 31.03.2021 से आगे भी जारी रहा। इसलिए कंपनी को कोविड-19 के परियोजना पर पडने वाले प्रभावो का और आकलन करना होगा। इसके परिणामतः संविदा शर्त में निहित के अनुसार ठेकेदारों द्वारा फोर्स मैन्यूर क्लॉज के लागू किए जाने के कारण उपगत और किया जाने वाला अतिरिक्त प्रयास साथ ही संविदा के पूरा होने में आने वाली लागत के अनुमान में संशोधन हो सकता है।

कंपनी ने रणनीति का एक मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया है ताकि भविष्य में इसके पूरा होते ही लागत में आने वाली अनिश्चितताओं को जानने पर निगाह रखी जा सके।

नोट 31: गैर-चालू आस्तियों, ऋणों, अन्य वित्तीय आस्तियों, अन्य वित्तीय देयताओं का कुछ शेष, पुष्टि किए जाने, समाशोधन और समायोजना के अधिन है, यदि कोई हो.

नोट 32: चालू वर्ष के वर्गीकरण की अनुरूपता के लिए जहां कहीं भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहित/पुनःकथित किया गया है।

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों पर हस्ताक्षर
सीआईएन : U60100MH2008SGC181770

ऋतु देब
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या : एफ6754

अबोध खंडेलवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 07807394

रणजित सिंह देओल
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:06759002

स्थान : मुंबई
दिनांक : 02 अगस्त, 2021

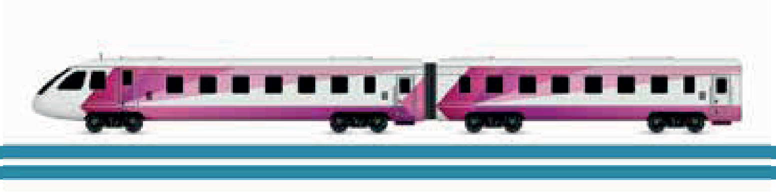

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के एक भाग के रूप में टिप्पणियां

कॉर्पोरेट सूचना

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी या एमएमआरसीएल) सीआईएन (CIN) U60100MH20085GC181770 को भारत में लागू कंपनी अधिनियम, के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित किया गया था। यह कंपनी 50:50 आधार पर भारत सरकार (जी.ओ.आई.) और महाराष्ट्र सरकार (जी.ओ.एम.) की एक संयुक्त इकाई है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य मेट्रो प्रणाली को 500 मीटर से 1 किलोमीटर की पहुंच के बीच लाना तथा वैसे लोगों के लिए एक रेल आधारित शीघ्र पारगमन सुविधा प्रदान करना है, जो उन स्थानों पर रहते हैं जो मुंबई उपनगरीय रेल प्रणाली से जुड़े हुए नहीं हैं।

कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है।

31 मार्च, 2021 से समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण 02 अगस्त, 2021 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए प्राधिकृत और अनुमोदित है।

1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

कंपनी के इन वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 जिसे भारत में आम तौर पर स्वीकार्य अन्य लेखा करण सिद्धांतों तथा अधिनियम के अन्य यथा संशोधित संबंधित प्रावधान जिसे कंपनियों (भारतीय लेखा करण मानक) नियम 2015 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाता है, से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है। आगे, कंपनी द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों/ घोषणाओं जहां कहीं लागू हो, को स्वीकार किया गया है। कंपनी में दी गई अवधि के दौरान लेखाकरण नीतियों का एक समान रूप से पालन किया है।

1.2 मापन का आधार

वित्तीय विवरणों को उन कतिपय वित्तीय प्रपत्रों तथा आस्तियों को छोड़कर जिन्हें इंड एएस के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेखाकरण के प्रतिवेदन और मौजूदा मामले के आधार पर ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के अंतर्गत तैयार किया गया है।

1.3 आकलनों और प्रबंधन के निर्णयों का उपयोग

इंड एएस (IND AS) की अनुरूपता के अनुसार वित्तीय विवरण को तैयार करने में प्रबंधन के लिए यह जरूरी

होता है कि वह प्रतिवेदन के तारीख पर राजस्व और खर्चे, आस्ति और देयता तथा प्रासंगिक देयता के प्रकटन से प्रतिवेदित राशि को प्रभावित करनेवाले आकलन और पूर्व धारणाओं पर निर्णय दे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में दिया गया आकलन विवेकपूर्ण और उपयुक्त है। भविष्य की घटनाओं से अपेक्षाओं जिन्हें उपयुक्त माना जाता है, सहित ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों के आधार पर आकलन और निर्णय का नियमित मूल्यांकन किया गया है। लेखा करण आकलनों में संशोधन भविष्य लक्षी प्रभाव से मान्य किए जाते हैं। लेखा करण नीतियों में लागू विवेचनात्मक निर्णय के बारे में जानकारी साथ ही आस्तियों तथा देयताओं को वहन की जाने वाली राशियों, महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले आंकड़ों और पूर्व धारणाओं को निम्न टिप्पणियों में शामिल किया गया है। हालांकि इन आकलनों के बारे में अनिश्चतता के परिणामस्वरूप प्राप्त परिणामों के लिए भविष्य की अवधियों में प्रभावित होने वाली आस्ति या देयता की अग्रेणीत राशि के वास्तविक समायोजन की आवश्यकता होती है।

आकलनों एवं अंतर्निहित अवधारणाओं की समीक्षा प्रत्येक प्रतिवेदन तिथि को की जाती है। लेखाकरण आकलनों एवं अवधारणाओं में किसी भी संशोधन की मान्यता भविष्यलक्षी प्रभाव से दी जाती है यथा , जिस अवधि में आकलन में संशोधन होता है तथा भविष्यलक्षी अवधियां प्रभावित होती हैं, उसी अवधि में मान्यता दी जाती है।

1.4 चालू और गैर-चालू वर्गीकरण

इंड एएस की अनिवार्यताओं के अनुसार कंपनी चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के अनुसार तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं को वित्तीय विवरणों पर 'प्रस्तुति' के अंतर्गत प्रस्तुत करती है।

आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं को गैर-चालू आस्तियों तथा देयताओं में वर्गीकृत किया गया है।

सार्वजनिक अवसंरचना, परियोजनाओं के निर्माण से संबंधित प्रचालनों के संबंध में कंपनी का सामान्य प्रचालन चक्र, परियोजना के आकार, विकास के प्रकार, परियोजना की जटिलताओं तथा संबंधित अनुमोदनों के आधार पर परियोजना-दर-परियोजना अलग-अलग हो सकता है। सभी पूरी हो चुकी परियोजनाओं के लिए प्रचालन चक्र तथा प्रचालन व्यवसाय 12 महीनों की अवधि पर आधारित होता है। आस्तियों और देयताओं को उनके संबंधित प्रचालन चक्र के आधार पर चालू और गैर-चालू में वर्गीकृत किया गया है।

1.5 कार्यमूलक और प्रस्तुति मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों में तैयार किया गया है जो कि कंपनी की कार्यमूलक मुद्रा है तथा अन्य सभी मूल्यों को सिर्फ (अन्यथा निर्दिष्ट को छोड़कर) नजदीकी 'लाख' में पूर्णांकित किया गया है।

1.6 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

पहचान और प्राथमिक मापन

- सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के बारे में जानकारी अर्जन-निर्माण की लागत घटाव संचित मूल्य, ह्रास/परिशोधन और क्षति, यदि कोई हो, के अनुसार दी जाती है। लागत में क्रय मूल्य तथा आस्ति को उसके वर्तमान स्थान तक

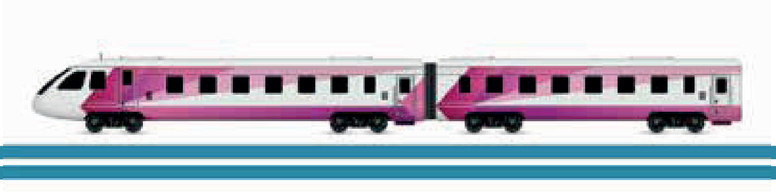

लाने में आरोपित और आबंटन योग्य लागत तथा उसे निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए चालू करने की स्थिति तक से जुड़ी लागत शामिल होती है। लागत में प्रत्यक्ष लागत तथा अन्य संबंधित प्रासंगिक खर्चे भी शामिल होते हैं। आस्तियों के परीक्षण हेतु चलाए जाने के दौरान अर्जित राजस्व, यदि कोई हो, को आस्ति की लागत के समक्ष समायोजित किया जाता है। लागत में संयंत्र के पुर्जे और उपकरण के प्रतिस्थापित करने की लागत भी शामिल होती है। पीपीई के उपार्जन/निर्माण/विकास से संबंधित उधारी राशि लागत जिसके निर्दिष्ट उपयोग के लिए प्रारंभ होने में पर्याप्त समय लगता है, को अवधि तक विस्तार में शामिल कर लिया जाता है, जब तक ऐसी आस्तियां निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जातीं।

- संयंत्र, सम्पत्ति और उपकरण जो तुलन पत्र की तारीख तक निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हो पाते, को कार्यशील पूंजी के रूप में प्रकट किया जाता है।

- जमा कार्य/संविदाओं के पूरा होने पर इन्हें निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त लेखा विवरण के आधार पर और इसके अभाव में निष्पादित कार्य के तकनीकी आकलन के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। लागत में निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार हो जाने की तारीख तक चल, अचल आस्तियों के अर्जन से आरोपित उधारी राशि पर ब्याज तथा स्थल पर मद, यदि कोई हो, को विखंडित करने, हटाने तथा पुनः स्थापित करने में आई प्राथमिक लागत तथा मद नाम से संबंधित कोई छूट और प्रासंगिक निवल खर्चे शामिल होते हैं।

- ऐसे मामले में, जहां आस्ति निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार होती है परंतु ठेकेदार के अंतिम बिल का भुगतान बाकी होता है, पूंजीकरण अंतिम आधार पर अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन किया जाता है।

अनुवर्ती मापन (मूल्यह्रास और उपयोग में बने रहने की अवधि)

- मूल्यह्रास नीचे दी गई तालिका को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II भाग-ग के अंतर्गत विहित अनुमानित उपयोग की अवधि पर तथा उनके अवशिष्ट मूल्य के निवल उनके लागत का आबंटन करने के लिए स्ट्रेटलाइन (स्पष्ट) तरीके से प्रदान किया जाता है।

आस्तियों के नाम	जीवन अवधि	विचार किए गए मदों की प्रकृति
भवन	5 वर्ष	ट्रांजिट कार्यालय भवन, सोलर संयंत्र
कम्प्यूटर और जुड़े उपकरण	3 वर्ष	सर्वर और नेटवर्क उपकरण
फर्नीचर और फिक्सचर	5 वर्ष	वर्कस्टेशन, सोफा
कार्यालय उपकरण	3 वर्ष	यूपीएस, मोबाइल, कैमरा आदि

जहां उपयोग में आने वाली जीवन अवधि अनुसूची II में विहित से अलग होती हैं वहां वे आंतरिक तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित होती है। आकलित उपयोग में आने वाली जीवन अवधि, अवशिष्ट मूल्य तथा मूल्यह्रास तरीकों की समीक्षा प्रबंधन द्वारा प्रत्येक प्रतिवेदन तारीख पर की जाती है और उपयुक्त होने पर उन्हें समायोजित

किया जाता है।

- सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य उपयोग में आनेवाली जीवन अवधि तथा मूल्यह्रास के तरीके की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर की जाती है तथा उसके उपयुक्त होने पर उसे समायोजित कर लिया जाता है।
- पट्टाकृत भूमि में सुधारों को अवधि तथा उपयोग की शर्तों के आधार पर परिशोधित कर लिया जाता है।
- जिन आस्तियों की लागत एकल आधार पर रु. 5000 से कम होती है उन्हें क्रय वर्ष में पूरी तरह मूल्यह्रासित/परिशोधित कर दिया जाता है।
- मूल्यह्रास की गणना यथानुपात आधार पर की जाती है।
- विभिन्न जीवन उपयोग अवधि वाले महत्वपूर्ण घटकों का लेखाकरण अलग से किया जाता है और तदनुसार उनका मूल्य ह्रास भी तय किया जाता है।

अस्वीकरण

- सेवानिवृत्ति या सम्पत्ति के निपटान, संयंत्र और उपकरण से उपगत लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

भूमि

विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों सहित भूमि स्वामियों द्वारा भूमि के टुकड़ों को सौंपने तथा कंपनी द्वारा उनके अधिग्रहण और उसका कब्जा लेने या भुगतान करते समय जो भी पहले हो, उसकी पहचान की जाती है।

बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, को भुगतान के नियत होते ही बुक कर दिया जाता है।

पुनःस्थापना और पुनर्वसन की लागत को भूमि की लागत में जोड़ दिया जाता है।

अधिग्रहण में पट्टाकृत भूमि सहित भूमि की लागत या क्षतिपूर्ति से संबंधित बाध्यता के तदनुरूप प्रभाव/के क्रम में किए गए अनंतिम भुगतान, संरचना के अर्जन की लागत घटाव ऐसी ध्वस्त की गई संरचनाओं से प्राप्त विक्रय आगम को भूमि या पट्टाकृत भूमि की लागत समझा जाता है।

अनंतिम रूप से किए गए भुगतान स्थाई आधार पर अर्जित भूमि के संबंध में बाध्यता के तदनुरूप प्रभाव को भूमि के अधिग्रहण अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

सरकारी भूमि:

राज्य सरकार के विभिन्न निकायों विभागों से मुफ्त में प्राप्त/अर्जित भूमि के टुकड़े, जिसका नियंत्रण/स्वामित्व कंपनी के पास रहता है, को नाममात्र मूल्य पर स्वीकार किया जाता है।

निजी पक्षों से प्राप्त अन्य भूमि

परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक भूमि के टुकड़े, जिन्हें सरेखण के दौरान पहचाना और उनका अन्य एजेंसियों, निजी संस्थाओं से अधिग्रहण किया गया हो, का लेखा करण अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

1.7 अमूर्त आस्तियां

मान्यता और प्राथमिक मापन

- अलग से अर्जित की गई अमूर्त आस्तियों को प्राथमिक स्तर पर लागत पर मापा जाता है। तत्पश्चात अमूर्त आस्तियों को लागत घटाव संचयी परिशोधन और संचयी क्षति/हानियां, यदि कोई हो, पर वहन किया जाता है।
- लागत में अर्जन मूल्य, विकास लागत तथा निर्दिष्ट उपयोग के लिए आस्ति को कार्य करने की स्थिति में लाने में हुआ आरोपित/नियतनीय प्रासंगिक खर्च शामिल होता है।
- भूमि के अस्थाई उपयोग का अमूर्त आस्ति अनुमति के रूप में लेखाकरण किया जाता है। इन अधिकारों का परिकलन नाममात्र मूल्य पर किया जाता है।
- अनुवर्ती खर्च को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब इस बात की संभावना हो कि खर्च से संबंधित भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ का प्रवाह कंपनी को होगा।
- विकास के अंतर्गत आस्ति पर उप गत लागत को विकास के अंतर्गत अमूर्त आस्ति के रूप में प्रकट किया जाता है तथा इसका मूल्य ह्रास तब तक नहीं होगा जब तक आस्ति उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

परिशोधन

निश्चित जीवन अवधि वाले सभी अमूर्त आस्तियों का आकलन जीवन अवधि पर परिशोधन स्ट्रेट लाइन आधार पर किया जाता है। सॉफ्टवेयर सहित अमूर्त अस्तियां जो संबंधित हार्डवेयर का महत्वपूर्ण भाग नहीं होतीं, का परिशोधन उपयोग करने के अधिकार की विधिक अवधि या 5 वर्ष, जो भी कम हो, पर स्ट्रेट लाइन पद्धति से किया जाता है।

यदि उपयुक्त हो तो अमूर्त आस्तियों के अवशिष्ट मूल्यों, उपयोग में बने रहने की अवधि तथा परिशोधन की विधि की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर की जाती है एवं भविष्यलक्षी समायोजन किया जाता है।

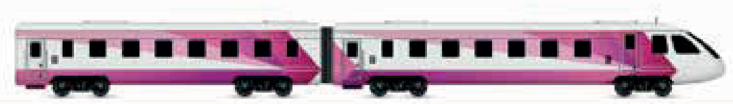

1.8 चालू पूंजीगत कार्य

प्रगति में कार्यरत पूंजी को लागत, घटाव, क्षति/हानियां, यदि कोई हो, के रूप में स्पष्ट किया जाता है। लागत में निर्माण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष तथा आरोपित अप्रत्यक्ष खर्च (हर एक पीपीई को अर्जित करने या निर्मित करने के लिए ली गई उधार राशि से संबंधित निधि से जुड़ी वित्तीय लागत सहित) जो कंपनी की परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान उपगत होते हैं, शामिल होते हैं। ऐसे खर्च को प्रगति पर कार्यरत पूंजी तब तक समझा जाता है, जब तक कि निर्धारित परियोजना फेज़ पूरा नहीं हो जाता और उसके बाद उसे पहचाने जाने योग्य पीपीई को हस्तांतरित/ आबंटित कर दिया जाता है। पूंजीकृत किए जाने से पहले ऐसी पूंजी परियोजना से अर्जित राजस्व, यदि कोई हो, को कार्यरत पूंजी के मूल्य के समक्ष समायोजित किया जाता है। परिनिर्धारित क्षतियों का लेखाकरण अंतिम बिल के निपटान पर किया जाता है। दावों सहित मूल्य परिवर्तनों का लेखाकरण स्वीकृति के पश्चात किया जाता है। प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी प्रभार जो परियोजना के तकनीकी भाग से प्रत्यक्ष रूप से आरोपित होते हैं को कुल सीडब्ल्यूआइपी के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

जेआईसीए से ब्याज वाले ऋण के समक्ष पास थ्रू असिस्टेंस (पीटीए) पर अर्जित ब्याज तथा ठेकेदारों को उपलब्ध कराए गए ब्याज वाले अग्रिम आदि जो परियोजना से जुड़े होते हैं को सीडब्ल्यूआइपी के अंतर्गत निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) के रूप में समायोजित किया जाता है।

निर्माण के दौरान ब्याज का आबंटन

वर्ष के दौरान कमीशन किए गए अमूर्त आस्तियों के संबंध में निर्माण अवधि के दौरान ब्याज (आईडीसी) को उस अनुपात में आबंटित किया जाता है जिसमें कमीशन की गई आस्ति का मूल्य कमीशन किए गए माह के अंत में अहर्त कार्यरत पूंजी को वहन करता है।

1.9 स्कंध और पुर्जे

पुर्जे जिनकी प्रत्येक मामले में उपयोग जीवन अवधि 1 वर्ष से अधिक और मूल्य 10 लाख रूपए या अधिक होता है, को संबंधित शीर्ष के अंतर्गत अलग से पूंजीकृत किया जाता है।

स्कंध जिसमें फुटकर औजार सम्मिलित हैं का मूल्यांकन भारित औसत आधार तथा निवल प्राप्ति मूल्य में जो निम्न हो, पर किया जाता है।

1.10 गैर-वित्तीय आस्तियों की क्षति

गैर-वित्तीय आस्तियों की वहन राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर की जाती है ताकि इस तथ्य का आकलन किया जा सके कि क्या किसी आंतरिक/बाहरी घटकों के आधार पर क्षति का संकेत नजर आता है। ऐसे आकलन पर क्षति, हानि की पहचान तब होगी जब किसी आस्ति की वह राशि उसकी वसूली योग्य राशि से

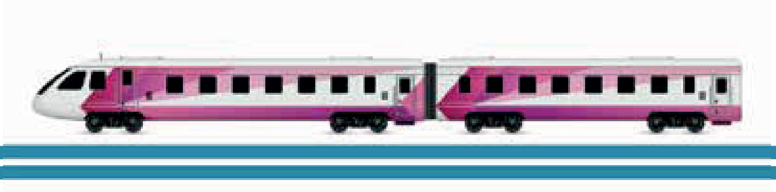

अधिक होती है। आस्ति की वसूली योग्य राशि, निवल विक्रय मूल्य या उपयोग मूल्य जो भी अधिक हो, होगी। जब उपयोग मूल्य का आकलन किया जाता है तो अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह को भारित औसत पूंजी लागत का उपयोग करते हुए वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत किया जाता है।

पूर्व में पहचानी गई क्षति; हानि की परिस्थितियों में बदलाव उस विस्तार तक उस राशि से अधिक नहीं होगा यदि यह निर्धारित कर लिया जाता है कि पूर्व में किसी क्षति, हानि की पहचान की गई है, को आगे उपबंधित या उत्क्रमित नहीं किया जाता है।

1.11 विदेशी मुद्रा

प्राथमिक पहचान

विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तारीख पर कार्यमूलक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर तथा विदेशी मुद्रा राशि पर कार्यमूलक राशि (भारतीय रुपए) को लागू करते हुए अभिलिखित किया जाता है।

बदलाव

वर्ष अंत पर बकाया सभी मौद्रिक मदों, जो विदेशी मुद्रा में होती हैं, को प्रतिवेदन की तारीख पर विनिमय दर से बदल दिया जाता है।

गैर मौद्रिक मदें, जिन्हें ऐतिहासिक लागत मदों के रूप में विदेशी मुद्रा में मापा जाता है, लेन-देन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करते हुए, प्रतिवेदित की जाती है, तथा गैर-मौद्रिक मदें जो उचित मूल्य या विदेशी मुद्रा में अन्य वैसा ही मूल्यांकन धारित करती हैं, मूल्य निर्धारण पर विद्यमान दरों का उपयोग करते हुए प्रतिवेदित की जाती है।

विनिमय अंतर

ऐसे बदलाव तथा लेनदेन के निपटान पर उपगत विनिमय अंतर को आस्तियों के निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु तैयार होने तक पूंजीकृत कर लिया जाता है तथा इसके पश्चात उसे लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

1.12 राजस्व की पहचान

राजस्व

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी अभी भी निर्माण चरण/विकास के चरण में है, इसके संचालन अभी तक शुरू नहीं हुये हैं और कम-से-कम आने वाले दो वित्तीय वर्षों में शुरू होने की संभावना नहीं है, कंपनी के संचालन से संबंधित लेखांकन नीतियों को औपचारिक रूप दिया जाना है/अभी तक गठित नहीं है/गठन की प्रक्रिया में है।

इंड एएस 115 (IND AS 115) (ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त राजस्व) के अनुसार ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त राजस्व को एक राशि पर जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिस पर कंपनी से ऐसी वस्तुएं या सेवाओं के विनिमय हेतु पात्रता अपेक्षित होती है, ग्राहकों को वचनबद्ध वस्तुओं, सेवाओं के नियंत्रण के हस्तांतरण के रूप में दर्शाया जाता है। निष्पादन बाध्यता की संतुष्टि से राजस्व को निष्पादन बाध्यता को आबंटित परिवर्ती प्रतिफल के निवल विनिमय मूल्य की राशि पर मापा जाता है। भेजी गई वस्तुओं और दी गई सेवाओं का विनिमय मूल्य संविदा के एक भाग के रूप में कंपनी द्वारा दी गई योजनाओं और विभिन्न छूटों के कारण परिवर्ती प्रतिफल के निवल होता है। परिवर्ती प्रतिफल का आकलन प्रवाह के अपेक्षित मूल्य पर आधारित होता है। राजस्व परिवर्ती प्रतिफल के निवल को मान्यता उसी विस्तार तक मिलती है जब इस बात की पूरी संभावना हो कि यह राशि महत्वपूर्ण उत्क्रम के अधीन नहीं होगी जब इसकी मान्यता से जुड़ी अनिश्चितता विलोपित हो जाती है।

नियत मूल्य संविदा के अंतर्गत राजस्व की पहचान प्रतिशत पूर्णता तरीके का उपयोग करते हुए कुल लागत तथा आनुपातिक मार्जिन को जोड़ते हुए की जाती है। पूर्णता के प्रतिशत का निर्धारण उक्त तारीख पर कुल अनुमानित संविदा लागत में आनुपातिक उपगत लागत के निर्धारण से किया जाता है। राजस्व की पहचान ग्राहकों को सेवाओं के हस्तांतरण के बाद उस राशि से होती है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसकी अपेक्षा इन सेवाओं के बदले हमें प्राप्त करनी होती है।

अन्य गैर–परिचालन आय

किराया आय से होने वाली आय, यदि कोई हो, जो निर्माण कार्य के संबंध में ठेकेदारों से प्राप्त योग्य हो, उसे सी.डब्ल्यू.आइ.पी., से कम कर दिया जाता है।

अन्य गैर परिचालन आय को समाशोधन आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है।

ब्याज आय

कंपनी के इक्विटी अंशदान से उपलब्ध निधि के मियादी जमा से हुई ब्याज आय को लाभ हानि के विवरण में उसके मान्यता प्राप्त होने के अनुसार दर्शाया जाता है।

ठेकेदारों से प्राप्त योग्य ब्याज को लाभ हानि के विवरण में आय के रूप में उपार्जन के आधार पर दर्शाया जाता है बशर्ते इसके समाशोधन में कोई अनिश्चितता नहीं हो।

1.13 उधार–राशि लागत

उधार–राशि जो एक अहर्क आस्ति के अधिग्रहण निर्माण और प्रस्तुति से सीधे जुड़ी होती है, को उस समय के दौरान पूंजीकृत किया जाता है जिस दौरान आस्ति को निर्दिष्ट उपयोग या विक्रय के लिए पूरा किया जाना होता है।

अर्हत आस्तियां वह आस्तियां होती हैं जिनके निर्दिष्ट उपयोग या विक्रय के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता

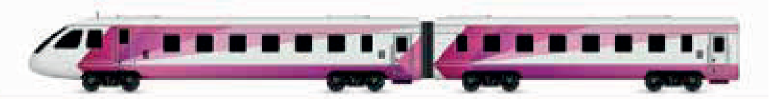

है। अर्हत आस्तियों पर लंबित विशिष्ट उधारी-राशि के स्थाई निवेश से औसत अर्जित निवेश आय पूंजीकृत होने के लिए पात्र उधारी लागत से काट ली जाती है। अन्य उधारी लागत को उस अवधि में खर्च किया जाता है जिसमें वह उपगत होती हैं।

1.14 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात लाभ

परिभाषित अंशदान योजना

कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन निधि में अंशदान के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ को लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना

उपदान परिभाषित लाभ योजना के रूप में माना जाता है।

उपदान के लिए प्रावधान की गणना प्रतिवेदन की तारीख पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है इसे लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन को प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए परिकलित किया जाता है।

निवल परिभाषित सुविधा देयता पर निवल ब्याज रहित राशियों को छोड़कर आस्ति की अधिकृत सीमा का प्रभाव तथा बीमांकिक लाभ सहित पुनर्मापन को योजना अस्ति पर रिटर्न (निवल परिभाषित सुविधा देयता पर निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर) को तुलन पत्र में उस अवधि में उपगत होनेवाले अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से प्रति धारित अर्जन के डेबिट/क्रेडिट के तदनुरूप अविलंब दर्शाया जाता है। पुनर्मापन को अनुवर्ती अवधियो में लाभ और हानि से पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

अन्य कर्मचारी सुविधाएं – अर्जित छुट्टी

छुट्टी के नगदीकरण को लाभ और हानि खाते के विवरण में जब कभी प्रोद्भूत होते हैं, एक खर्च के रूप में दर्शाया जाता है। कंपनी द्वारा देयता का निर्धारण प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति से तुलन पत्र की तारीख को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। पुनर्मापन लाभ और हानियों को अन्य व्यापक आय के विवरण में दर्शाया जाता है।

प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को नियोजन पश्चात सुविधाएं

भारत सरकार/महाराष्ट्र सरकार/अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति पर आनेवाले कर्मचारियों को नियोजन पश्चात सुविधाओं का भुगतान उनके निर्देशों पर उनके संबंधित संगठनों/नियोजकों को कर दिया जाता है। ऐसी देय सुविधाओं के लिए आवश्यक प्रावधान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आकलन कर किया जाता है।

1.15 आयकर

चालू आयकर

प्रतिवेदन की तारीख पर लागू कर दरों और कर नियमों का उपयोग करते हुए चालू आयकर की गणना अपेक्षित राशि पर कर ली जाती है तथा उसका भुगतान कराधान अधिकारियों को किया जाता है।

लाभ और हानि विवरण से अलग आने वाली मदों से संबंधित चालू आयकर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) या इक्विटी में दर्शाया जाता है। चालू कर मदों को या तो ओसीआई में या सीधे इक्विटी में आधारभूत लेनदेन के पारस्परिक संबंध में दर्शाया जाता है।

कंपनी चालू कर आस्तियों और चालू कर देयताओं का प्रतिकरण करती है जहां उसके पास विधिक रुप से तय की गई राशि को सेट ऑफ करने का अधिकार होता है और जहां वह उसे या तो निवल आधार पर निपटाना चाहती है या आस्तियों को समायोजित करके देयता को साथ-ही-साथ निपटाना चाहती है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर प्रतिवेदन की तारीख पर वित्तीय प्रतिवेदन के उद्देश्य से आस्तियों के कर आधार और देयताओं के बीच के स्थाई अंतर और वहन की जाने वाली राशि पर देयता पद्धति के उपयोग से निकाला जाता है।

आस्थगित कर आस्तियों को उस विस्तार तक दर्शाया जाता है कि यह संभावना होती है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थाई अंतर तथा अग्रेणित कर क्रेडिट और अनुपयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर आस्तियों की वहन की जाने वाली राशि की प्रत्येक प्रतिवेदन की तारीख पर समीक्षा की जाती है तथा उस विस्तार तक घटाया जाता है कि इस बात की संभावना नहीं रहे कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध हो सके ताकि आस्थगित कर आस्ति का एक भाग या पूरे का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का प्रतिकरण कर दिया जाता है जब वे उसी कराधान प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित होती हैं तथा संबंधित इकाई अपनी चालू कर आस्तियों और देयताओं को निवल आधार पर निपटाना चाहती हैं। लाभ और हानि के विवरण से बाहर दर्शाई गई मदों पर आस्थगित कर को लाभ और हानि विवरण के बाहर दर्शाया जाता है।

ऐसे आस्थगित कर मदों को या तो अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में आधारभूत लेन-देन के पारस्परिक संबंध में दर्शाया जाता है।

आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का मापन वास्तविक विधिक कर दरों का उपयोग करते हुए किया जाता है जिनका उन वर्षों में कर योग्य आय पर कर दरों को लागू करना अपेक्षित होता है/जहां अस्थाई अंतरों को प्राप्त

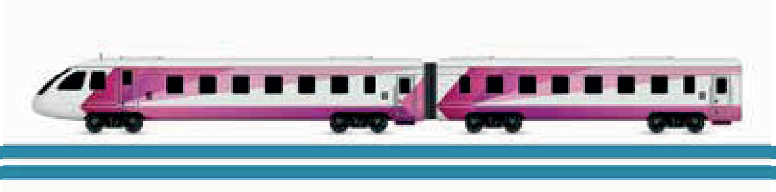

या निपटाया जाना होता है।

1.16 पट्टा

एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी संशोधित पूर्वव्यापी तरीके इंड एएस 116 पट्टा को अपनाया है। तदनुसार पूर्व वर्ष की जानकारी को पुनःकथित नहीं किया गया है। प्राथमिक आवेदन की तारीख पर इन मानक के प्रयोग का संचयी प्रभाव सीडब्ल्यूआइपी में दर्शाया गया है। कंपनी की पट्टा आस्तियों में मुख्य रूप से भूमि और इमारत शामिल हैं। संयुक्त पट्टा करार के अंतर्गत भूमि और इमारत का आकलन एकल रूप में किया जाता है। कंपनी यह आकलन करती है कि क्या संविदा के प्रारंभ से ही संविदा पट्टे पर है। एक संविदा पट्टे पर तब होती है यदि संविदा के अनुसार एक समय अवधि के लिए एक आस्ति के उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के लिए बदला जा सकता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या किसी संविदा में चिन्हित आस्ति के उपयोग के नियंत्रण का अधिकार संप्रेषित है, कंपनी निम्न का आकलन करती है:

i) संविदा में किसी चिन्हित आस्ति का उपयोग शामिल है।

ii) क्या कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान उक्त आस्ति के उपयोग से आर्थिक लाभ है।

iii) कंपनी के पास उक्त आस्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

क्या कंपनी पट्टे के प्रारंभ होने की तारीख पर आस्ति के उपयोग का अधिकार आरओयू तथा सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए समरूप पट्टा देयता को चिन्हित कर पाती है जिसमें वह पट्टेदार हो तथा सिर्फ उन पट्टों को छोड़कर जहां 12 महीनों या कम अल्पावधि पट्टा तथा निम्न मूल्य आस्तियों का पट्टा हो।

आरओयू आस्तियां प्राथमिक रूप से लागत पर दर्शाई जाती हैं जिनमें पट्टा देयता की प्राथमिक राशि सम्मिलित होती है जिसे पट्टे की प्रारंभ होने की तारीख पर या उससे पूर्व जोड़ कोई प्राथमिक प्रत्यक्ष लागत घटाव - कोई पट्टा प्रोत्साहन से समायोजित किया गया हो।

आरओयू आस्तियों को इसके अनुवर्ती लागत - संचयी मूल्यह्रास तथा क्षति, हानियां, यदि कोई हो, से मापा जाता है। आरओयू आस्तियों का आधारभूत आस्ति के उपयोगी जीवन अवधि तथा पट्टा शर्त के अल्पावधि होने पर स्ट्रेट लाइन आधार पर प्रारंभ होने की तारीख से मूल्यह्रास किया जाता है।

उपयोग का आधार आस्ति तथा पट्टा देयता को इस तरह भी समायोजित किया जाता है कि वह किसी पट्टा संशोधन या संशोधित मियादी पट्टा भुगतान को दर्शा सकें।

पट्टा देयता को प्राथमिक रूप से भविष्य पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य से मापा जाता है। पट्टा भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करते हुए या यदि वह उपलब्ध नहीं हो तो प्रभावी ब्याज दर (इ आई आर) का उपयोग

करते हुए छूट दी जाती है। पट्टा देयता को इसके पश्चात वह राशि को बढ़ाकर पुनः मापा जाता है ताकि पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाया जा सके तथा वहन राशि को कम करके ताकि लिए गए पट्टा भुगतान को दर्शाया जा सके।

पट्टा देयता को कतिपय घटनाओं जैसे पट्टा शर्त में बदलाव या टैन इंडेक्स में या पट्टा भुगतान के निर्धारण के लिए उपयोग में आई दर में बदलाव के बाद पुनः मापा जाता है। आमतौर पर पुनः मापन से पट्टा आस्ति का समायोजन हो जाता है।

पूर्ण प्रतिफल भुगतान के द्वारा पट्टे पर अधिग्रहित आस्तियों के संबंध में संव्यह्यत राशि के रूप में ऐसी आस्तियों को शून्य पर सदृश देयता के साथ संव्यह्यत मूल्य पर आरओयू आस्तियों के अधीन मान्यता दी गई है।

कंपनी एक पट्टाकर्ता के रूप में

वैसे पट्टों में जहां कंपनी आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों का पूरा हस्तांतरण नहीं करती, वहां पट्टों को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे से होने वाली किराया आय (निर्माण उद्देश्य से, अन्यथा) यदि कोई हो, को संबंधित पट्टे के शर्त पर सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जहां बढ़ा हुआ पट्टा मूल्यवृद्धि प्रभाव को स्ट्रेट लाइन आधार पर दिखलाता है। दर्शाया जाता है, और पट्टा खर्चों को ऐसे मामलों में उक्त अवधि के लिए वास्तविक किराया के रूप में लेखाकरण किया जाता है।

वैसे पट्टों को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब पर्याप्त रूप से स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को कंपनी से पट्टेदार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। वित्त पट्टे के अंतर्गत पट्टेदार से देय राशि को पट्टे में कंपनी के निवल निवेश पर स्वीकार्य रूप में दर्ज किया जाता है। वित्त पट्टा आय को एक लेखाकरण अवधि में आवंटित किया जाता है ताकि उसे पट्टे के संबंध में निवल निवेश बकाया पर नियमित आविधिक रिटर्न दर के रूप में दर्शाया जा सके।

1.17प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

प्रति शेयर अर्जन की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा (प्रिफ्रेंस डिबेंचर और उन पर लगे करों को काटकर) इक्विटी शेयर धारकों पर आरोपित वर्ष के लिए निवल लाभ हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन की गणना के लिए वर्ष हेतु आरोपित इक्विटी शेयर धारकों तथा वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी डाइल्यूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों के प्रभावों से समायोजित किया जाता है।

1.18 नगद और नगदी समतुल्य

तुलन पत्र में नगद और नगदी समतुल्य में बैंक और हाथ में नगद, मांग, जमा, तथा अल्पावधि जमा शामिल होता है जो मूल्य में बदलाव के एक अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन के होता है।

इंड एएस 7 (IND AS 7) में संशोधन के अनुसार इकाइयों को नगद प्रवाह और गैर नकद बदलाव जैसे विदेशी

विनिमय लाभ या हानि या दोनों से हुए बदलावों सहित वित्तीय गतिविधियों से उपकृत उनकी देयताओं को प्रकट करना आवश्यक होता है। कंपनी ने चालू और तुलनात्मक अवधि दोनों के लिए नकद प्रवाह विवरण में जानकारी दी है।

1.19 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

किसी प्रावधान को मान्यता तब मिलती है जब

- कंपनी के पास पूर्व घटना के परिणामत: वर्तमान बाध्यता (विधिक और प्रलक्षित) हो
- इस बात की संभावना होती है कि संसाधनों का बहिप्रवाह जो आर्थिक लाभों को प्रस्तुत करता है, के लिए आवश्यक होगा कि वह बाध्यताओं का निपटान कर सके।
- बाध्यता की राशि के लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।
- जब मुद्रा के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है और प्रावधानों पर छूट चालू पूर्व कर दर का उपयोग करते हुए दी जाती है जो जोखिम विशिष्ट देयता को जब उपयुक्त हो, दर्शाती है तब छूट देने का उपयोग किया जाता है तो समय के बीत जाने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में दर्शाया जाता है।
- संदेह पूर्ण ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान तब किया जाता है, जब उसके बकाये की अवधि के निरपेक्षत: वसूली में अनिश्चितता हो तथा उसे बट्टे खाते में तब डाल दिया जाता है जब गैर वसूली स्थापित हो जाती है।
- आकस्मिक देयता के लिए प्रकटन तब किया जाता है जब एक संभाव्य बाध्यता हो या वर्तमान बाध्यता, जो हो सकती है, लेकिन शायद नहीं है, को संसाधनों के बहिर्गमन की जरूरत होती है। आकस्मिक देयता अतिवादी मामलों में भी उपगत हो सकती है जहां संभवत: ऐसी देयता होती है जिसे दर्शाया तो नहीं जा सकता क्योंकि उसे विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता ।
- जहां संभाव्य बाध्यता या वर्तमान बाध्यता ऐसी हो जहां संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता।
- आकस्मिक देयता का प्रकटन प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है।
- प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर प्रावधानों तथा आकस्मिक देयताओं की समीक्षा की जाती है तथा उसे चालू आकलन निर्णय को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

1.20 सहायता अनुदान

आस्तियों के सृजन के लिए पूंजी खर्च के संबंध में सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता को प्राथमिक रूप से आस्थगित आय के रूप में दर्शाया जाता है। इन्हें इसके पश्चात संबंधित आस्तियों के जीवन अवधि पर प्रत्येक वर्ष की आय जो उन आस्तियों के मूल्य ह्रास के आनुपातिक होती है के रूप में दर्शाया जाता है। जहां कंपनी को

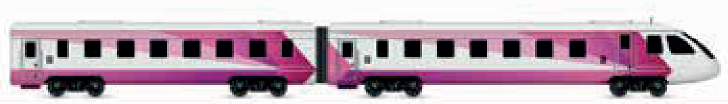

सरकारी प्राधिकारियों से गैर मौद्रिक सहायता प्राप्त होती है, आस्ति और सहायता को नाम मात्र मूल्य पर रिकॉर्ड किया जाता है, तथा आधारभूत आस्ति के लाभ के लिए उपभोग के तरीके तथा अपेक्षित उपयोगी जीवन अवधि पर आय विवरण पर निर्मुक्त किया जाता है।

सरकारी प्राधिकारियों (उपऋण) से बाजार ब्याज दर से कम दर पर प्राप्त हुए ब्याज मुक्त ऋण को सरकारी अनुदान समझा जाता है जिसे आगम और ऋण के उचित मूल्य जोकि व्याप्त बाजार ब्याज के अंतर पर आधारित होता है, के रूप में मापा जाता है।

1.21 खंड प्रतिवेदन

कंपनी के पास केवल एक प्रतिवेदन योग्य परिचालन खंड है जो मुंबई में मेट्रो रेल प्रणाली को विकसित कर रहा है। तदनुसार वित्तीय विवरणों में दिखनेवाली राशियां कंपनी के एकल व्यवसाय खंड से संबंधित हैं।

1.22 वित्तीय प्रपत्र

किसी भी संविदा में वित्तीय प्रपत्र एक इकाई की वित्तीय आस्ति को बढ़ाता है तथा दूसरी इकाई की वित्तीय देवता का इक्विटी प्रपत्र को बढ़ाता है।

प्रभावी ब्याज दर (इआईआर) वह दर होती है जो वित्तीय आस्ति या देयता की निवल राशि को वित्तीय प्रपत्र की अपेक्षित जीवन अवधि या अल्पावधि जो पर्याप्त हो पर आकलित भविष्य में होने वाली प्राप्तियां या भुगतान पर निश्चित रूप से छूट देती है।

1.23 वित्तीय आस्तियां

प्राथमिक मापन

वित्तीय आस्तियों की पहचान तब होती है, जब कंपनी प्रपत्र के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है। वित्तीय आस्तियों को सबसे पहले उचित मूल्य में मापा जाता है। लेन-देन लागत जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण या निर्गम से जुड़ी होती है (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्ति से अन्यथा) को उचित मूल्य से जोड़ा या कम किया जाता है जिसे वित्तीय आस्ति के प्राथमिक पहचान पर मापा जाता है।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय आस्तियों को इसके पश्चात निम्न में वर्गीकृत या मापा जाता है:

- प्रभावी ब्याज दर (इआईआर)(EIR) पद्धति से परिशोधन लागत

- अन्य व्यापक आय (एफसीओसीआई)(FCOCI) के माध्यम से उचित मूल्य

- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

i) परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां

प्राथमिक मापन के बाद ऐसी वित्तीय आस्तियों को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर मापा जाता है। ईआईआर (EIR) परिशोधन को लाभ और हानि विवरण के अन्य आय में शामिल किया जाता है। क्षति से हानि वाली हानियों को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ii) व्यापक आय (एफसीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां

उचित मूल्य गतिविधियों को अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है। ऋण प्रपत्र संचयी लाभ या हानि की स्वीकृति पर जो पहले यह ओसीआई में स्वीकृत होती हैं, को इक्विटी से लाभ और हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

iii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियां (एफवीटीपीएल)

कोई भी वित्तीय आस्ति जो परिशोधन लागत या एफ वी ओ सी आई के रूप में श्रेणीबद्ध किए जाने का पात्र नहीं होती, उन्हें एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्ति और हानियों को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

अस्वीकरण

वित्तीय आस्तियों को तब अस्वीकृत कर दिया जाता है जब वित्तीय आस्तियों से नगदी प्रकट का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या हस्तांतरित हो जाता है तथा हस्तांतरण अस्वीकार होने की अहर्ता प्राप्त कर लेता है।

वित्तीय आस्तियों को तब अस्वीकृत किया जाता है जब वित्तीय आस्तियों से नकदी प्रवाह समाप्त हो जाता है या जब वित्तीय स्थिति तथा खर्च पर्याप्त जोखिमों और प्रतिफलों का हस्तांतरण हो जाता है। एक वित्तीय देयता तब अस्वीकृत होती है जब यह समाप्त, उन्मुक्त, निरस्त या खत्म हो जाती है।

1.24 वित्तीय देयताएं

सभी वित्तीय देयताओं को प्राथमिक रूप से उचित मूल्य पर और ऋण और उधारी और भुगतान के मामले में लेनदेन लागत से प्रत्यक्ष तथा निवल पर स्वीकृत किया जाता है।

ऋण और उधार राशि

प्राथमिक स्वीकृति के बाद ब्याज वाले ऋण और उधारियों को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानियों को लाभ या हानि में दर्शाया जाता है जब देयताओं को अस्वीकृत कर दिया जाता है जो इआईआर परिशोधन प्रक्रिया से होता है।

परिशोधन लागत की गणना किसी छूट या अर्जन पर कोई प्रीमियम और शुल्क या लागत जो इआईआर का एक भाग होता है, को ध्यान में रखते हुए की जाती है। इआईआर परिशोधन को लाभ हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

अनुवर्ती मापन

सिर्फ व्यापार के लिए रखी गई और एफवीटीपीएल (FVTPL) पर नामित वित्तीय देयताओं को छोड़कर वित्तीय देयताओं का मापन प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर होता है जिन्हे आगे लाभ और हानि में दर्शाया जाता है जो प्राप्ति या हानियों के साथ उचित मूल्य पर वहन किया जाता है।

अस्वीकरण

कंपनी के तुलन पत्र से वित्तीय देयता को तब अस्वीकृत कर दिया जाता है, जब देयता के अंतर्गत बाध्यता को उन्मुक्त या निरस्त या समाप्त कर दिया जाता है। जब विद्यमान वित्तीय देयता को उसी उधारदाता के दूसरे या बिल्कुल अलग शर्तों, जो पूरी तरह से संशोधित हो, से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो क्षेत्र, बदलाव या संशोधन को मूल देयता की अस्वीकृति तथा नई देयता की स्वीकृति माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में आए अंतर को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

वित्तीय प्रपत्रों का प्रतिकरण

यदि स्वीकृत राशियों के प्रतिकरण का वर्तमान में चालू कोई विधिक अधिकार हो, तथा निवल आधार पर निपटान करने का इरादा हो, ताकि आस्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटान साथ साथ हो सके तो वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय देयताओं का प्रतिकरण कर दिया जाता है, तथा निवल राशि को तुलन पत्र में प्रतिवेदित किया जाता है।

1.25 उचित मूल्य देयता मापन

उचित मूल्य वह कीमत होती है, जो मापन की तारीख पर बाजार के भागीदारों के बीच एक उचित लेन-देन में आस्ति के विक्रय से या देयता के हस्तांतरण के भुगतान से प्राप्त होती है। उचित मूल्य का मापन इस पूर्व धारणा पर आधारित होता है कि आस्ति के विक्रय के लेन-देन या देयता का हस्तांतरण, इनमें से किसी के अनुसार होता है।

- आस्ति तथा देयता के लिए मुख्य बाजार में या
- मुख्य बाजार के अभाव में आस्ति या देयता के लिए सर्वाधिक लाभकारी बाजार में

किसी आस्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस पूर्वधारणा का उपयोग करते हुए किया जाता है कि बाजार के भागीदार, यह मानते हुए कि वह सही आर्थिक हित का ध्यान रख रहे हैं, आस्ति या देयता के मूल्य निर्धारण के लिए इसका उपयोग करेंगे। एक गैर वित्तीय आस्ति के उचित मूल्य मापन बाजार के भागीदार की इस योग्यता को

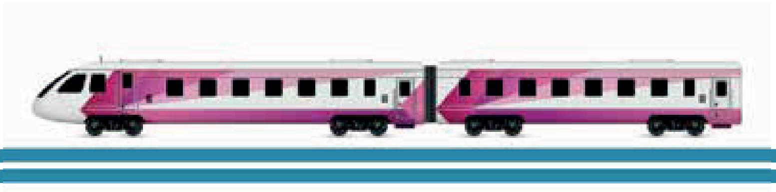

ध्यान में रखता है कि वह आस्ति के अधिकतम और सर्वोत्तम उपयोग से अधिक लाभ को उत्पन्न करेगा या ऐसे किसी दूसरे बाजार के भागीदार को बेच देगा जो इस आस्ति का अधिकतम और सर्वोत्तम उपयोग करेगा।

कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है, जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होती है तथा जिसके लिए पर्याप्त डाटा उपलब्ध होता है, ताकि संबंधित परीक्षण योग्य इनपुट को अधिकतम करते हुए उचित मूल्य को मापा जा सके।

- स्तर 1 - इनपुट समान आस्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य (समायोजित) होता है।
- स्तर 2 - इनपुट स्तर-1 में शामिल से अन्यथा उद्धृत मूल्य होता है जिसे प्रत्यक्ष का मूल्य या अप्रत्यक्षत: (मूल्यों से निकले) आस्ति या देयता के लिए अवलोकित किया जा सकता है।
- स्तर 3 - इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा गैर अवलोकनीय इनपुट पर आधारित नहीं होता। उचित मूल्य का निर्धारण समग्र रूप से या एक भाग के रूप से मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करते हुए किया जाता है कि ना तो यह समान प्रपत्र में अवलोकनीय चालू बाजार लेनदेन के मूल्य से समर्थित होता है ना ही यह उपलब्ध बाजार डेटा पर आधारित होता है।

उन आस्तियों और देयताओं के लिए जिन्हें वित्तीय विवरणों में पुनरावृति आधार पर दर्शाया जाता है, कंपनी यह निर्धारित करती है, कि क्या हस्तांतरण प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि की समाप्ति पर श्रेणीबद्धत्ता के पुर्नआकलन द्वारा (निम्न स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य मापन में महत्वपूर्ण होता है) पदानुक्रम के स्तरों के बीच उपगत हुआ है।

उचित मूल्य प्रकटन के उद्देश्य से कंपनी ने आस्ति और देयता की प्रकृति लक्षण तथा जोखिमों तथा पूर्व वर्णित उचित मूल्य पदानुक्रम के आधार पर अस्ति और देयता की श्रेणियों का निर्धारण किया है।

1.26 वैश्विक स्वास्थ्य महामारी कोविड-19 से संबंधित अनिश्चितताओं का आकलन

कंपनी ने कोविड-19 के संबंध में विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों-द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का अनुपालन किया है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 25.03.2020 को लागू किया गया था। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा था। 31.03.2020 के बाद भी अस्थाई लॉकडाउन के जारी रहने के कारण कंपनी ने अपनी परियोजना पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन किया है। इसका परिणाम संविदा के पूरा करने में आनेवाली लागत के आकलन में संशोधन साथ ही साथ संविदा से शर्तों में निहित अप्रत्याशित घटना खंड के आह्वान के कारण अतिरिक्त प्रयासों और मांगों की जरूरत हो सकती है। अब तक के अनुसार कंपनी की राय यह है कि कोविड-19 का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है। कंपनी ने एक रणनीति का मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया है, ताकि भविष्य में इसे पूरा करने में आनेवाली लागत से जुड़ी अनिश्चितताओं की पहचान की जा सके और उन पर नजर रखी जा सके।

13 वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना का अनुशेष

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी)ने 13वीं वार्षिक साधारण सभा के 30 सितंबर, 2021 को शाम बजे से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में टू वे वीडियो कॉंफ्रेंसिंग अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) के जरिए आयोजित करने के लिए दिनांक 07 सितंबर, 2021 को सूचना (मूल सूचना) जारी की थी तथा इस कथित सूचना में यथाविनिर्दिष्ट 5 व्यावसायिक मदों (2 साधारण व्यवसाय तथा 3 विशेष व्यवसाय) पर संव्यवहार करने का उल्लेख किया गया था।

उपर्युक्त के आगे एतद् द्वारा सूचना दी जाती हैं कि उक्त सभा में निम्नलिखित व्यवसाय को भी यथानिर्दिष्ट मद संख्या के रूप में संव्यवहृत किया जाएगा -

विशेष व्यवसाय

मद सं.6

विचार करके तथा यदि उचित समझा जाए तो आशोधन सहित या रहित निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

``प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197, 198 तथा अन्य लागू प्रावधानों, सहपठित आज की तिथि तक यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V, तथा इस संबंध में समय-समय पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी में अन्य सभी लागू नियमों, विनियमों अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों के अनुसरण में तथा कंपनी के ज्ञापन एवं संस्था की अन्तर्नियमावली के लागू प्रावधानों के अनुसरण तथा सदस्यों की सहमत से श्री अबोध खण्डेलवाल (डीआईएन : 07807394) को उन नियमों व शर्तों पर 29 मार्च, 2022 से 28 मार्च, 2023 तक अर्थात् एक वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के कार्यमूलक निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में पुनःनियुक्त किया जाता है जो इस संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होंगे।``

आगे प्रस्ताव पारित किया जाता है कि निदेश मंडल को श्री अबोध खण्डेलवाल की नियुक्ति के सभी नियमों और शर्तों के निर्धारण सहित आवश्यक कदम उठाने के लिए तथा इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य हेतु आवश्यक प्रपत्र हासिल करने तथा उक्त नियुक्ति की जानकारी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को देने के लिए एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।``

निदेशक मंडल के आदेश के अनुसार
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर
ऋतु देब
कंपनी सचिव

दिनांक : 30 सितंबर, 2021
स्थान : मुंबई

एजीएम सूचना के अनुशेष की टिप्पणियां

क) 13वीं वार्षिक साधारण सभा के संबंध में इस अनुशेष में यथावर्णित मद सं. 6 से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण सदस्यों के अवलोकनार्थ यहां नीचे दिए जा रहे हैं।

ख) वैश्विक महामारी कोविड-19 के जारी रहने को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के अपने परिपत्र 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अपने परिपत्र 17/2020, दिनांक 05 मई, 2020 के परिपत्र सं. 20/2020 तथा दिनांक 13 जनवरी, 2021 के परिपत्र सं. 02/2021 (एमसीए परिपत्रों के रूप में सामूहिक रूप से संदर्भित) के द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है। सभा के लिए कि सी आमस्थल पर सदस्यों को शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं रहना है। कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन के क्रम में कंपनी का एजीएम वीसी/ओएवीएम के जरिए आयोजित किया जा रहा है।

ग) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एजीएम में उपस्थित होने एवं मतदान करने का अधिकार रखने वाला सदस्य अपनी ओर से उपस्थित रहने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है। प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। चूंकि एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में एजीएम का आयोजन सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जा रहा है और तदनुसार सदस्यों द्वारा प्रॉक्सियों को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, अतः इस सूचना के साथ प्रॉक्सी प्रपत्र और उपस्थिति पर्ची संलग्न नहीं की गई है।

घ) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से उपस्थित रहनेवाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति की संगणना के उद्देश्य से की जाएगी।

13वीं वार्षिक साधारण सभा की प्रस्तावित मद संख्या 6 के व्याख्यात्मक विवरण

श्री अबोध खण्डेलवाल को दिनांक 28.04.2017 को 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्यमूलक निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तदनुसार श्री अबोध खण्डेलवाल का वर्तमान कार्यकाल दिनांक 27.04.2022 को समाप्त हो रहा है।

निदेशक मंडल ने दिनांक 30 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में श्री अबोध खण्डेलवाल के कार्यकाल को उनकी वर्तमान नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों पर 29 मार्च, 2022 से 28 मार्च, 2023 तक एक वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए विस्तार देने का अनुमोदन किया है।

श्री अबोध खण्डेलवाल संविदाओं एवं परियोजना प्रबंधन से अच्छी तरह वाकिफ हैं क्योंकि वे अपने पूर्ववर्ती कार्यभार में उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) के परियोजना प्रभाग के वित्त प्रमुख थे जो कश्मीर को देश के दूसरे हिस्से से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल के मत में श्री अबोध खण्डेलवाल सक्षम, शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं एक योग्य प्रशासक होने के साथ-साथ बहुअंशधारकों के साथ विचार-विमर्श के जरिए विविध प्रणालियों को कार्यान्वित करने के प्रति उत्साहित रहते हैं। वित्त एवं लेखा विभाग की निपुणता से देखरेख के कारण उनके कार्यकाल के दौरान कंपनी को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल ने श्री अबोध खण्डेलवाल की पुनःनियुक्ति को वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों के अनुमोदन के लिए संस्तुत किया है।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते धारा 160 और 197 के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

श्री अबोध खण्डेलवाल के सिवाय किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का उक्त प्रस्ताव में कोई हित नहीं है।

बोर्ड इस प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में सदस्यों के अनुमोद न के लिए संस्तुत करता है।

निदेशक मंडल के आदेश के अनुसार
मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हस्ताक्षर
ऋतु देब
कंपनी सचिव

दिनांक : 30 सितंबर, 2021
स्थान : मुंबई

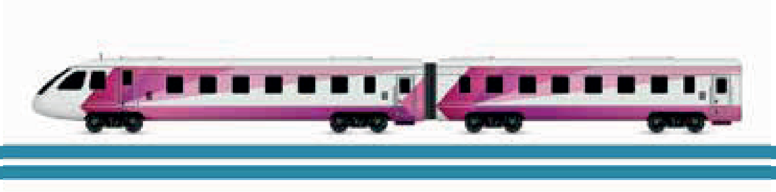

Pylons Termination Yard @ Aarey

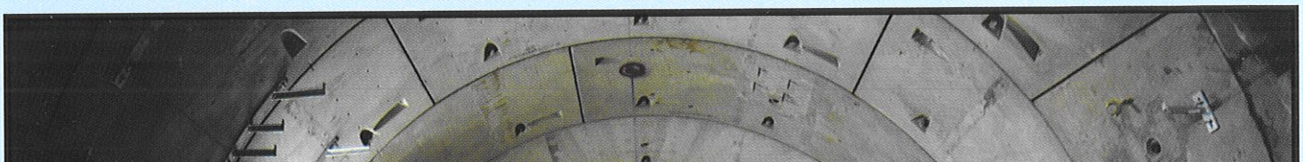

Completed Tunnel along with tracks of Metro-3

MUMBAI METRO RAIL CORPORATION LIMITED

(JV of Govt.of India and Govt.of Maharashtra)

"TRANSIT OFFICE", E- Block, North Side of City Park,

Behind Income Tax Office, "A"- wing, Bandra E, Bandra Kurla Complex,

printed by : jivankala86@gmail.com, 9821300233